भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

नेवा: डिजिटल विधानमंडलों के लिए

नेवा: एक मिशन मोड परियोजना

के मूल्यांकन के लिए पी.आई.बी. ज्ञापन

कार्यकारी सारांश

ई-शासन सरकार के गलियारों में चर्चा का विषय है। सरकार की विभिन्न शाखाओं के दिन-प्रतिदिन के कार्य में सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाने से शासन में संपूर्ण क्रांति आई है। माननीय प्रधान मंत्री ने देश के लिए नई तकनीकों के अनुकूल बनने और दूसरों से आगे रहने के लिए ठीक ही कहा है कि IT + IT = IT यानि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्लस इंडियन टैलेंट इक्वल टू इण्डिया टुमॉरो। इसलिए, भविष्य की सभी सरकारों के कार्यचालन को प्रौद्योगिकी के अंतर्गत संचालित करना होगा और वर्तमान सरकार ने इसे अच्छी तरह से अपनाया है।

वास्तव में, सरकार की दो शाखाओं अर्थात कार्यपालिका और न्यायपालिका ने अपने कामकाज और छवि को बेहतर बनाने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी को अच्छी तरह से अपनाया है। सरकार की तीसरी शाखा यानी विधायिका शुरुआती अनिच्छा के बाद धीरे-धीरे सूचना प्रौद्योगिकी के साथ गति पकड़ रही है।

इस संदर्भ में, कुछ राज्यों जैसे कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र ने अपने विधानमंडलों के स्वचालन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने अपनी स्थानीय एनआईसी इकाई की सहायता से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लेकिन अलग-अलग रूप में और ई-शासन मानकों का पालन किए बिना, सदस्यों के लिए प्रश्न प्रसंस्करण, पेरोल सिस्टम जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों को स्वयं लागू किया है। इन राज्यों में, प्रयोग किए जा रहे इलेक्ट्रॉनिक अनुप्रयोगों ने मौजूदा भौतिक पेपर आधारित प्रक्रियाओं की जगह नहीं ली है। और यही नहीं, इन राज्यों में भारी मात्रा में कागज की खपत अभी भी जारी है।

हालाँकि, एक सदनीय और 68 सदस्यों वाली हिमाचल प्रदेश विधान सभा ने डिजिटल दुनिया में एक मील का पत्थर पार कर लिया है। यह तत्कालीन इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से अग्रणी ई-शासन समाधान, ई-विधान का कार्यान्वयन करके वर्ष 2014 में भारत की पहली हाई-टेक विधानसभा बन चुकी है।

भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। ई-विधान मंत्रिमंडल के अनुमोदन सहित डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में शामिल ऐसी ही मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है। विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च समिति गठित की थी। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था और हिमाचल प्रदेश विधान सभा की तर्ज पर विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए इसे राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में

पुन:नामित करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने का अधिकार दिया।

नेवा की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, मुख्य हितधारकों में से एक, से परामर्श किया और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, नेवा परियोजना के प्रारंभिक डीपीआर को अंतिम रूप देने के लिए संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों एक समिति गठित की गई।

उक्त समिति डीपीआर प्रस्तुत कर चुकी है। उसमें निहित सिफारिशों पर विचार करते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा परियोजना की शुरूआत करने के लिए अपेक्षित मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु आगे कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है।

प्रारंभिक डीपीआर के आधार पर, ईएफसी ज्ञापन तैयार किया गया और वर्ष 2017 में अंतर-मंत्रालय परामर्श के लिए परिचालित किया गया। नीति आयोग सहित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त टिप्पणियों को शामिल करते हुए, नेवा के मूल्यांकन हेतु वित्त मंत्रालय को ईएफसी ज्ञापन प्रस्तुत किया गया था।

ईएफसी ने 20 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी बैठक में प्रस्ताव पर विचार किया था और राज्य सरकारों/विधानमंडलों से परामर्श सहित कुछ अन्य सिफारिशों के साथ नेवा को सैद्यांतिक मंजूरी प्रदान की थी।

संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य विधानमंडलों/सरकारी विभागों के सभी नोडल अधिकारियों से परामर्श किया। वे विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए नेवा समाधान को अपनाने पर सहमत हुए। इसके अलावा, परियोजना के लिए उनकी तत्परता और इच्छा का आकलन करने के लिए नई दिल्ली में 24-25 सितंबर, 2018 को नोडल अधिकारियों, विधानमंडलों के सचिवों के लिए दो दिवसीय राष्ट्रीय अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में सभी राज्यों के 170 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। सभी के पास नेवा में पिछले एक साल के आंकड़े हैं और वे अपने अगले सत्र को लाइव करने के लिए तैयार हैं जो कि नेवा सेवा केंद्र और डिजिटल हाउस की स्थापना के बाद ही संभव होगा।

20 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी पहली बैठक में ईएफसी द्वारा की गई सभी सिफारिशों के अनुपालन के बाद, ईएफसी द्वारा 14 दिसंबर, 2018 को परियोजना के मूल्यांकन के लिए संशोधित नोट पर विचार किया गया और राज्यों को संसाधनों के विचलन के बारे में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों का इंतजार करने की सिफारिश की गई।

डिजिटल इंडिया के लिए सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, गतिरोध को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय से सलाह ली गई। उन्होंने प्रस्ताव को सार्वजनिक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा विचार हेतु संशोधित करने की सलाह दी।

तदनुसार, पीआईबी द्वारा मूल्यांकन के लिए संशोधित प्रस्ताव तैयार किया गया और अंतर-मंत्रालय परामर्श के लिए सितंबर, 2019 में परिचालित किया गया है। चूंकि, नीति आयोग सहित विभिन्न मंत्रालयों से टिप्पणियां प्राप्त हुई हैं इसलिए नेवा परियोजना के मूल्यांकन के लिए अद्यतन पीआईबी ज्ञापन 28 अक्टूबर, 2019 को वित्त मंत्रालय को भेज दिया गया है।

1. परियोजना की रूपरेखा:

1.1 परियोजना का नाम: **ई-विधान अथवा राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा)**, कागज रहित विधानसभा, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी)।

1.2 प्रायोजक अभिकरण: संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार।

1.3 प्रस्तावित परियोजना की कुल लागत: रू.673.94 करोड़ (केंद्र का हिस्सा रू.423.60 करोड़ और राज्यों का हिस्सा रू.250.34 करोड़, जो कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित संरचना के अनुरूप 60:40 के अनुपात में है)। केंद्र के हिस्से में सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय से संबंधित व्यय के लिए रू.108.29 करोड़ का प्रावधान शामिल है।

1.4 परियोजना के लिए प्रस्तावित समय-सीमा: नेवा एमएमपी को सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में सदनों के उपलब्ध संसाधनों और तत्परता के आधार पर चरणों में लागू किया जाएगा। कुल अवधि जिसके दौरान सभी विधानसभाओं / परिषदों को परियोजना में शामिल किया जाना है परियोजना शुरू करने की तारीख से तीन वर्ष है। इसके अलावा, प्रत्येक स्थान पर लाइव होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा तकनीकी / जनशक्ति सहायता प्रदान की जाएगी ताकि परियोजना राज्य विधानसभाओं / सचिवालयों में कंप्यूटर / लैपटॉप की स्थापना की योजना मात्र न रह जाए। तत्पश्चात, पूरी परियोजना राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और संसदीय कार्य मंत्रालय, सरकार भारत की भूमिका समन्वय/पर्यवेक्षण/निगरानी और विधायकों/अधिकारियों के प्रशिक्षण तथा नियमित अंतराल पर या जब भी जरूरत हो नेवा सूट के उन्नयन/अनुरक्षण तक सीमित रहेगी ताकि नेवा परियोजना बिना खामियों के हमेशा के लिए चलती रहे।

1.5 परियोजना की प्रकृति: भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने के दृष्टिकोण के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। वर्तमान में, भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। ई-विधान या नेवा डिजिटल इंडिया के तहत एक ऐसी ही मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। विभिन्न मिशन मोड परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी करने के लिए भारत सरकार ने मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में एक सर्वोच्च समिति गठित की थी। सर्वोच्च समिति ने 15 अक्टूबर, 2015 को आयोजित अपनी तीसरी बैठक में विधानसभाओं/परिषदों वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को 'नोडल मंत्रालय' बनाने का निर्णय लिया था।

कागज रहित विधानसभा या ई-विधानसभा एक ऐसी अवधारणा है जिसमें विधानसभा के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक साधन शामिल होते हैं जिसे ई-लोकतंत्र के विकास का प्रारंभिक चरण माना जा सकता है। यह लोकतंत्र का संवर्धन करने में विधानसभा को अधिक पारदर्शी, सुलभ, जवाबदेह और प्रभावी बनाने में मदद कर सकता है। यह कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया के स्वचालन, निर्णयों और दस्तावेजों की खोज, जानकारी के साझाकरण से लोकतंत्र को बढ़ावा देने में विधानसभा को अधिक पारदर्शी, सुलभ, उत्तरदायी और प्रभावी बनने में मदद कर सकता है। ई-विधानसभा कानून बनाने, निर्णयों और दस्तावेजों पर नज़र रखने, सूचनाओं को साझा करने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करती है जो बदले में शासित और उन पर शासन करने वालों के बीच संबंधों को बढ़ाने में योगदान देता है।

इस प्रकार, ई-विधानसभा ई-लोकतंत्र के लिए एक पूर्वापेक्षा के रूप में कार्य करती है जहां सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति का एक अभिन्न अंग बनती है।

68 सदस्यों वाली एक सदनीय हिमाचल प्रदेश विधान सभा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से अग्रणी ई-शासन समाधान, ई-विधान का कार्यान्वयन करके वर्ष 2014 में भारत की पहली हाई-टेक विधानसभा बन चुकी है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लागू ई-विधान समाधान की तर्ज पर, सभी 28 राज्यों और 3 संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में इसे लागू करने के लिए भारत सरकार द्वारा संसदीय कार्य मंत्रालय को अधिकार दिया गया है।

इस प्रकार, ई-विधान या नेवा विधानसभा के लिए सदन की विभिन्न समितियों, इसके सचिवालय के कार्यचालन और विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन करने में शामिल प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक ई-शासन समाधान है।

ई-विधान या नेवा किसी अन्य योजना का हिस्सा नहीं है बल्कि यह विधानमंडलों की कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक नई स्टैंड-अलोन परियोजना है।

नेवा विधानसभाओं के लिए सदन के कार्यचालन और विधानसभा सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन में शामिल प्रक्रिया को स्वचालित करने के लिए एक ई-शासन समाधान है। नेवा के दो अंग हैं (1) ई-विधानसभा और (2) ई-निर्वाचन क्षेत्र। राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सभी विभागों, विधानसभा सचिवालयों, विधायकों, नागरिकों सहित सभी हितधारक इस परियोजना से लाभान्वित होंगे।

1.6 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च समिति ने 16 जून, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान एमएमपी के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अत: ई-विधान परियोजना के लिए वित्तपोषण सीएसएस पैटर्न पर बजटीय सहायता के माध्यम से भारत सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

1.7 नेवा की शुरूआत को बढ़ावा देने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने सभी राज्य सरकारों, मुख्य हितधारकों में से एक, से परामर्श किया और उनकी प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। उनकी प्रतिक्रिया के आधार पर, नेवा परियोजना के प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप देने के लिए सितंबर, 2016 में संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों एक समिति गठित की गई। उक्त समिति सितंबर, 2016 में डीपीआर प्रस्तुत कर चुकी है। उसमें निहित सिफारिशों पर विचार करते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेवा परियोजना की शुरूआत करने के लिए अपेक्षित मूल्यांकन और अनुमोदन हेतु आगे कदम बढ़ाने का निर्णय लिया है।

1.8 चूंकि, नेवा एक नई परियोजना है, इसलिए प्रस्ताव एक मूल लागत अनुमान है.

1.9 परियोजना की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, भूमि अधिग्रहण का मुद्दा नहीं उठता। हालांकि, कुछ पूर्व-निवेश गतिविधियां जैसे राज्य-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करना, प्रत्येक सदन में नेवा प्रकोष्ठ खोलना, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का विकास/उन्नयन, सुरक्षा मंजूरी और नेशनल क्लाउड (मेघराज) में हॉस्टिंग, चालू वर्ष के दौरान कुछ राज्यों में परियोजना का संचालन करना इस परियोजना के लिए अपेक्षित है। ऐसे हस्तक्षेप की लागत को चालू वर्ष के लिए परियोजना प्रस्ताव में शामिल किया गया है।

1.10 यह किसी भी मौजूदा परियोजना के परस्परव्याप्त नहीं है क्योंकि यह भारत में अपनी तरह की पहली परियोजना है। यह उल्लेखनीय है कि कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गोवा, केरल, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र जैसे कुछ राज्यों ने अपने विधानमंडलों के स्वचालन के क्षेत्र में अच्छी प्रगति की है। उन्होंने अपनी स्थानीय एनआईसी इकाई की सहायता से या आउटसोर्सिंग के माध्यम से, लेकिन अलग-अलग रूप में और ई-शासन मानकों का पालन किए बिना, प्रश्न प्रसंस्करण, सदस्यों के लिए पेरोल सिस्टम जैसे विभिन्न अनुप्रयोगों को स्वयं लागू किया है। इस प्रकार, राज्यों द्वारा अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रिया के परिणामस्वरूप आउटपुट कम रहा लेकिन इनपुट लागत अधिक रही जिससे कानून बनाने की पूरी प्रक्रिया खर्चीली और पर्यावरण-प्रतिकूल बन गई।

सभी राज्यों के विधानमंडलों में व्यवस्थित कार्यान्वयन करने के लिए, अनेक एप्लिकेशनों की जटिलता के बिना, सभी राज्य विधानमंडलों को बराबर लाने के लिए स्थानीय ऐड-ऑन सुविधाओं के साथ एक सामान्य नेवा फ्रेमवर्क होना आवश्यक है। सभी राज्य विधानमंडलों के लिए साझा नेवा एप्लिकेशन से न केवल कई एप्लिकेशन विकसित करने पर होने वाला खर्च कम होगा, बल्कि यह विभिन्न विधायी निकायों के बीच तुलनात्मक अध्ययन में भी मदद करेगा जो उनकी दक्षता और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करेगा।

इसलिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ने यह विकल्प चुना है कि हिमाचल प्रदेश विधान सभा की ई-विधान एप्लिकेशन को भारतीय संघ के अन्य राज्यों और भारतीय संसद द्वारा अपनाई जा रही सभी सर्वोत्तम प्रथाओं को शामिल करके उन्नत, अनुकूलित और स्थानीय बनाया जाए और डिजिटल सशक्त भारतीय समाज के लिए ई-लोकतंत्र अर्जित करने के अंतिम उद्देश्य के साथ सभी विधानमंडलों के लिए नेवा की अपेक्षा को पूरा करने के लिए मोबाइल संगतता और अक्षम व्यक्तियों के अनुकूल विशेषताओं के साथ

एकल बहुभाषी एप्लिकेशन के रूप नवीनतम तकनीक का उपयोग करके विकसित किया जाए।

जिन राज्यों में विधानमंडलों के स्वचालन के क्षेत्र में कुछ प्रगति हो चुकी है वहां नेवा को लागू करते समय, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी विरासत का डेटा खो नहीं जाए। वास्तव में, यह ई-विधान सूट में समान इंटरफ़ेस के साथ स्थानांतरित किया जाएगा ताकि वे उस चरण से आगे काम करना शुरू कर दें जिस पर वे पहले ही पहुंच चुके हैं। इससे न केवल उनके द्वारा किए गए परिश्रम को महत्व मिलेगा, बल्कि डेटा के पुनर्सृजन से बचके पूरी परियोजना में एकरूपता लाएगा और उसे किफायती बनाएगा। इस प्रकार, राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) में विरासत डेटा के उपयोग और डिजिटलीकरण के संबंध में उचित ध्यान रखा गया है।

ई-शासन में मानक एक उच्च प्राथमिकता वाली गतिविधि है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एकल एकरूप नेवा समाधान के कार्यान्वयन से सभी विधानमंडलों में सूचनाओं का आदान-प्रदान और डेटा की सहज अंतर-व्यवस्था सुनिश्चित होगी। यह हमारे संघीय ढांचे को मजबूत करेगा और अंततः भारत में लोकतंत्र की मौजूदा गहरी जड़ों को और गहरा करेगा।

2. परिणाम और वितरण:

2.1 परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य: भारत सरकार ने भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञानवान अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने की दृष्टि से डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया है। इसने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन के लिए 44 मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) की पहचान की है। एक मिशन मोड परियोजना राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत एक विशिष्ट परियोजना है जो इलेक्ट्रॉनिक शासन के बैंकिंग, भूमि रिकॉर्ड आदि जैसे एक पहलू पर ध्यान केंद्रित करती है, राष्ट्रीय ई-शासन योजना के अंतर्गत, "मिशन मोड" का अर्थ है कि परियोजनाओं के उद्देश्य, व्याप्ति और कार्यान्वयन समय-सीमा तथा मील-पत्थर के साथ ही परिमेय परिणाम और सेवा स्तर स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग राष्ट्रीय ई-शासन योजना के कार्यान्वयन के लिए सहायक और उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है और विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

कानून बनाने की वर्तमान प्रणाली न केवल महंगी है, बल्कि समय लेने वाली भी है। वर्तमान में, विभिन्न हितधारकों के बीच सभी संचार भौतिक मोड में कलम और कागजात के माध्यम से हैं। विधान सभाओं के माननीय सदस्य नोटिस और प्रश्न कागज पर लिख कर देते हैं। इसी तरह, विधानसभा सचिवालय और राज्य सरकार के विभिन्न विभाग कागज-पत्र के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं जो न केवल महंगा है, बल्कि धीमा भी है। इसी तरह, नागरिक अपनी शिकायतों को समाधान के लिए केवल कागज पर लिखित रूप में अपने जन प्रतिनिधि के ध्यान में ला सकते हैं।

मानक उत्पाद के डिजाइन विकास और कार्यान्वयन के माध्यम से नेवा कम्प्यूटरीकरण के संभावित क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार करता है, सदन के पटल पर सभी कागजात के इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखते हुए, राज्य

सरकार के सभी विभागों को कनेक्टिविटी, नेवा तैनाती के लिए एनआईसी/एनकेएन नेटवर्क से कनेक्टिविटी, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के लिए मेल/इंटरनेट सशक्तीकरण और अन्य नेटवर्क सेवाएं, राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को आईसीटी सेवा, साझा संरचना का उपयोग करते हुए सभी राज्य विधानमंडलों के लिए भारतीय सरकारी वेबसाइटों के लिए अनुवर्ती वेबसाइटों के दिशानिर्देश उपलब्ध कराते हुएराज्य विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाता है।

नेवा एमएमपी का उद्देश्य सदन के पटल पर डिजिटल प्रारूप में रिपोर्ट/दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने और सभी हितधारकों के बीच सूचना का इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रवाह है। यह सभी राज्य विधायी निकायों के डेटा का विश्लेषण, सूचना प्रसंस्करण और तुलनात्मक अध्ययन भी प्रदान करेगा। यह अंततः हमारे विधानमंडलों की दक्षता में सुधार लाएगा। अपने प्रमुख हितधारकों यानी राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान नेवा एमएमपी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

नेवा एमएमपी नेशनल क्लाउड (मेघराज), स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एस.डब्ल्यू.ए.एन.) / नेशनल नॉलेज नेटवर्क (के.एन.के.), यूनीक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यू.आई.डी.ए.आई.), नेटवर्क/वाई.फाई. के लिए इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (आई.एन.ओ.सी.) जैसी ई-अवसंरचना का लाभ उठाने और उसका उपयोग करने की परिकल्पना करता है। नेवा पहल भारत सरकार की "गो ग्रीन" पहल और "स्वच्छ भारत मिशन" के अनुरूप है। इससे पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि कई हजार टन कागज बचाया जाएगा, इस प्रकार सालाना लाखों पेड़ों की बचत होगी और विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाकर, यह सरकारी विभागों और विधानसभा सचिवालयों में अपेक्षित पारदर्शिता और स्वच्छता लाएगा।

नेवा के कार्यान्वयन के साथ, विधायकों और सचिवालय, सचिवालय और राज्य सरकार के विभागों, नागरिकों और उनके प्रतिनिधियों के बीच पूरी संचार प्रणाली इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगी।

यह जनता की भलाई के लिए एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। ई-विधान को 2014 में हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 8.12 करोड़ रुपये की कुल लागत के साथ लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमानों के अनुसार, ई-विधान के कार्यान्वयन से पहले अकेले कागजात की वार्षिक खपत पर उनका रु.5.08 करोड़ खर्च होता था, जो 6096 पेड़ों के बराबर है। यदि मुद्रण, डाक, जनशक्ति आदि सहित संपूर्ण उपरिव्यय को भी शामिल किया जाता है, तो विधानसभा को चलाने का खर्च सालाना 15 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इस परियोजना ने दो साल की छोटी अवधि के भीतर अपने व्यय से ज्यादा बचत की है। यदि हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बहिर्वेशन किया जाता है, तो नेवा के कार्यान्वयन के कारण लगभग रू.673.94 करोड़ की परियोजना लागत की तुलना में लगभग रू.340 करोड़ की राशि की सालाना बचत होगी। इसलिए, यह परियोजना दो साल से भी कम समयावधि में अपनी लागत को पूरा कर लेगी, जो नेवा परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है। इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के बाद, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में ऐसी परियोजनाओं को लागू करने की संभावना तलाश सकता है और ऐसा करके आईटी लीडर के रूप में भारत की स्थिति मजबूत कर सकता है।

इस प्रकार, राज्य विधानमंडलों में नेवा को कार्यान्वित करने से एक तरफ पूरा विधायी परिश्रम कम होगा बल्कि इससे दूसरी तरफ इसमें तेजी भी जाएगी, जिससे नागरिकों, राज्यों और अंततः भारत को लाभ होगा।

संक्षेप में, विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेवा के कार्यान्वयन के माध्यम से पूरे किए जाने लक्ष्य और उद्देश्य निम्न प्रकार होंगे:-

क) ई-विधान या नेवा एमएमपी का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कागज-रहित बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना और उत्पत्ति होते ही अनुमत सामग्री को सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है।

ख) इसका उद्देश्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के सदस्यों को नवीनतम आई.सी.टी. उपकरणों का उपयोग करने में सहायता करना और उन्हें कुशलतापूर्वक और दक्षतापूर्वक इनका उपयोग करने के लिए समर्थ बनाना भी है ताकि वे विधायी चर्चा और विधि निर्माण की प्रक्रियाओं में प्रतिभागिता हेतु अपने आपको तैयार कर सकें।

ग) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के विभागों के साथ परस्पर संवाद करने के उद्देश्य से राज्य सरकार के विभागों और विधानमंडल सचिवालयों की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण।

घ) निर्धारित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की व्यापक बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) करके बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।

ङ) राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण और नेवा सेवा केंद्र (एनएसके), ई-शिक्षण सह ई-सुविधा केंद्रों की स्थापना करके सदस्यों को सहायता करना।

च) नेशनल क्लाउड (मेघराज) में कार्यान्वयन हेतु सामान्य, मल्टी-टेनेंसी नेवा उत्पाद का विकास और लोकल डाटा सेंटर पर उसकी मिररिंग।

छ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों और राज्य सरकार के अन्य पदाधिकारियों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का परिदान।

ज) नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच मजबूत इलेक्ट्रॉनिक संयोजन अंततः शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करेगा।

झ) नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच ई-संवाद और कुशल संचार उपलब्ध कराना।

ञ) जनता की नजरों में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के सदस्यों और राज्य सरकारों के कर्मचारियों के प्रति अनुभव और उनकी छवि में सुधार करना।

ट) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल में इलेक्ट्रॉनिक प्रक्रियाएं और विभिन्न हितधारकों के बीच सूचना का प्रवाह होगा।

ठ) सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों के सदस्य सभी प्रकार के नोटिस और पत्र अपने-अपने विधायी सचिवालयों को केवल इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करेंगे।

ड) सदन में सभी कागज-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभा पटल पर रखे जाएंगे।

ढ) राज्य विधायी सचिवालय और सरकारी विभागों के बीच सूचना का प्रवाह इलेक्ट्रॉनिक रूप में होगा।

ण) यदि नेवा की आवश्यकता के अनुसार अपेक्षित होगा तो विधायी सचिवालयों में सभी मौजूदा प्रक्रियाओं का पुन: अभियांत्रिकरण किया जाएगा।

त) प्रस्तुतिकरण या अंतरण के लिए सभी दस्तावेजों को हस्ताक्षरित करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर/ई-हस्ताक्षर का प्रयोग किया जाएगा।

थ) नागरिकों तक सूचना के प्रसार के लिए कलागत जी.आई.जी.डब्ल्यू. अनुरूप वेब पोर्टल विकसित करने के लिए एक सामान्य सामग्री प्रबंधन ढांचे का उपयोग किया जाएगा।

2.2 वर्ष-वार आउटपुट/ परिणाम:

2.2.1 भारत संघ में 28 राज्य और 3 संघ राज्य क्षेत्र हैं जिनमें विधायी निकाय हैं। इन सभी 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को नेवा में शामिल किया जाना है। 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में से, 25 में एक सदनीय विधानमंडल हैं और शेष 6 द्विसदनीय हैं। इसके अलावा, 5 राज्य / संघ राज्य क्षेत्र ऐसे हैं जिनके सत्र दो अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जाते हैं जैसे कि जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक और महाराष्ट्र।

इस प्रकार, नेवा में शामिल करने के लिए सभी 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों में स्थानों की कुल संख्या नीचे दिए विवरण अनुसार 44 है:-

क्र.सं.	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**एक सदनीय/ द्विसदनीय**	**विधानसभा/ परिषद**	**सदस्य संख्या**	**स्थान**	**स्थानों की संख्या**
1.	आन्ध्र प्रेश	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	176 58	अमरावती	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	एक सदनीय	विधानसभा	60	इटानगर	1
3.	असम	एक सदनीय	विधानसभा	126	दिसपुर	1
4.	बिहार	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	243 75	पटना	2
5.	छत्तीसगढ़	एक सदनीय	विधानसभा	91	रायपुर	1
6.	गोवा	एक सदनीय	विधानसभा	40	पोरवोरिम	1
7.	गुजरात	एक सदनीय	विधानसभा	182	गाधीनगर	1
8.	हरियाणा	एक सदनीय	विधानसभा	90	चडीगढ़	1
9.*	हिमाचल प्रदेश	एक सदनीय	विधानसभा	68	शिमना +तपोवन	2
10.	झारखड	एक सदनीय	विधानसभा	82	राची	1
11.	कर्नाटक	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	225 75	बेंगलुरू+बेलागावी बेंगलुरू+बेलागावी	4
12.	केरल	एक सदनीय	विधानसभा	141	त्रिवेद्रम	1
13.	मध्य प्रदेश	एक सदनीय	विधानसभा	231	भोपाल	1
14.	महाराष्ट्र	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	278 78	मुंबई + नागपुर मुंबई + नागपुर	4
15.	मणिपुर	एक सदनीय	विधानसभा	60	इफाल	1
16.	मेघालय	एक सदनीय	विधानसभा	60	शिलाग	1

17.	मिजोरम	एक सदनीय	विधानसभा	40	आइजॉल	1
18.	नागालैंड	एक सदनीय	विधानसभा	60	कोहिमा	1
19.	ओडिशा	एक सदनीय	विधानसभा	147	भुवनेश्वर	1
20.	पजाब	एक सदनीय	विधानसभा	117	चडीगढ	1
21.	राजस्थान	एक सदनीय	विधानसभा	200	जयपुर	1
22.	सिक्किम	एक सदनीय	विधानसभा	32	गगटोक	1
23.	तमिलनाडु	एक सदनीय	विधानसभा	235	चेन्नई	1
24.	तेलंगाना	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	120 40	हैदराबाद	2
25.	त्रिपुरा	एक सदनीय	विधानसभा	60	अगरतला	1
26.	उत्तर प्रदेश	द्विसदनीय	विधानसभा परिषद	404 100	लखनऊ	2
27.	उत्तराखंड	एक सदनीय	विधानसभा	71	देहरादून+गैरसेन	2
28.	पश्चिम बगाल	एक सदनीय	विधानसभा	294	कोलकाता	1
29.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	एक सदनीय	विधानसभा	70	दिल्ली	1
30.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	एक सदनीय	विधानसभा	90	श्रीनगर + जम्मू	2
31.	पुदुचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	एक सदनीय	विधानसभा	30	पुदुचेरी	1
कुल	**28 राज्य + 3 संघ राज्य क्षेत्र**			**4549**		**44**

*****शिमला, हिमाचल प्रदेश में दो स्थानों में से एक, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की सहायता से एक प्रायोगिक परियोजना के रूप में पहले ही ई-विधान में शामिल किया जा चुका है। इस प्रकार, नेवा को **31** राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शेष 43 स्थानों पर आरंभ किया जाना है।

2.2.2 यहां यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि किसी राज्य में नेवा परियोजना की सफलता नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के अनुकूल होने के लिए राज्य सरकार के विभागों की ई-तत्परता और पर्यावरण-प्रणाली पर काफी हद तक निर्भर करती है। इसलिए, विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की ई-तत्परता को ध्यान में रखते हुए, सभी 31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल करते हुए नेवा परियोजना को चरणों में पूरा करने का निर्णय लिया गया है।

2.2.3 इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, वर्ष-वार आउटपुट हेतु निम्नलिखित समय-सारणी तैयार की गई है:-

क्र.सं.	**समूह**	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल का नाम**	**लक्ष्य की तारीख**
1.	पहला चरण	बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम	जून, 2020
2.	दूसरा चरण	तेलांगाना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश (तपोवन), अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, पुदुचेरी, नागालैंड	मार्च, 2021
3.	तीसरा चरण	राजस्थान, गोवा, ओडिशा, आन्ध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु	मार्च, 2022

टिप्पणी:- मिशन मोड परियोजनाओं से संबंधित सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी एमएमपी की सफलता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उसका अभिन्न अंग होता है। इसलिए संसदीय कार्य

मंत्रालय ने सभी विधान सभाओं के माननीय सदस्यों और इस विषय से सरोकार रखने वाले राज्य सरकारों के अधिकारियों के अभिविन्यास के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा वाली प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है। 'राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा)' नाम से जानी जाने वाली प्रशिक्षण अकादमी, भारत में अपनी तरह की पहली अकादमी होगी और नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन के साथ-साथ स्थापित की जाएगी। अकादमी के आरंभ होने के बाद, प्रत्येक स्थान पर नेवा सेवा केंद्र (ई-प्रशिक्षण केंद्र) के लिए भाड़े पर ली जाने वाली जनशक्ति की आवश्यकता काफी कम हो जाएगी। अकादमी की स्थापना का प्रस्ताव इस पीआईबी ज्ञापन का हिस्सा नहीं है। इसे उपयुक्त स्तर पर अलग से सक्षम अधिकारियों के विचार/अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। बीच में पड़ने वाली अवधि के दौरान, राज्य प्रशिक्षण संस्थानों, विधानमंडल सचिवालयों आदि में उपलब्ध मौजूदा सुविधाओं का उपयोग क्षमता निर्माण के लिए किया जाएगा।

2.2.4 चूंकि, नेवा परियोजना के पहले चरण को मार्च, 2020 तक पूरा करने की योजना है, मंजूरी की तारीख से परियोजना के विभिन्न चरणों को पूरा करने की कार्य योजना नीचे उल्लिखित है:

ई-विधान संबंधी कार्रवाई के बिंदु

क्र.सं.	मद का विवरण	कार्यकलाप	अवधि
1.	राज्य विधानमंडलों का चयन	साथ-साथ कार्यान्वयन किया जाएगा	अंतिम निर्णय लिया जा चुका है
2.	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन का विकास	•विस्तृत साफ्टवेयर अपेक्षाएं विशेषताएं (एसआरएस), •एसटीएसी, सीपीएमयू, एसपीएमयू का गठन •राज्य वार डीपीआर •उचित प्रौद्योगिकी का चयन •आरएफपी तैयार करना •उत्पाद निर्माण हेतु एजेंसी का चयन •पूर्ण ई-विधान उत्पाद सूट	तैयार है
3.	निजी क्लाउड का बुनियादी ढांचा	नेवा होस्टिंग के लिए निजी क्लाउड का सृजन	सृजन कर लिया गया है
4.	नेवा का आरंभ	राज्यों के लिए नेवा आरंभ हेतु योजना	तीन मास
5.	कार्यान्वयन और प्रशिक्षण	राज्य विधानमंडल के सदस्यों, कार्मिकों और राज्य सरकार के विभागों के कार्मिकों का प्रशिक्षण	वर्तमान में चालू है

2.2.5 परिमेय समय-सीमा में परियोजना का वर्ष-वार आउटपुट / लाभ निम्न प्रकार होगा:-

कार्यकलाप	वर्ष-1		वर्ष-2		वर्ष-3		वर्ष 4-6 (सहायता)		कुल	
	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
राज्य-वार डीपीआर और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना	22 सदन	2.20 करोड़	15 सदन	1.50 करोड़	--	--	--	--	37 सदन	3.70 करोड़
नेवा साफ्टवेयर का विकास/ उन्नयन	37 सदन	1.49 करोड़	--	--	--	--	--	--	37 सदन	1.49 करोड़
नेवा का अनुकूलन, स्थानीयकरण और आरंभ	9 स्थान	2.25 करोड़	16 स्थान	4.00 करोड़	18 स्थान	4.50 करोड़	--	--	43 स्थान	10.75 करोड़
आईटी संबंधी बुनियादी ढांचा (सिविल/ विद्युत)	7 सदन	13.48 करोड़	15 सदन	23.56 करोड़	15 सदन	26.26 करोड़	--	--	37 सदन	63.30 करोड़
हार्डवेयर की खरीद	7 सदन	68.73 करोड़	15 सदन	126.91 करोड़	15 सदन	136.79 करोड़	37 सदन	3 करोड़	37 सदन	335.43 करोड़
नेवा वेबसाइट की सुरक्षा मंजूरी, सुरक्षित साइट और दो मोबाइल ऐप्स तथा एसएसएल प्रमाणपत्र	6	0.05 करोड़	--	--	--	--			6	0.05 करोड़
मानक साफ्टवेयर की खरीद और सुरक्षा मंजूरी के साथ नेशनल क्लाउड (मेघराज) में नेवा की तैनाती	7 सदन	3.48 करोड़	15 सदन	15.00 करोड़	15 सदन	15.99 करोड़	37 सदन	12.19 करोड़	37 सदन	46.66 करोड़
नेवा प्रकोष्ठ की स्थापना	22 सदन	2.00 करोड़	15 सदन	1.50 करोड़	--	--			37 सदन	3.50 करोड़
विधायकों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण	2500	1.00 करोड़	7500	3.00 करोड़	15000	6.00 करोड़	30000	2.73 करोड़	25000	12.73 करोड़
एसपीएमयू के लिए जनशक्ति भाड़े पर लेना	7 सदन	3.21 करोड़	15 सदन	19.22 करोड़	15 सदन	33.12 करोड़	37 सदन	78.40 करोड़	37 सदन	133.95 करोड़

2.3 **परियोजना का परिणाम**: परियोजना के लक्ष्य और उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए और हिमाचल प्रदेश ई-विधान समाधान के अंतर्गत स्वचालित कार्यकलापों के आधार पर, नेवा के कार्यान्वयन के पश्चात, निम्नलिखित सेवाएं डिजिटल रीति के माध्यम से प्रदान की जाएंगी:

क्र.सं.	**कार्यकलाप**	**प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड**
1.	**डिजिटल सदन**	❖ **अध्यक्ष का पैड:** ▯ कार्य और उन सदस्यों की सूची का अवलोकन जिनके नोटिस प्राप्त हुए हैं। ▯ सचिव, मंत्री या अन्य सदस्य के साथ संचार करना। ❖ **सदस्यों का पैड:** ▯ सदन के पटल पर रखे गए सभी कागज-पत्रों का ई-बुक फार्मेट में अवलोकन करना। ▯ किसी विशेष विषय पर बोलने के लिए अध्यक्ष को अनुरोध भेजना। ▯ सदस्यों के बीच टिप्पणियां भेजना और प्राप्त करना। ▯ अध्यक्ष की अनुमति के साथ अविलंबनीय लोक महत्व के मामले की फोटो/वीडियो प्रदर्शित करना। ❖ **मंत्री का पैड:** ▯ सचिव/अधिकारियों द्वारा भेजी गई हस्तलिखित टिप्पणियों का अवलोकन करना। ▯ विभागों की ओर से अनुपूरक उत्तरों का अवलोकन करने की सुविधा। ❖ **भाषण पैड:** ▯ मंत्रियों द्वारा लंबे भाषणों की सुविधा हेतु डिजिटल ई-बुक व्यूअर
2.	**कार्य को नियंत्रित करना**	❖ अध्यक्ष के समय को रिकार्ड करना और डाटा का सदस्य-वार, दल-वार और विषय वार अलगाव। ❖ ई-मतदान को नियंत्रित करने की सुविधा। ❖ ई-मतदान के परिणाम का प्रदर्शन।
3.	**रिपोर्टर शाखा**	❖ कार्यसूची, प्रश्नों और उनके उत्तरों, विधेयकों सहित सदन के पटल पर रखे गए सभी कागज-पत्रों का अवलोकन करने की सुविधा। ❖ सत्र के वीडियो देखने की सुविधा। ❖ सत्र की डिजिटल ऑडियो फाइलों को सुनने की सुविधा। ❖ प्रत्येक रिपोर्टर को आबंटित समयावधि के आधार पर शब्दशः पाठ की प्रविष्टि करने की सुविधा। ❖ रिपोर्टरों के बीच विभिन्न भाषाओं के शब्दशः पाठ को आमेलित करने की सुविधा। ❖ मुख्य रिपोर्टर को शब्दशः रिपोर्ट अंतरित करने की सुविधा। ❖ किन्हीं अन्य बैठकों का शब्दशः रिकार्ड देखने की सुविधा। ❖ दिन की कार्यवाहियों के अंतिम रूपांतर को समेकित करना और तैयार करना। ❖ पब्लिक पोर्टल पर वर्ड/पीडीएफ फार्मेट में दिनों की कार्यवाहियों का प्रकाशन। ❖ कोई संशोधन करने के लिए संबंधित सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में शब्दशः रिकार्ड भेजना। ❖ अंतिम शब्दशः फ़ाइल को सारांश और संपादकीय शाखा में भेजना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
4.	**सारांश शाखा**	❖ रिपोर्टरों द्वारा तैयार किए गए शब्द प्रति शब्द तक पहुंच स्थापित करना। ❖ सारांश के रूप में दिन की कार्यवाही का सार तैयार करना। ❖ पब्लिक पोर्टल पर दोनों भाषाओं में सारांश को प्रकाशित करना।
5.	**संपादकीय शाखा**	❖ रिपोर्टर शाखा से इलेक्ट्रॉनिक फार्मेट में दिन की कार्यवाही प्राप्त करना। ❖ सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों की समेकित ई-फाइल प्राप्त करना। ❖ दिन की कार्यवाहियों का अंतिम संशोधित रूपांतर तैयार करना जिसे आधिकारिक वाद-विवाद कहा जाता है। ❖ पुस्तकालय और सरकारी रिकार्ड में रखने के लिए प्रतियों की न्यूनतम संख्या के मुद्रण हेतु मुद्रण अनुभाग में अंतिम आधिकारिक वाद-विवाद को भेजना। ❖ आधिकारिक वाद-विवाद की इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमणिका तैयार करना। ❖ विभिन्न मानदंडों पर खोज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आधिकारिक वाद-विवाद को उनकी इलेक्ट्रॉनिक अनुक्रमणिका सहित प्रकाशित करना।
6.	**पटल कार्यालय**	❖ कार्यसूची (एल.ओ.बी.) तैयार करना। ❖ ई-बुक/पीडीएफ/वर्ड/टैक्स्ट/एक्स.एम.एल. फार्मेट में एल.ओ.बी. को प्रकाशित करना। ❖ समाचार (बुलेटिन) भाग-। तैयार करना। ❖ ई-बुक/पीडीएफ/वर्ड/टैक्स्ट/एक्स.एम.एल. फार्मेट में बुलेटिन भाग-। प्रकाशित करना। ❖ बुलेटिन भाग-॥ को समेकित करना और अंतिम रूप देना। ❖ ई-बुक/पीडीएफ/वर्ड/टैक्स्ट/एक्स.एम.एल. फार्मेट में बुलेटिन भाग-॥ प्रकाशित करना।
7.	**प्रश्न**	**प्रश्न शाखा:** ❖ सदस्यों द्वारा प्रश्न नोटिसों की ऑनलाइन/ऑफलाइन प्रविष्टि। ❖ प्रश्नों की डायरी। ❖ प्रश्नों के पाठों को टाइप करना। ❖ राज्य सरकार के संबंधित विभागों को अनंतिम प्रश्नों को भेजना। ❖ प्रश्नों की स्वीकर्यता। ❖ प्रश्नों को मिला देना। ❖ सदस्यों की प्राथमिकता का निर्णय करने के लिए प्राप्त हुए प्रश्न नोटिसों का बैलेट। ❖ तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के लिए अंतिम प्रश्न सूची तैयार करना। ❖ प्रश्नों और उनके उत्तरों को प्रश्न काल के पश्चात पब्लिक पोर्टल पर प्रकाशित करना। **राज्य सरकार के संबंधित विभाग:** ❖ प्रश्नों को स्वीकार करना और उनके उत्तर तैयार करना। ❖ प्रश्नों को दूसरे विभागों में भेजना और उसकी सूचना प्रश्न शाखा को देना। ❖ अंतिम रूप से चयनित प्रश्नों के उत्तर प्रस्तुत करना। ❖ प्रश्न की तारीख को एक घंटा पहले तक उत्तरों को अद्यतित करना। ❖ संबंधित मंत्री के उपयोग के लिए तारांकित प्रश्न के संभावित अनुपूरक प्रश्न और उनके उत्तर तैयार करना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
		मंत्री: ❖ यथासमय पहले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच स्थापित करना। ❖ अनुपूरक प्रश्नों और उनके उत्तरों का अवलोकन करना। ❖ प्रश्न काल के दौरान विभाग के अधिकारियों से हस्तलिखित टिप्पणियां प्राप्त करना। **सचिव:** ❖ यथासमय पहले तारांकित और अतारांकित प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच स्थापित करना। ❖ मंत्रियों को ब्रीफ करना। पूछे गए अनुपूरक प्रश्नों पर मंत्री के उपयोग के लिए हस्तलिखित टिप्पणियां तैयार करना।
8.	**सदस्यों का सुरक्षित पोर्टल**	❖ सभी प्रकार के नोटिसों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना। ❖ पूछे जाने वाले अनुपूरक प्रश्न तैयार करने के उद्देश्य से प्रश्न काल से एक घंटा पहले तारांकित प्रश्नों के उत्तरों तक पहुंच स्थापित करना। ❖ अपनी वेतन पर्ची, बैंक को भुगतान, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिल, चिकित्सा बिल, बिजली और पानी बिल, टेलीफोन बिल इत्यादि का अवलोकन करना। ❖ विभिन्न समितियों की बैठकों की समय-सारणी और उनकी कार्यसूची का अवलोकन करना। ❖ अध्ययन दौरे, दौरे का विवरण और उनकी यात्रा के कार्यक्रम का अवलोकन करना। ❖ विभिन्न समितियों के प्रतिवेदनों का अवलोकन करना। ❖ संबंधित शाखा द्वारा तैयार किए गए मसौदा प्रतिवेदनों का अवलोकन करना। ❖ मसौदा प्रतिवेदनों में अपनी आपत्तियां/वांछित परिवर्तन प्रस्तुत करना। ❖ राज्य विधानमंडल विभाग के साथ संचार करना। ❖ लोगों के विभिन्न समूहों के साथ संचार करने के लिए सामूहिक एस.एम.एस./सामूहिक ई-मेल का उपयोग। ❖ फोटोग्राफ सहित सदस्य का प्रोफाइल प्रस्तुत करना और अद्यतन करना। ❖ नागरिकों के लिए चित्रों और वीडियोज की अनुकूलित फोटो/पिक्चर गैलरी तैयार करना और अद्यतन करना। ❖ अपने व्यैक्तिक स्टाफ के लिए पास जारी करने करने के लिए अनुरोध प्रस्तुत करना। ❖ आगंतुकों के पास हेतु अनुरोध प्रस्तुत करना।
9.	**विधेयक प्रबंधन**	**सरकारी विभाग:** ❖ पुर:स्थापित किए जाने वाले विधेयकों को अपलोड करना। ❖ सहमति दिए जाने तक विधेयकों के सभी अन्य उत्तरवर्ती रूपांतर अपलोड करना। ❖ संवीक्षा और सुझाव तथा विधेयक में आशोधन। **विधायी शाखा:** ❖ विधेयकों का डाटाबेस रखना। ❖ जैसे-जैसे विधेयक आगे बढ़ता है, विभिन्न तारीखों को अद्यतित करना। ❖ विधेयक को राज्यपाल की सहमति हेतु भेजना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
		❖ यदि संसद की सहमति जरूरी है तो विधेयक को केंद्र सरकार के पास भेजना। ❖ विधेयक को सदन द्वारा वांछित रूप में विभिन्न समितियों के पास भेजना। **समिति शाखा:** ❖ विधेयकों पर जनता की राय/सुझाव मांगना। ❖ जनता की राय/सुझावों की संवीक्षा। ❖ जनता की राय/सुझावों को सार के रूप में समिति के विचार-विमर्श हेतु प्रस्तुत करना। ❖ समिति के अध्यक्ष द्वारा दिए गए अंतिम रूप के अनुसार विधेयक पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देना। **नागरिक:** ❖ विधेयकों पर ऑनलाइन राय/सुझाव प्रस्तुत करना। **राज्य विधानमंडलों के सदस्य:** विधेयक दस्तावेज की संवीक्षा और संशोधनों का सुझाव देना।
10.	**निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन**	**सदस्य:** ❖ सदस्य के कैलेंडर (बैठक, दौरा, यात्रा, जनता से मिलने का समय इत्यादि) को अद्यतित करना। ❖ विभिन्न पदाधिकारियों के संपर्क विवरण का अद्यतित करना। ❖ लोक शिकायतों को देख और उन्हें संबंधित प्राधिकारियों को भेजना। ❖ विलंब के मामले में अनुस्मारक भेजना। ❖ नागरिकों को एक साथ अनेक एस.एम.एस./ई-मेज भेजना। ❖ एमएलए/एमएलसी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि के तहत निष्पादन हेतु निर्माण कार्य/प्रस्तावों की सूची प्रस्तुत करना। ❖ निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति की निगरानी और समीक्षा करना। **नागरिक:** ❖ वेब और मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन लोक शिकायतें प्रस्तुत करना। ❖ जनता की मांगों को ऑनलाइन प्रस्तुत करना। **अन्य सरकारी विभाग:** ❖ लोक शिकायतों की वर्तमान स्थिति को अद्यतित करना। ❖ जनता की मांगों की वर्तमान स्थिति को अद्यतित करना। ❖ सदस्य द्वारा अग्रेषित किए गए विषय पर उत्तर प्रस्तुत करना। ❖ उनके निर्वाचन क्षेत्रों में विभिन्न नई और चालू परियोजनाओं/निर्माण कार्यों की मासिक वित्तीय और भौतिक प्रगति को अद्यतित करना।
11.	**विधान**	**विधायी शाखा:** ❖ सत्र का बुलाया जाना; ❖ सत्र का अनंतिम कैलेंडर; ❖ विशेष उल्लेख; ❖ संकल्प; ❖ अनियत दिन वाले प्रस्ताव; ❖ अविलंबनीय लोक महत्व के मामले; ❖ शून्य काल

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
12	**समितियां**	**समिति सचिवालय:** ❖ समितियों का गठन; ❖ उप-समितियों का गठन; ❖ ई-फाइलों का खोला जाना; ❖ बैठक की समय-सारणी; ❖ दौरा/यात्रा कार्यक्रम; ❖ समितियों की सदस्यता का रखरखाव; ❖ समिति के प्रतिवेदन तैयार करना; ❖ संबंधित सरकारी विभागों के साथ पत्राचार; ❖ विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों की संवीक्षा; ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक; ❖ एसएमएस/ई-मेल एकीकरण; ❖ सदन के पटल पर प्रतिवेदनों का रखा जाना; ❖ अनुवर्ती कार्रवाई प्रतिवेदनों में सहायता करना; ❖ किसी विशेष विषय पर जनता की राय मांगना; ❖ सामग्रियों की जांच और संसाधन; ❖ मौखिक जांच के लिए प्रश्नावली तैयार करना; ❖ विभिन्न बैठकों के शब्दश: प्रतिवेदनों का रखरखाव करना; ❖ सभी संबंधित सूचना/डाटा पब्लिक पोर्टल पर अपलोड करना। **सरकारी विभाग:** ❖ सभी प्रकार के दस्तावेजों/प्रतिवेदनों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रस्तुत करना; ❖ समिति सचिवालय से प्राप्त प्रश्नों के ऑनलाइन उत्तर उपलब्ध कराना। **समिति के सदस्य:** ❖ बैठक के नोटिसों, दौरा कार्यक्रम का ऑनलाइन अवलोकन करना; ❖ समिति सचिवालय द्वारा भेजी गई अध्ययन सामग्री की ऑनलाइन प्राप्ति; ❖ सरकारी विभागों द्वार भेजे गए उत्तरों की ऑनलाइन समीक्षा।
13.	**सदस्य सुविधाएं (एम.ए.)**	**सदस्य सुविधा शाखा:** ❖ सदस्य का व्यक्तिगत विवरण, संपर्क विवरण; ❖ सरकारी आवास का आबंटन; ❖ बिजली/पानी कनेक्शन उपलब्ध कराना; ❖ टेलीफोन/मोबाइल और इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना; ❖ सदस्यों की शिकायतों और अनुरोधों का त्वरित समाधान। **सदस्य:** ❖ ऑनलाइन शिकायतें/अनुरोध प्रस्तुत करना।
14.	**सदस्य वेतन और भत्ते (एम.एस.ए.)**	**एम.एस.ए. शाखा:** ❖ सदस्यों के वेतन बिल तैयार करना और वेतन पर्चियों का प्रकाशन करना; ❖ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता बिलों, चिकित्सा बिलों की ऑनलाइन प्राप्ति; ❖ बिलों (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता, चिकित्सा, टेलीफोन, बिजली, पानी, मकान किराया, मोबाइल, इंटरनेट इत्यादि) की प्रतिपूर्ति का संसाधन।

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
15.	**खरीद और स्टोर**	**स्टोर माल सूची एप्लिकेशन:** ❖ मदों की खरीद; ❖ ऑनलाइन अनुरोधों की प्राप्ति; ❖ मदें जारी करना; ❖ विक्रेताओं को भुगतान; ❖ स्टोर माल सूची का स्वचालित अद्यतनीकरण; ❖ विभिन्न रजिस्टरों/रिपोर्टों का सृजन। **राज्य विधानमंडल सचिवालय शाखाएँ:** ❖ विभिन्न मदों को जारी करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध।
16.	**डिजिटल अभिलेखागार**	❖ राज्य विधानमंडलों की शुरूआत से सभी सरकारी वाद-विवाद, समिति रिपोर्ट, अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट, विधेयक आदि के लिए ऑनलाइन खोजनीय संग्रह का निर्माण।
17.	**पुस्तकालय**	**पुस्तकालय:** ❖ पुस्तकों, पत्र-पत्रिकाओं आदि की खरीद सहित पुस्तकालय की सभी प्रक्रियाओं का स्वचालन, ऑनलाइन कैटलॉग तैयार करना, स्टॉक प्रविष्टि, पुस्तकें जारी करना और उनकी वापसी, पुस्तकें लौटाने में देरी के लिए उपयोगकर्ताओं को ऑनलाइन अनुस्मारक, खोई हुई पुस्तकें, जुर्माने की पावती और प्रस्तुति, एसएमएस/ई-मेल एकीकरण, डिजिटल सामग्री की खोज और पुन:प्राप्ति। **सदस्य संदर्भ सेवा:** ❖ जानकारी के लिए अनुरोधों की ऑनलाइन पावती; ❖ विभिन्न स्रोतों से सामग्री चुनना; ❖ सदस्य के इनबॉक्स में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री अपलोड करना; ❖ एसएमएस/ई-मेल सुविधा का एकीकरण।
18.	**सरकारी आश्वासन**	**आश्वासन शाखा:** ❖ शब्दशः रिकॉर्ड से आश्वासनों को चुनना; ❖ चुने गए आश्वासनों का डेटाबेस बनाना; ❖ संबंधित सरकारी विभागों को ऑनलाइन सूचना; ❖ एसएमएस/ई-मेल का एकीकरण; ❖ समिति के विचार के लिए आश्वासन की स्थिति रिपोर्ट तैयार करना; ❖ सरकारी विभागों को अनुस्मारक भेजना; ❖ समय विस्तार के संबंध में ऑनलाइन जानकारी; ❖ सदन में आश्वासनों की पूर्ति रिपोर्ट को पटल पर रखना। **सरकारी विभाग:** ❖ एक खास विभाग से संबंधित आश्वासन डाटाबेस तक ऑनलाइन पहुंच; ❖ आश्वासनों की स्थिति को अद्यतन करना; ❖ समय विस्तार, छोड़ने तथा स्थानांतरण के लिए अनुरोध करना; ❖ अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
19.	**मोबाइल ऐप्स**	**सदन के कार्य के लिए मोबाइल ऐप:** ❖ सत्र कैलेंडर; ❖ कार्यसूची; ❖ सभापटल पर रखे गए कागज-पत्र; ❖ समाचार भाग-I और समाचार भाग-II; ❖ वाद-विवाद का सार; ❖ शब्दशः कार्यवाही; ❖ प्रश्न सूची; ❖ प्रश्न/उत्तर खोज; ❖ सरकारी आश्वासन खोज; ❖ सदस्य खोज; ❖ विधेयक खोज; ❖ राज्य विधानमंडल सचिवालय का संपर्क विवरण। **शिकायतें/मांग प्रस्तुत करने और प्रबंधन के लिए मोबाइल ऐप:** ❖ नागरिक और जन प्रतिनिधियों के बीच दो तरफा संचार सुविधा; ❖ शिकायतों अथवा मांगों का ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण; ❖ जन प्रतिनिधियों द्वारा नागरिकों की मांगों/शिकायतों का अवलोकन; ❖ मोबाइल ऐप के माध्यम से ही विभिन्न सरकारी समूहों को मांगें/शिकायतें अग्रेषित करना; ❖ विभिन्न सरकारी समूहों द्वारा मांगों/ शिकायतों की स्थिति का अद्यतनीकरण; ❖ सदस्यों द्वारा लंबित मांगों/शिकायतों की स्थिति का अवलोकन; **बजट के लिए मोबाइल ऐप:** ❖ ई-बुक प्रारूप में बजट संबंधी सभी दस्तावेजों (वित्तीय वर्षवार) तक पहुँच; ❖ बजट दस्तावेजों पर खोज। **ई-निर्वाचन क्षेत्र के लिए मोबाइल ऐप:** ❖ जीआईएस आधारित ई-निर्वाचन क्षेत्र ऐप; ❖ निर्वाचन क्षेत्र की आबादी, सीमा, ❖ नागरिकों से प्राप्त मुद्दों/शिकायतों/मांगों की संख्या का मानचित्र आधारित अवलोकन और निपटारा।
20.	**ई-ऑफिस कार्यान्वयन**	**सभी राज्य विधानमंडलों में ई-ऑफिस कार्यान्वयन:** ❖ कर्मचारी डेटाबेस; ❖ सेवा पुस्तिका; ❖ छुट्टी प्रबंधन; ❖ ऋण और अग्रिम; ❖ छुट्टी यात्रा भत्ता; ❖ न्यायालय मामले; ❖ ई-फाइल; ❖ यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता का दावा; ❖ अनुपूरक बिल; ❖ आयकर रिटर्न; ❖ सरकारी वाहनों का आबंटन; ❖ सरकारी आवास; ❖ कर्मचारियों की आधार आधारित उपस्थिति

क्र.सं.	कार्यकलाप	प्रस्तावित सेवाएं/मानदंड
21.	सार्वजनिक पोर्टल	❖ जनता को सूचना के प्रसार के लिए राज्य विधानमंडलों के वेब पोर्टल आधारित सामग्री प्रबंधन ढांचा (सीएमएफ); ❖ सार्वजनिक पोर्टल पर सदन की कार्यवाहियों का लाइव वेबकास्ट उपलब्ध होगा।
22.	**उपयोगकर्ता प्रबंधन**	**सूपर एडमिनिस्ट्रेटर के लिए:** ❖ विभिन्न उपयोगकर्ता किस्मों/उप-किस्मों का सृजन; ❖ कार्यात्मक मॉड्यूल/उप-मॉड्यूल का सृजन; ❖ सदस्यों, सचिवों आदि जैसे सभी उच्च स्तरीय उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन की स्वीकृति; ❖ भूमिकाओं का सृजन और उपयोगकर्ताओं को भूमिकाओं का आबंटन। **स्वयं सेवा के लिए:** ❖ सदस्य/अधिकारी अपना पंजीकरण आधार नंबर और मोबाइल नंबर के साथ करा सकते हैं; ❖ उपयोगकर्ता उच्च अधिकारियों द्वारा सत्यापन और अनुमोदन के लिए अनुरोध कर सकते हैं; ❖ प्रमाणीकरण के पश्चात यूजरनेम और पासवर्ड पंजीकृत मोबाइल नंबर/ई-मेल पर भेजा जाएगा; ❖ प्रत्येक उपयोगकर्ता की भूमिका लिए विशिष्ट डैशबोर्ड; ❖ आधार और पासवर्ड आधारित सत्यापन के अतिरिक्त, अधिकारी डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र द्वारा अपने काम को प्रमाणित कर सकते हैं।
23.	**केंद्रीकृत पास प्रकोष्ठ**	❖ सदस्यों को पहचान पत्र जारी करना; ❖ कर्मचारियों को पहचान पत्र जारी करना; ❖ विभिन्न सरकारी विभागों के अधिकारियों को पहचान पत्र जारी करने के अनुरोध की ऑनलाइन पावती; ❖ आगंतुक पास जारी करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध; ❖ अधिकृत प्रेस/मीडिया पत्रकार को पहचान पत्र जारी करने के लिए ऑनलाइन अनुरोध; ❖ सदस्यों और अन्य व्यक्तियों को पार्किंग लेबल जारी करना; ❖ विभिन्न प्रकार के प्रवेश पत्रों को जारी करने के लिए ऑनलाइन पुलिस सत्यापन प्रक्रिया; ❖ विभिन्न प्रकार के प्रवेश पत्रों पर डेटा विश्लेषण। **सुरक्षा अधिकारी:** ❖ क्यूआर कोड या पास कोड रिडिंग से प्रवेश पत्र का सत्यापन; ❖ पास धारकों को प्रवेश की अनुमति देने और इनकार करने का प्रावधान; ❖ व्यक्तियों की सूची का अवलोकन जिन्हें दर्शक दीर्घा पास जारी किए गए हैं (समय स्लॉट वार/तिथि वार)।
24.	**मीडिया डेस्क**	❖ प्रत्येक राज्य विधानमंडल में एक मीडिया डेस्क की स्थापना की जाएगी। सदन की कार्यवाहियों को कवर करने के लिए पत्रकारों को लैन/इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ 25 कंप्यूटरों का एक सेट उपलब्ध कराया जाएगा। यह प्रिंट मीडिया में सदन में कार्य से संबंधित समाचार को तेजी से मुद्रण की सुविधा प्रदान करेगा।

2.4 संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा ऐसी कोई भी परियोजना लागू नहीं की जा रही है, जो नेवा परियोजना के के साथ अतिव्यापन करती हो।

2.5 ई-विधान 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 8.12 करोड़ रुपये की कुल लागत पर लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान के अनुसार, ई-विधान के कार्यान्वयन से पहले अकेले कागज की वार्षिक खपत पर उनके 5.08 करोड़ रूपये खर्च होते थे, जो 6096 वृक्षों के बराबर है। यदि मुद्रण, डाक, जनशक्ति आदि सहित पूरे उपरिव्यय की लागत को भी शामिल किया जाए तो विधानसभा को चलाने का खर्च सालाना 15 करोड़ रुपये था। अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बहिर्वेशन किया जाता है, तो ई-विधान के कार्यान्वयन के कारण 693.94 करोड़ रूपये की परियोजना लागत पर लगभग 435 करोड़ रूपये की सालाना बचत होगी। इसलिए, यह परियोजना दो साल से भी कम की छोटी अवधि में ही स्वयं अपनी कीमत निकाल लेगी।

2.6नेवा परियोजना में एक लिंग संतुलन दृष्टिकोण है क्योंकि इसका उपयोग सभी समान सहजता से करेंगे।

2.7 नेवा के चरणबद्ध कार्यान्वयन को अंतिम रूप देते समय, राज्य सरकार के विभागों की ई-तत्परता सर्वाधिक महत्वपूर्ण हैं, तथापि पूर्वोत्तर राज्यों को उचित महत्व दिया गया है। वास्तव में, मार्च 2021 तक पहले दो चरणों के दौरान सभी पूर्वोत्तर राज्यों को नेवा में शामिल किया जाना है।

2.8 नेवा तक पहुंच स्थापित करने के लिए, सत्यापन/प्रमाणीकरण प्रयोजनों के लिए उपयोगकर्ता के आधार/यूआईडी नंबर और ई-हस्ताक्षर को जोड़ा जाएगा । माननीय सदस्य अपने आधार/यूआईडी नंबर का उपयोग करके अथवा डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) का उपयोग करके ई-साइनिंग के माध्यम से एप्लिकेशन में लॉगिन कर सकेंगे। उपयोग को सरल बनाने के उपाय के रूप में ई-विधान प्रणाली में प्रवेश करने के लिए दोनों सुविधाओं को सक्षम किया जा रहा है। नागरिक अपनी शिकायत अथवा प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए आधार आधारित प्रमाणीकरण द्वारा प्रणाली में लॉगिन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के साथ नेवा के एकीकरण के लिए भी प्रावधान किया गया है।

2.9 राज्य विधानमंडलों के सदस्य, राज्य सरकार के विभाग, सभी राज्य विधानमंडल, मीडिया, भारतीय संसद और नागरिक ई-विधान परियोजना के हितधारक हैं। चूंकि, विधानसभा/विधान परिषद सदस्य 'स्थानीय क्षेत्र विकास (LAD) निधि' की निगरानी नेवा परियोजना के बताए गए फायदों में से एक है, इसलिए, पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नेवा का हिस्सा बने रहेंगे क्योंकि ऐसी सभी स्थानीय क्षेत्र विकास परियोजनाए निरपवाद रूप से ऐसे निकायों के माध्यम से ही

कार्यान्वित की जाती हैं।

3. परियोजना की लागत:

3.1 नेवा परियोजना की कुल अनुमानित लागत रू.673.94 करोड़ है। अनुमानित लागत का मुख्य शीर्ष-वार ब्रेकअप नीचे दिया गया है।

अनुमानित लागत-मुख्य शीर्ष

क्र.सं	संघटक	केंद्र की हिस्सेदारी	राज्य की हिस्सेदारी	कुल लागत (करोड़ में)
1.	राज्य वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट	-	3.70	3.70
2.	आईटी-बुनियादी ढांचा (सिविल/विद्युत कार्य)	0.06	63.24	63.30
3.	नेवा साफ्टवेयर लागत	1.49	-	1.49
4.	नेवा ग्राहकीकरण और शुरूआत	10.75	-	10.75
5.	हार्डवेयर लागत – i) सीपीएमयू=0.88 ii)सदन और नेवा सेवा केंद्र=334.55	271.54	63.89	335.43
6.	मानक साफ्टवेयर लागत और सुरक्षा लेखा परीक्षा सहित मेघराज में नेवा की तैनाती	46.66	-	46.66
7.	केंद्रीय स्तर पर सीपीएमयू, नेवा के लिए जनशक्ति लागत (3 वर्ष)	5.20	-	5.20
8.	राज्य स्तर पर नेवा सेवा केंद्र और सीपीएमयू के लिए जनशक्ति लागत (3 वर्ष) (36 राज्यों के सदन हिमाचल प्रदेश को छोड़कर)	44.65	89.30	133.95
9.	डिजिटल अभिलेखागार	-	18.00	18.00
10.	सूचना का प्रचार और प्रसार	20.15	9.62	29.77
11.	यात्रा व्यय सहित क्षमता निर्माण (सीपीएमयू के लिए)	12.73	-	12.73
12.	फुटकर खर्च और अन्य विविध शुल्क (परियोजना लागत का 1%)	6.48	-	6.48
13.	कार्यान्वयन एजेंसी शुल्क (एनआइसीएसआइ)	3.89	2.59	6.48

	(परियोजना लागत का 1%)			
14.	कुल परियोजना लागत	423.60	250.34	673.94
15.	सीएसएस पैटर्न पर परियोजना लागत में केंद्र की हिस्सेदारी i) राज्यों को सहायता – 315.31 ii) सीपीएमयू व्यय – 108.29			423.60
16.	सीएसएस पैटर्न पर परियोजना लागत में राज्य की हिस्सेदारी			250.34

इस प्रकार, डीपीआर में अनुमानित रु.739 करोड़ की हिस्सेदारी के मुकाबले परियोजना की पूरी लागत में केंद्रीय हिस्सेदारी को घटाकर रू.423.60 करोड़ कर दिया गया है क्योंकि शेष रू.250.34 करोड़ की राशि को सीएसएस पैटर्न पर राज्य सरकारों द्वारा पर वहन किया जाएगा।

चूंकि, माननीय राज्यपालों को सदन (सदनों) को संबोधित करने की जरूरत होती है इसलिए संबंधित विधानमंडलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली (वीसी) के माध्यम से राजभवन से जोड़ा जाना है, इसलिए लागत अनुमानों में वीसी के लिए प्रावधान रखा गया है।

इस परियोजना की सफलता के उद्देश्य से, यह आवश्यक है कि राज्य प्रशासन का पारिस्थितिक तंत्र तकनीकी और अवसंरचना-वार इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के अनुकूल बनने के लिए तैयार हों ताकि विधानमंडल और राज्य सरकारों के विभाग दोनों एक दूसरे के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से परस्पर संवाद कर सकें। अत: विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ई-तत्परता को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि नेवा परियोजना के कार्यान्वयन को आसान बनाने के लिए सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को तीन अलग-अलग चरणों में कवर किया जाए।

3.2 संसदीय कार्य मंत्रालय की रणनीति के अनुसार, नेवा को 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी 43 स्थानों को कवर करते हुए तीन चरणों में शुरू किया जाएगा। संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलैक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार प्रारंभिक डीपीआर के आधार पर तीन चरणों में से प्रत्येक के लिए अनुमानित लागत का विवरण निम्न प्रकार है:-

क्र.सं.	**चरण**	**राज्य/विधानमंडल का नाम**	**नियत तारीख**	**3 वर्षों के लिए अनुमानित लागत (करोड में)**
1.	पहला चरण	बिहार, गुजरात, कर्नाटक, पंजाब, सिक्किम	जून, 2020	रू.125.23 *(72.92 करोड केंद्र की हिस्सेदारी)*
2.	दूसरा चरण	तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश (तपोवन), अरूणाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, असम, मिज़ोरम,	मार्च, 2021	रू.199.83 *(126.97 करोड केंद्र की हिस्सेदारी)*

		त्रिपुरा, मेघालय, पुद्दुचेरी, नागालैंड		
3.	तीसरा चरण	राजस्थान, गोवा, ओडिसा, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिल नाडु	मार्च, 2022	रू.240.59 *(115.42 करोड केंद्र की हिस्सेदारी)*
4.	3 वर्षों के लिए सीपीएमयू पर खर्च			रू.108.29
	कुल अनुमानित लागत (करोड रूपयों में)			**रू.673.94**

प्रारंभिक डीपीआर में सूचित किए गए रूप में नेवा परियोजना की लागत का अनुमान लगाते समय हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान कार्यान्वयन के अनुभव और विभिन्न राज्य विधानमंडलों से प्राप्त जानकारी के आधार पर कुछ घटकों के लिए कुछ पूर्वानुमान लगाया गया है। इस तरह के पूर्वानुमानों का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है। (स्रोत: प्रारंभिक डीपीआर)

उक्त पूर्वानुमानों के आधार पर, नेवा परियोजना के लिए आवश्यक विभिन्न वस्तुओं की मात्रा का विवरण **अनुबंध II से VII** में दिया गया है। (स्रोत: प्रारंभिक डीपीआर)।

नेवा एमएमपी के लिए आवश्यक जनशक्ति सहित विभिन्न वस्तुओं की खरीद की अनुमानित लागत का विवरण **अनुबंध- VIII से XIX** में दिया गया है (स्रोत: प्रारंभिक डीपीआर)।

आवश्यक जनशक्ति और उसमें शामिल अनुमानित लागत का विवरण **अनुबंध-XX** में दिया गया है (स्रोत: प्रारंभिक डीपीआर)।

नेवा एमएमपी को लागू करने में शामिल अनुमानित लागत (शीर्ष-वार) का विवरण **अनुबंध-XXI** में दिया गया है (स्रोत: प्रारंभिक डीपीआर)।

3.3 कुल अवधि जिसके दौरान परियोजना के तहत सभी विधान सभाओं/परिषदों को शामिल करने किया जाना है, परियोजना की शुरूआत की तारीख से तीन साल है। इसके अतिरिक्त, संसदीय मंत्रालय द्वारा प्रत्येक स्थान पर लाइव होने की तारीख से पहले तीन वर्षों के लिए तकनीकी/जनशक्ति और रखरखाव सहायता प्रदान की जाएगी ताकि राज्य विधान सभाओं/सचिवालयों में कंप्यूटर/लैपटॉप की स्थापना महज नौटंकी बनकर न रह जाए। नेवा सेवा केंद्र (एनएसके) और एसपीएमयू हेतु जनशक्ति के वित्तपोषण के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी परियोजना की पूरी अवधि के लिए प्रस्ताव में निहित एक तिहाई प्रावधानों तक सीमित होगी और शेष दो-तिहाई को राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा। इसके पश्चात, पूरी परियोजना को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा तथा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की भूमिका नेवा सॉफ्टवेयर संबंधी समन्वय/निगरानी, रखरखाव/उन्नयन और विधानसभा सदस्यों/अधिकारियों के प्रशिक्षण तक सीमित रहेगी ताकि नेवा परियोजना बिना किसी गड़बड़ के सदैव चलती रहे। इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, परियोजना वित्तीय वर्ष 2024-25 के अंत तक जारी रहेगी।

3.4 उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, नेवा परियोजना के लागत अनुमान का विवरण: आवर्ती और गैर-आवर्ती रूप में वर्ष-वार और घटक-वार निम्न प्रकार हैं:-

क्र.सं.	वर्ष	घटक	गैर-आवर्ती (रू. करोड में)	आवर्ती (रू. करोड में)	कुल (रू. करोड में)
1.	2019-20	डीपीआर और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट (22 सदन)	2.20	0	2.20
		नेवा साफ्टवेयर लागत	1.49	0	1.49
		नेवा ग्राहकीकरण और शुरूआत	2.75	0	2.75
		आईटी-बुनियादी ढांचा (सिविल/विद्युत)	13.48		13.48
		हार्डवेयर लागत	68.73	0	68.73
		साफ्टवेयर और नेवा तैनाती की लागत	3.48	0	3.48
		डिजिटल अभिलेखागार	0	0	0
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.85	0.85
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	3.21	3.21
		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	3.18	0	3.18
		कुल	**95.31**	**4.06**	**99.37#**

भारत सरकार की हिस्सेदारी -59.28 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी-40.09 करोड़

क्र.सं.	वर्ष	घटक	गैर-आवर्ती (रू. करोड में)	आवर्ती (रू. करोड में)	कुल (रू. करोड में)
1.	2020-21	डीपीआर और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट (15 सदन)	1.50	0	1.50
		आईटी-बुनियादी ढांचा (सिविल/विद्युत)	23.56	0	23.56
		साफ्टवेयर और नेवा तैनाती लागत	13.93	1.07	15.00
		हार्डवेयर लागत	126.91	0	126.91
		डिजिटल अभिलेखागार	1.50	0	1.50
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.85	0.85
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	19.22	19.22
		नेवा ग्राहकीकरण और शुरूआत	3.75	0	3.75
		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	11.61	0	11.61
		कुल	**182.76**	**21.14**	**203.90 ##**

भारत सरकार की हिस्सेदारी-140.98 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी-62.92 करोड़

क्र.सं.	वर्ष	घटक	गैर-आवर्ती (रू. करोड में)	आवर्ती (रू. करोड में)	कुल (रू. करोड में)
1.	2021-22	आईटी-बुनियादी ढांचा (सिविल/विद्युत)	26.26	0	26.26
		साफ्टवेयर और नेवा तैनाती लागत	13.06	2.93	15.99
		हार्डवेयर लागत	136.79	0	136.79
		डिजिटल अभिलेखागार	7.50	0	7.50
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.85	0.85
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	33.12	33.12
		नेवा ग्राहकीकरण और शुरूआत	4.25	0	4.25
		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	10.79	0	10.79
		कुल	**198.65**	**36.90**	**235.55 ###**

###भारत सरकार की हिस्सेदारी-154.25 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी-81.30 करोड़

क्र.सं.	वर्ष	घटक	गैर-आवर्ती (रू. करोड में)	आवर्ती (रू. करोड में)	कुल (रू. करोड में)
1.	2022-23	साफ्टवेयर और नेवा तैनाती लागत	0	4.72	4.72
		हार्डवेयर लागत	1.00	0	1.00
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.85	0.85
		डिजिटल अभिलेखागार	9.00	0	9.00
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	31.77	31.77
		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	12.91	0	12.91
		कुल	**22.91**	**37.34**	**60.25 @**

@भारत सरकार की हिस्सेदारी-154.25 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी-81.30 करोड़

क्र.सं.	वर्ष	घटक	गैर-आवर्ती (रू. करोड में)	आवर्ती (रू. करोड में)	कुल (रू. करोड में)
1.	2023-24	साफ्टवेयर और नेवा तैनाती लागत	0	4.12	4.12
		हार्डवेयर लागत	1.00	0	1.00
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.90	0.90
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	29.43	29.43

		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	9.31	0	9.31
		कुल	**10.31**	**34.45**	**44.76** @@

@@भारत सरकार की हिस्सेदारी-21.42 करोड़ और राज्यों की हिस्सेदारी-23.34 करोड़

क्र.सं.	**वर्ष**	**घटक**	**गैर-आवर्ती (रू. करोड में)**	**आवर्ती (रू. करोड में)**	**कुल (रू. करोड में)**
1.	2024-25	साफ्टवेयर और नेवा तैनाती लागत	0	3.35	3.35
		हार्डवेयर लागत	1.00	0	1.00
		जनशक्ति लागत सीपीएमयू	0	0.90	0.90
		डिजिटल अभिलेखागार	0	0	0
		एसपीएमयू और नेवा सेवा केंद्र के लिए जनशक्ति लागत	0	17.20	17.20
		फुटकर, यात्रा, प्रचार, क्षमता निर्माण और अन्य खर्च, कर सहित	7.66	0	7.66
		कुल	**8.66**	**21.45**	**30.11** @

@भारत सरकार का हिस्सा-12.91 करोड़ और राज्य का हिस्सा-17.20 करोड़

3.5 संक्षेप में, सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन की वर्ष-वार लागत निम्न प्रकार होगी:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**गैर-आवर्ती (रू. करोड में)**	**आवर्ती (रू. करोड में)**	**कुल (रू. करोड में)**
1.	2019-2020	95.31	4.06	99.37
2.	2020-2021	182.76	21.14	203.90
3.	2021-2022	198.65	36.90	235.55
4.	2022-2023	22.91	37.34	60.25
5.	2023-2024	10.31	34.45	44.76
6.	2024-2025	8.66	21.45	30.11
	कुल	**518.60**	**155.34**	**673.94**

3.6 सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन हेतु केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी का वर्ष-वार लागत अनुमान निम्न प्रकार होगा:-

क्र.सं.	**वर्ष**	**केंद्र की हिस्सेदारी**	**राज्य की हिस्सेदारी**	**कुल (रू. करोड में)**
1,	2019-2020	59.28	40.09	99.37
2.	2020-2021	140.98	62.92	203.90
3.	2021-2022	154.25	81.30	235.55
4.	2022-2023	34.76	25.49	60.25
5.	2023-2024	21.42	23.34	44.76

6.	2024-2025	12.91	17.20	30.11
	कुल	**423.60**	**250.34**	**673.94**

3.7 हिमाचल प्रदेश विधान सभा वर्ष 2014 में इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता के साथ पथप्रवर्तक ई-शासन समाधान, ई-विधान को लागू करके भारत की पहली उच्च तकनीक वाली विधानसभा बन चुकी है।

हिमाचल प्रदेश विधानसभा में लागू ई-विधान समाधान की तर्ज पर, संसदीय कार्य मंत्रालय ने विधानमंडलों वाले सभी 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) के रूप में राष्ट्रीय स्तर पर ई-विधान समाधान को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। अतः, हिमाचल प्रदेश विधान समाधान के आधार पर 'ई-विधान एमएमपी के लिए प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट' तैयार करने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की अध्यक्षता में एनआईसी, एनआईसीएसआई, हिमाचल प्रदेश ई-विधान दल के अधिकारियों की एक समिति गठित की गई।

उक्त समिति पूरी नेवा परियोजना के लिए प्रारंभिक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर चुकी है। उक्त विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में मंत्रालय द्वारा कोई खर्च नहीं किया गया है।

3.8 नेवा परियोजना में सब्सिडी का कोई भुगतान शामिल नहीं है।

3.9 नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास/स्थानांतरगमन का सवाल ही नहीं उठता। तथापि, विधायकों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा) के लिए स्थान, जब भी स्थापित की जाती है, संबंधित द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रकार नेवा एमएमपी की शुरूआत के लिए भूमि की जरूरत, यदि होगी, की लागत भारत सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।

3.10 ई-विधान परियोजना के कार्यान्वयन के लिए किसी प्रतिबद्ध देयता का सृजन नहीं किया जाएगा। तथापि, परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान सृजित कंप्यूटर, लैपटॉप, प्रोजेक्टर, वीसी प्रणाली आदि जैसी परिसंपत्तियों के प्रबंधन, अनुरक्षण और रखरखाव के लिए संबंधित विधानमंडल जिम्मेदार होगा। ई-विधान को एक विधानमंडल में लाने से पहले, संसदीय कार्य मंत्रालय प्रत्येक विधानमंडल और संबंधित राज्य सरकार के साथ उस राज्य में नेवा परियोजना की सफल शुरूआत के लिए अपेक्षित सभी नियमों और शर्तों का उल्लेख करते हुए एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करेगा।

3.11 **निवेश से पूर्व गतिविधियां:** नेवा को लागू करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान निवेश से पहले कुछ गतिविधियों को अंजाम दिया जाना आवश्यक है जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	कार्यकलाप	वित्तीय प्रावधान

		(करोड़ में रूपए)
1.	राज्य-वार डीपीआर और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करना	2.20
2.	नेवा साफ्टवेयर का विकास/उन्नयन	1.49
3.	नेवा सॉफ्टवेयर का ग्राहकीकरण और स्थानीयकरण	2.75
4.	नेवा वेबसाइट, सुरक्षित साइट और दो मोबाइल एप्लिकेशनों तथा एसएसएल प्रमाणपत्रों की सुरक्षा मंजूरी	0.05
5.	नेशनल क्लाउड (मेघराज) में नेवा की तैनाती	3.48
6.	22 सदनों में नेवा प्रकोष्ठ की स्थापना	2.00
7.	5 राज्यों में (अलग-अलग क्षेत्र से एक-एक) नेवा को पुन: प्रायोगिक रूप में चलाना	84.22
8.	विधायकों और अधिकारियों का क्षमता निर्माण	0.50
9.	सूचना का प्रचार और प्रसार	2.68
	कुल (केंद्र की हिस्सेदारी-रू.59.28 करोड़+राज्य की हिस्सेदारी-रू.40.09 करोड़)	99.37

3.12 परियोजना कि समय चक्र के दौरान लागत वृद्धि से संबंधित देयता के लिए रू.6.48 करोड़ (परियोजना लागत के 1% की दर से) का आकस्मिक प्रावधान किया गया है।

3.13 विदेशी मुद्रा का कोई तत्व परियोजना से सीधे नहीं जुडा है। तथापि, परियोजना के तहत खरीदे जाने वाले आईटी हार्डवेयर की लागत को विनिमय दर कुछ हद तक प्रभावित कर सकती है। इस संबंध में आकस्मिक प्रावधान के रूप में कुछ गुंजाइश रही है।

4. परियोजना का वित्त-पोषण:

4.1 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम संबंधी सर्वोच्च समिति ने 16 जून, 2016 को आयोजित अपनी चौथी बैठक में निर्णय लिया था कि ई-विधान एमएमपी के लिए निधि संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। सर्वोच्च समिति की उक्त बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति **अनुबंध-XXII** में दी गई है। अत:, ई-विधान परियोजना के लिए वित्त-पोषण भारत सरकार द्वारा बजट सहायता के माध्यम से प्रदान किया जाएगा।

4.2 परियोजना के लिए निधियां केंद्रीय प्रायोजित योजना के पैटर्न पर संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित तरीके से उपलब्ध कराई जाएंगी:-

i) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए अनुदान 90:10 के अनुपात में होगा।
ii) केंद्र द्वारा विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अनुदान 100% होगा।
iii) अन्य सभी राज्यों के लिए अनुदान 60:40 के अनुपात में होगा।

4.3 कहीं भी कुछ अन्य उल्लेख होने के बावजूद, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित रूप में स्वीकृत लागत तक सीमित होगी और परियोजना के तहत जारी निधि के समुचित उपयोग के

अधीन होगी।

4.4 समय और लागत के कारण या अन्यथा होने वाला अतिरिक्त व्यय, यदि कोई होगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। परियोजना के लिए तैनात जनशक्ति को छोड़कर किसी भी स्थिति में परियोजना के लिए स्थायी कर्मचारियों को वित्त-पोषित नहीं किया जाएगा।

4.5 परियोजना के लिए समस्त हार्डवेयर की खरीद विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में सूचित अनुरोध के अनुसार स्थानीय रूप से की जाएगी जिसके लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी धनाशि और संबंधित राज्य सरकारों के अनुकूल अंशदान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी।

4.6 विधानमंडलों को निधियां जारी करने के नियम और शर्तें:

क) पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।

ख) दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

ग) तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

घ) चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

अथवा

ङ) उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

अथवा

च) जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं उन्हें एक किस्त में समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

4.7 संसदीय कार्य मंत्रालय राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के परिनियोजन/कार्यान्वयन की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए सभी आईसीटी उपकरणों सहित परियोजना में सहायता करेगा। तीन वर्ष के

पश्चात, नेवा सॉफ्टवेयर के रखरखाव/उन्नयन की जिम्मेदारी ई-विधान मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की होगी। तथापि, तीन वर्ष के पश्चात, ई-विधान एमएमपी के तहत सृजित सभी उपस्कर/परिसंपत्तियों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडल सचिवालय द्वारा अपने अधीन लिया जाएगा और लागत को उनके द्वारा वहन किया जाएगा जिसके लिए संसदीय कार्य मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार और विधानमंडल सचिवालय के बीच एक त्रिपक्षीय समसझौता ज्ञापन **(अनुबंध-XXX)** पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। नेवा सॉफ्टवेयर के लिए रखरखाव/उन्नयन की लागत मोटे तौर पर सालाना 4 करोड़ रुपये होगी जिसमें सॉफ्टवेयर का रखरखाव/उन्नयन, क्लाउड होस्टिंग शुल्क, प्रचार और विधायकों तथा नेवा का उपयोग करने वाले अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रावधान शामिल हैं। इस खाते में निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय के नियमित बजट के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

5 परियोजना की आर्थिक दृष्टि से लाभप्रदता:

5.1 यह जनता की भलाई के लिए एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। ई-विधान को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में 2014 में कुल रू.8.12 करोड़ की लागत के साथ लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान के अनुसार, ई-विधान के कार्यान्वयन से पहले अकेले कागज की वार्षिक खपत पर उनके 5.08 करोड़ रूपये खर्च होते थे, जो 6096 वृक्षों के समकक्ष है। यदि मुद्रण, डाक, जनशक्ति आदि सहित पूरी ऊपरी लागत को भी शामिल कर लिया जाए तो विधानसभा को चलाने का खर्च सालाना 15 करोड़ रुपये था। इस प्रकार दो वर्ष की थोड़ी अवधि में ही इस परियोजना ने अपनी लागत से ज्यादा फायदा किया है।

5.2 यदि हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का बहिर्वेशन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए जाए तो नेवा के कार्यान्वयन के कारण रू.673.94 करोड़ की परियोजना लागत पर लगभग रू.340 करोड़ की राशि को प्रतिवर्ष बचाया जा सकता है। इसलिए, दो साल की छोटी अवधि में ही परियोजना अपनी लागत का भुगतान स्वयं कर देगी, जो नेवा परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहारिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाता है। यह विधायी प्रक्रिया में अपेक्षित पारदर्शिता और जवाबदेही लाने जा रहा है और ऐसा करते हुए यह व्यापार करने में आसानी और आसान लिविंग इंडेक्स के अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों पर भारत की स्थिति का उन्नयन करेगा। इसके अलावा, परियोजना के कार्यान्वयन के पश्चात, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार दुनिया के अन्य लोकतांत्रिक देशों में इस प्रकार की परियोजनाएं कार्यान्वित करने की संभावनाएं तलाश सकता है और ऐसा करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनायक के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत कर सकता है।

6 अनुमोदन और मंजूरी:

6.1 नेवा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। चूंकि, इसका उद्देश्य कागज-पत्रों को सदन के पटल पर कागज रहित अथवा इलेक्ट्रानिक रूप में रखना तथा विधायकों को सूचना डिजिटल मोड में उपलब्ध कराना है, इसलिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक एमएमपी होने के नाते, ई-विधान या नेवा परियोजना अपने आप में एक पर्यावरण अनुकूल परियोजना है। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, नेवा परियोजना के कार्यान्वयन के साथ, सालाना लाखों लाख पेड़ बचेंगे। परियोजना को शुरू करने में भूमि अधिग्रहण का कोई प्रश्न शामिल नहीं है। परियोजना को मिशन मोड परियोजना के रूप में लागू करने के लिए मंत्रिमंडल द्वारा मार्च, 2015 में अनुमोदित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल इंडिया संबंधी सर्वोच्च समिति ने संसदीय कार्य मंत्रालय को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया है।

6.2 विभिन्न एजेंसियों के अनुमोदन/मंजूरी का विवरण निम्न प्रकार हैं: -

क्र.सं.	अनुमोदन/मंजूरी	संबंधित एजेंसी	उपलब्धता (हां/नहीं)
1.	डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में मिशन मोड परियोजना के रूप में नेवा अथवा ई-विधान का समावेश	मंत्रिमंडल	हां
2.	संसदीय कार्य मंत्रालय को राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय बनाया गया	मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में शीर्ष समिति	हां
3.	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा बजटीय संसाधनों के माध्यम से वित्त-पोषण उपलब्ध कराया जाना है	-तदैव-	हां
4.	परियोजना के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी गई	व्यय वित्त-पोषण समिति	हां
5.	नेवा के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों/विधानमंडलों द्वारा नोडल अधिकारियों का नामांकन	सरकार/विधानमंडल	हां
6.	सीएसएस निधिकरण पैटर्न (60:40) पर नेवा को आरंभ करने के लिए राज्य सरकारों/विधानमंडलों की सम्मति	सरकारें/राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधायी निकाय	हां

7 मानव संसाधन:

7.1 संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 22/6/2016 को बुलाई गई सभी हितधारकों की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नेवा परियोजना का कार्यान्वयन संबंधित राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की दो मुख्य कार्यान्वित ऐजेंसियों, एनआईसी/एनआईसीएसआई अथवा राज्य के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की सहायता से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी जैसा कि 16/6/2016 को सर्वोच्च समिति की तीसरी बैठक में निर्णय लिया गया था। बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति **अनुबंध-XXII** में दी गई है। अत: नेवा एमएमपी को लागू करने के

लिए, कोई नया ढ़ांचा सृजित नहीं किया जाएगा। आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम पर रखे गए मौजूदा मानव संसाधनों के सहयोग से संपूर्ण मॉडल चलाया जाएगा।

7.2 जैसा कि पहले ही बताया गया है, पूरी परियोजना आउटसोर्स जनशक्ति पर चलेगी, इसलिए स्थायी या अस्थायी पदों के सृजन का कोई सवाल ही नहीं उठता। भाड़े के आधार अपेक्षित जनशक्ति और उसमें शामिल व्यय का विवरण **अनुबंध-XX** में दिया गया है।

8 निगरानी और मूल्यांकन:

8.1 राज्य स्तर पर डीपीआर की संवीक्षा:

प्रत्येक सदन सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों और अपेक्षित जनशक्ति की अंतर विश्लेषण सहित एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार डीपीआर को निर्धारित तरीके को छोड़कर संसदीय कार्य मंत्रालय को सीधे प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

डीपीआर की आईटी विभाग/राज्य विधानमंडल/राज्य सरकार के बजट-लाइन नोडल विभाग द्वारा राज्य की हिस्सेदारी, जनशक्ति संबंधी सहायता, संचालन और रखरखाव तथा अतिरेकता प्रबंधन आदि सबको मिलाकर सभी तरह से संवीक्षा की जाएगी। डीपीआर का अनुमोदन और परियोजना का कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण हेतु सिफारिश के साथ राज्य स्तरीय नेवा कार्यान्वयन समिति द्वारा किया जाएगा।

8.2 राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	सचिव (राज्य विधानमंडल)	अध्यक्ष
2.	सचिव (आईटी) अथवा उनका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
3.	सचिव (वित्त विभाग) अथवा उनका नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
4.	सचिव (राज्य विधानमंडल का बजट-लाईन नोडल विभाग) अथवा उनके नामनिर्देशिती जो संयुक्त सचिव स्तर से नीचे का नहीं होगा	सदस्य
5.	सचिव, संसदीय कार्य विभाग	सदस्य
6.	राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी, एनआईसी	सदस्य
7.	राज्य में एनआइसीएसआई का प्रतिनिधि	सदस्य (यदि उपलब्ध हो)
8.	संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव (राज्य विधानमंडल)	सदस्य सचिव
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	विशेष आमंत्रित

8.3 केंद्रीय स्तर पर डीपीआर का अनुमोदन:

i) राज्य सरकार से विधिवत अनुशंसित डीपीआर की प्राप्ति के पश्चात, तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

ii) डीपीआर की विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की तकनीकी विशेषताओं, उनकी पर्याप्तता, अधिकता इत्यादि सहित सभी प्रकार से तकनीकी संवीक्षा नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा की जाएगी और अपनी सिफारिश (सिफारिशों) के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

iii) प्रस्तावों का वित्तीय मूल्यांकन संसदीय कार्य मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा समतुल्य प्रावधानों, नेवा दिशानिर्देशों **(अनुबंध-XXI X)** के संदर्भ में खरीद विधियों के संदर्भ में किया जाएगा।

iv) डीपीआर के अनुमोदन का ज्ञापन तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन की रिपोर्ट के साथ मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन की नेवा की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

8.4 नेवा परियोजना अनुमोदन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	-	अध्यक्ष
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव- या उनके नामिति	सदस्य	
3.	वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
4.	महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	-	सदस्य
5.	एमडी, एनआईसीएसआई	-	सदस्य
6.	संबंधित विधानमंडल का सचिव	-	सदस्य
7.	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव (आईटी)	-	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	-	सदस्य सचिव
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रितगण

8.5 राज्य सरकार को निधियां जारी करना:

i. संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य के सचिव (राज्य विधानमंडल का बजट-लाइन नोडल विभाग) को निधियां जारी करेगा। बजट-लाइन विभाग कार्यपालक प्राधिकारी, नेवा को राज्य के हिस्से जितनी धनराशि सहित निधियां अंतरित करेगा।

ii. राज्य सरकार परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अग्रिम धनराशि जारी कर सकती है जिसकी प्रतिपूर्ति संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार की जा सकती है।

8.6 कार्यपालक प्राधिकारी:

i. सचिव (राज्य विधानमंडल) संबंधित राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यपालक प्राधिकारी होंगे।

ii. कार्यपालक प्राधिकारी राज्य स्तरीय नेवा कार्यान्वयन समिति का अनुमोदन/अनुशंसा प्राप्त करने के बाद अंतर विश्लेषण सहित डीपीआर तैयार करने और उसे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iii. कार्यपालक प्राधिकारी उपयोग के प्रमाण पत्र और रसीद सहित वित्तीय निर्गमों के दावे प्रस्तुत करने और राज्य की निर्धारित हिस्सेदारी का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा।

iv. निष्पादक प्राधिकारी नेवा सेवा केंद्र स्थापित करने और जनशक्ति की तैनाती इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

v. निष्पादक प्राधिकारी निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए हार्डवेयर, विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की खरीद (या तो आइटम-दर या आद्योपांत) के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें इन्वेंट्री प्रबंधन और रिकॉर्ड कीपिंग भी शामिल है। आद्योपांत आधार परियोजना के कार्यान्वयन में शामिल लागत किसी भी परिस्थिति में आइटम-दर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

vi. निष्पादक प्राधिकारी संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन की गति और प्रगति सहित जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

vii. निष्पादक प्राधिकारी राज्य सरकार/संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रूप में नेवा की भौतिक और वित्तीय प्रगति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

viii. निष्पादक प्राधिकारी परियोजना के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए यथावश्यक अन्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

8.7 परियोजना प्रबंधन और निगरानी के लिए संस्थागत तंत्र: नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) द्वारा की जाएगी । ऐसी पीएमयू की संरचना, जिम्मेदारियाँ आदि निम्न प्रकार होंगी:

(I) **केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू):** राष्ट्रीय स्तर पर नजर रखने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार में एक केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना की जाएगी। यह राज्य/संघ राज्य क्षेत्र विधानमंडलों में सभी स्थानों पर नेवा के कार्यान्वयन की निगरानी/समन्वय और संचालन करेगी। सीपीएमयू कार्यान्वयन के दौरान और उसके बाद सामने आने वाली समस्याओं का समाधान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य परियोजना निगरानी इकाई के साथ बारीकी से समन्वय कार्य करेगी।

(ii) नेवा की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय (मिशन लीडर)	-	अध्यक्ष
2.	वित्तीय सलाहकार अथवा उसके प्रतिनिधि	-	सदस्य
3.	महानिदेशक, एनआईसी अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (ई-गवर्नेंस), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
5.	एमडी एनआईसीएसआई अथवा उनके प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	परियोजना लीडर, नेवा, एनआईसी	-	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, नेवा, एनआईसी	-	सदस्य
8.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रित व्यक्ति

(iii) **<u>केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की भूमिका और जिम्मेदारियां</u>:**

- नेवा की सीपीएमयू समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा करेगी।

- परियोजना के कार्य की प्रगति आकलन करना और परियोजना निष्पादक दल को नई दिशाओं/दृष्टिकोण पर सलाह देना और इसकी सुचारू प्रगति सुनिश्चित करना तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूर्ण उपयोग के लिए देश में किसी भी अन्य राज्य विधानमंडल में चल रहे कार्य के साथ जुडना।

- मंजूरी में परिवर्तनों के संबंध में राज्य विधानमंडल के विशिष्ट अनुरोध की जांच करना और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा उस पर विचार के लिए सिफारिशें करना।

- सफल प्रतिरूप हेतु परियोजना के पूरा होने के संबंध में अग्रिम कार्रवाई, सुविधाओं की स्थापना, उनका उपयोग और जानकारी अंतरण आदि सुनिश्चित करना।

- परियोजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, शामिल एजेंसियों के परिणामों की समीक्षा करना और अपेक्षित परिणाम हेतु संशोधन करना।

- ई-विधान एमएमपी और इसके लाभ के व्यापक प्रचार हेतु सीपीएमयू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए योजना बनाएगी।

- जागरूकता/मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल)/ऑडियो और वीडियो, टीवी स्लॉट - अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।

- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

(iv) **<u>राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू):</u>** प्रत्येक राज्य में, नेवा कार्यान्वयन समिति राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) के रूप में भी कार्य करेगी तथा प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए अनुमोदित और बताए गए विवरण के अनुसार सभी कार्य पूर्ण करने के लिए जिम्मेदार होगी। वे स्थानीय रूप से कार्य की देख-रेख, प्रगति की निगरानी, प्रणाली का परीक्षण करेंगे और सीपीएमयू को सुधारात्मक कदम उठाने के लिए नियमित रूप से सूचित करेगी।

(v) नेवा की एसपीएमयू समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- राज्य विधानमंडल की कार्य प्रक्रियाओं (बीपीआर) में आवश्यक परिवर्तनों पर अनुमोदन।
- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन हेतु यदि अपेक्षित हो तो अधिनियम (अधिनियमों), नियमों, और विनियमों में संशोधन।
- परियोजना पूरी होने पर उसे संभालने पर आईसीटी उपकरणों का रखरखाव और प्रतिस्थापन।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली प्रत्येक सेवा के संबंध में राज्य विधानमंडल सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों की प्रत्येक इकाई के अपने-अपने कर्तव्य और दायित्व निर्धारित करना।
- ई-विधान एमएमपी सेवाओं को सक्षम करने के लिए आवश्यक सरकारी आदेशों और अधिसूचनाओं के निर्गम पर अनुमोदन।
- निधियां जारी करने की सिफारिश।
- परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा।
- यदि आवश्यक हो तो किसी भी अंतर-विभागीय मुद्दों का समाधान करना।
- राज्य विधानमंडल में ई-विधान एमएमपी के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समग्र मार्गदर्शन और निर्देश।
- जागरूकता/मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल)/ऑडियो और वीडियो, टीवी स्लॉट - अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया कोई अन्य कार्य।

8.8 <u>सदन की ई-शासन और सामान्य परियोजन संबंधी समिति</u>: राज्य में नेवा परियोजना और नेवा से संबंधित अन्य ई-शासन संबंधी मामलों की निगरानी के लिए यदि सदन में ई-शासन और सामान्य परियोजना संबंधी समिति पहले से मौजूद नहीं है तो माननीय अध्यक्ष/सभापति की अध्यक्षता में राज्य विधानमंडलों के माननीय सदस्यों को शामिल करते हुए गठित की जाए।

सदन में नेवा संबंधी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1. माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति – 1	-	अध्यक्ष
2. सदस्य राज्य विधानमंडल - 1	-	सदस्य
3. सदस्य राज्य विधानमंडल - 2	-	सदस्य
4. सदस्य राज्य विधानमंडल - 3	-	सदस्य
5. सदस्य राज्य विधानमंडल - 4	-	सदस्य
6. सदस्य राज्य विधानमंडल - 5	-	सदस्य
7. सदस्य राज्य विधानमंडल - 6	-	सदस्य
8. सदस्य राज्य विधानमंडल - 7	-	सदस्य
9. प्रभारी सचिव (ई-शासन/आईटी)	-	सदस्य
10. सचिव, राज्य विधानमंडल	-	सदस्य सचिव
11. अध्यक्ष/सभापति द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति		

समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्नलिखित हैं:

- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना।
- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन के लिए यदि आवश्यक हो तो नियमों और प्रक्रिया में परिवर्तन की सिफारिश करना।
- नेवा का उपयोग करते हुए दस्तावेजों के इलेक्ट्रॉनिक अंतरण में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को पेश आ रहे मुद्दों के समाधान हेतु चर्चा करना और सुझाव देना।
- राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए नेवा पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण के लिए रूपरेखा बनाना।
- जागरूकता सृजन और मीडिया योजना।

8.9 नेवा परियोजना शुरू करने में शामिल अन्य एजेंसियों की जिम्मेदारियाँ:

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन में विभिन्न मंत्रालय/विभाग/एजेंसियां शामिल हैं । ऐसी सभी एजेंसियों की जिम्मेदारियां निम्न प्रकार होगी: -

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार:

ई-विधान एमएमपी के अधिकारी के रूप में, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत के सभी राज्य विधानमंडलों में ई-विधान के समर्थन और कार्यान्वयन के लिए सभी अनुवर्ती कार्य करेगा।

संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारियां:

- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की अध्यक्षता वाली एक अधिकार प्राप्त समिति का गठन।
- केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई का गठन।
- ई-विधान एमएमपी के लिए निधियों की वार्षिक मांग प्रस्तुत करना।
- पूरी परियोजना का वित्त-पोषण करना।
- सीपीएमयू की सिफारिश पर कार्यान्वित एजेंसी/राज्य सरकार को निधि जारी करना।
- नेवा के कार्यान्वयन के लिए विधायी निकायों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करना।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना।
- प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण हेतु डिजिटल सदन की स्थापना और इसके सुचारू संचालन हेतु एक परिचालन मॉडल विकसित करना।
- संसदीय कार्य मंत्रालय को ई-विधान के कार्यान्वयन की प्रगति की निरंतर समीक्षा करनी है और ई-विधान के हित में जब भी जरूरी हो, आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने हैं।
- सीपीएमयू लिए आउटसोर्स आधार पर जनशक्ति को नियोजित करना।
- विधानमंडलों में नेवा को लागू करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय 3 वर्षों के लिए आवश्यक निधियां प्रदान करेगा।
- तथापि, सीपीएमयू और नेवा के लिए, यह संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी कि अपने नियमित बजट से तीन साल पश्चात भी जनशक्ति की सेवाएं जारी रखें और भाड़े पर संविदात्मक/नियमित आधार पर नियोजित की जाने वाली जनशक्ति के बारे में निर्णय लें।
- विधायकों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए, जब भी आवश्यक हो, राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा), यदि कोई हो, की स्थापना के संबंध में डीपीआर तैयार करना।

(ख) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, इंटरनेट, यूआईडीएआई और सहबद्ध सेवाओं और एप्लिकेशनों के क्षेत्र में राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण, कार्यान्वयन और समीक्षा के लिए

जिम्मेदार है।

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की जिम्मेदारियां:

- भारत के विधायी निकायों के लिए ई-विधान के संबंध में प्रारंभिक मानकीकृत डीपीआर तैयार करना।

- संसदीय कार्य मंत्रालय को तकनीकी सलाह प्रदान करना और निम्नलिखित के लिए अनुमोदन के अनुसार:

  - ✓ नेवा एप्लिकेशनों की होस्टिंग और नेशनल क्लाउड (मेघराज) में डेटा के लिए पर्याप्त क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रदान करना और डेटा की सुरक्षा से संबंधित तकनीकी सहायता प्रदान करना।
  - ✓ नेवा एमएमपी के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) सुविधा प्रदान करना।
  - ✓ नेवा एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक ई-मेल और एसएमएस गेटवे सेवाएं प्रदान करना।
  - ✓ नेवा के सभी उपयोगकर्ताओं को डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र (डीएससी) प्रदान करना।
  - ✓ सुरक्षित रूप में ई-विधान एप्लिकेशनों की होस्टिंग के लिए सर्वर प्रदान करना।
  - ✓ ई-विधान एमएमपी के सुचारू संचालन के लिए भारत के सभी विधायी निकायों में कम से कम दो 1 जीबीपीएस इंटरनेट लीज्ड लाइन उपलब्ध कराना।
  - ✓ संसद और भारत के सभी विधायी निकायों, राज्यपाल के कार्यालयों और भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से जोड़ना।

(ग) <u>राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी):</u>

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक प्रमुख विज्ञान और प्रौद्योगिकी संगठन है तथा केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, जिलों और अन्य सरकारी निकायों को नेटवर्क और ई-शासन संबंधी सहायता प्रदान करता है। यह विकेंद्रीकृत योजना, सरकारी सेवाओं में सुधार तथा राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों की व्यापक पारदर्शिता के लिए राष्ट्रव्यापी संचार नेटवर्क सहित अनेक आईसीटी सेवाएं प्रदान करता है। एनआईसी केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा प्रायोजित परियोजनाओं के साथ मिलकर सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परियोजनाओं को लागू करने में सहायता करता है। एनआईसी यह सुनिश्चित करने का प्रयास करता है कि इसके उपयोगकर्ताओं के लिए सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी सभी क्षेत्रों में नवीनतम तकनीक उपलब्ध हो।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) को 1976 में स्थापित किया गया था और तब से यह सतत विकास के लिए डिजिटल अवसरों के प्रवर्तक के रूप में और जमीनी स्तर तक ई-सरकार/ई-शासन संबंधी एप्लिकेशनों के एक "प्रमुख निर्माता" के रूप में उभर कर आया है। एनआईसी, अपने आईसीटी नेटवर्क, "एनआईसीनेट" के माध्यम से केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, 36 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और भारत के लगभग 688 जिला प्रशासनों के साथ संस्थागत रूप से जुड़ा हुआ है। एनआईसी ने सरकारी सेवाओं में सुधार को सुकर बनाते हुए, व्यापक पारदर्शिता, विकेन्द्रीकृत योजना और प्रबंधन को बढ़ावा देते हुए केंद्र, राज्य, जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी मंत्रालयों/विभागों में ई-सरकार/ई-शासन एप्लिकेशनों का प्रचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसके परिणामस्वरूप भारत की जनता के प्रति बेहतर दक्षता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई है।

एनआईसी की जिम्मेदारियां:

- एनआईसी ई-विधान एमएमपी के लिए प्रौद्योगिकी भागीदार होगा। एनआईसी द्वारा नेवा हेतु तकनीकी सहायता प्रदान की जाएगी क्योंकि यह इस क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता है और इसने हिमाचल प्रदेश विधानमंडल में ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया।

- भारत के हर राज्य में एनआईसी, ई-विधान एमएमपी के सफल कार्यान्वयन के लिए एनआईसी समन्वयक के रूप में एक अधिकारी (प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट या इससे ऊपर के स्तर का) को नामित करेगा।

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का विकास

i) एनआईसी हिमाचल प्रदेश ई-विधान परियोजना के आधार पर, नेवा के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। इस उद्देश्य के लिए एनआईसी एक नेवा परियोजना दल का गठन करेगा।

ii) नेवा के विकास के लिए सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं और उपकरणों और प्रौद्योगिकियों की सलाह देने के लिए केंद्रीय स्तर पर राष्ट्रीय तकनीकी समिति (एनटीसी) जिसमें इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, एनआईसी (डोमेन विशेषज्ञ- एच.डब्ल्यू., एस.डब्ल्यू., आई.एन.ओ.सी., डी.सी./सी.डी.एन.), एन.आई.सी.एस.आई. से सदस्य शामिल होंगे।

राज्य स्तर पर नेवा कार्यान्वयन और सहायता सेवाएँ

प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य विधानमंडल और राज्य सरकार के अन्य विभागों के लिए अपेक्षित सभी तकनीकी सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ) की अध्यक्षता में एक नेवा कार्यान्वयन और सहायता सेवा समिति का गठन किया जा सकता है। नेवा के कार्यान्वयन की सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए एनआईसी राज्य केंद्र के एक अधिकारी को नेवा सह-समन्वयकर्ता के रूप में नामित किया जाएगा।

नेवा क्लाउड होस्टिंग और डीआर साइट

सभी राज्यों के लिए नेवा को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्ट किया जाएगा और होस्टिंग सेवाओं के लिए एनआईसी जिम्मेदार होगा। साथ ही लाइव डीआर साइट का रखरखाव किसी अन्य एनआईसी डेटा केंद्र पर किया जाएगा। हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, जनशक्ति और क्लाउड होस्टिंग सेवाओं के लिए निधियां ई-विधान एमएमपी के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रदान की जाएंगी।

राज्य स्तर पर नेवा की होस्टिंग

राज्य/राज्य डेटा केंद्र/स्थानीय डेटा केंद्र पर एनआईसी डेटा केंद्र में नेवा होस्टिंग के लिए सहायता अपने-अपने राज्य एनआईसी केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। इस प्रणाली को पूर्णतः अभेद बनाने के लिए ऐसी स्थानीय होस्टिंग, राष्ट्रीय क्लाउड होस्टिंग का दर्पण होगी।

हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी

नेवा के सुचारू और अबाधित परिचालन के लिए एनआईसी देश के सभी राज्य विधानमंडलों में हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी के लिए निधि ई-विधान एमएमपी निधि के तहत प्रदान की जाएगी।

वेब कास्टिंग सेवाएं

एनआईसी सभी राज्य विधानमंडलों में वेब कास्टिंग अवसंरचना की स्थापना करेगा और सभी राज्य विधानमंडल स्थानों से अबाधित वेबकास्ट सुनिश्चित करेगा। सदन की कार्यवाहियों की वेबकास्टिंग के लिए कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क (सीडीएन) का उपयोग किया जा सकता है। ई-विधान एमएमपी निधि के तहत वेबकास्टिंग अवसंरचना और सेवाओं के लिए सभी आवश्यक धनराशि प्रदान की जाएगी।

नेवा के लिए बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संसदीय कार्य मंत्रालय के पास एनआईसी के माध्यम से नेवा का विशेष गैर-व्यापारिक बौद्धिक संपदा अधिकार बना रहेगा।

(घ) एन.आई.सी.एस.आई. की भूमिका:

- एनआईसीएसआई नेवा के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी क्योंकि वे हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू कर चुके हैं। चूंकि कुल परियोजना लागत 500 करोड़ रुपये से अधिक है, इसलिए एनआईसीएसआई नेवा के कार्यान्वयन के लिए इच्छुक पक्षकार को एक प्रतिशत से अनधिक दर पर अपनी सेवाएं प्रदान करेगा।

- एनआईसीएसआई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक राज्य विधानसभाओं में नेवा के कार्यान्वयन लिए आवश्यक जनशक्ति सहित विभिन्न मदों की खरीद करेगा और इसके लिए विक्रेताओं को सूची में सम्मिलित करेगा।

- एनआईसीएसआई नेवा के सफल कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई समन्वयक के रूप में नई दिल्ली में एक विशेष अधिकारी (डीजीएम या उससे ऊपर के स्तर का) को नामित करेगा।

- सभी एनआईसी राज्य समन्वयक बिलों, यदि कोई हो, को विधिवत सत्यापन के पश्चात अपने-अपने निष्पादक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

<u>एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से खरीद और सेवाओं के लिए निधिकरण:</u>

एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेवाओं की समस्त खरीद और नेवा इत्यादि के लिए, संसदीय मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-विधान एमएमपी के तहत निधियां प्रदान की जाएंगी।

9. क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण:

क्षमता निर्माण पहल से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों, विधानमंडल सचिवालय और नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में भाग लेने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

- ❖ प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित कार्मिकों की संख्या के संदर्भ में क्षमताओं का आकलन, प्रत्येक भूमिका के लिए कौशल सूची;

- ❖ क्षमता निर्माण अवसंरचना और कौशल में अंतर का आकलन करना;

- ❖ क्षमता निर्माण के लिए सुनियोजित, टिकाऊ और एकीकृत रणनीतियां विकसित करना;

- ❖ उपयोगकर्ताओं के प्रत्येक स्तर के लिए प्रशिक्षण की जरूरतों का आकलन करना;

- ❖ प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण के लिए पाठ्यक्रम (रूपरेखा), अवधि, प्रवेश और निकास के मानदंडों, प्रशिक्षण के प्रत्येक घटक हेतु प्रशिक्षण मॉडल (प्रशिक्षक आधारित, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी), उपयोगकर्ता नियम पुस्तक आदि के संदर्भ में प्रशिक्षण योजना को परिभाषित करना;

- ❖ निगरानी के लिए प्रत्येक भूमिका और रूपरेखा हेतु कार्य-संपादन के उपायों को परिभाषित करना;

- ❖ परिवर्तन प्रबंधन रणनीति की रूपरेखा तैयार करना;

- ❖ संचार और जागरूकता रणनीति की रूपरेखा तैयार करना।

10. क्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण

संबंधित राज्य विधानमंडलों के साथ उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों के लिए एक-एक के हिसाब से पांच क्षेत्रीय कार्यशालाओं की व्यवस्था उस क्षेत्र के राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए की जा सकती है।

विधानमंडलों के मौजूदा कर्मचारियों के क्षमता निर्माण हेतु, प्रत्येक विधानमंडल के लिए कम से कम पाँच कार्यशालाएं सीपीएमयू द्वारा परस्पर सुविधानुसार या तो संबंधित विधानमंडल के सचिवालय में या सीपीएमयू, दिल्ली में आयोजित की जाएंगी।

11. नेवा सेवा केंद्र (एनएसके) (ई-लर्निंग/सुविधा केंद्र) की स्थापना:

राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को अभिविन्यास प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य विधानमंडल में एक नेवा सेवा केंद्र (ई-लर्निंग/सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।

12. ऑडियो व्युजवल उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री

अत्याधुनिक नेवा केंद्र (ई-लर्निंग/सुविधा केंद्र) में सभी नवीनतम कंप्यूटर आधारित शिक्षण सामग्री और दुरस्थ शिक्षा हेतु वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होंगी। ई-विधान एम.एम.पी. पर प्रशिक्षण के लिए ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण सामग्री को सीपीएमयू द्वारा अंग्रेजी, हिंदी के साथ ही क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित किया जाएगा।

13. एक डिजिटल सदन की स्थापना करना:

भारतीय संसद का दौरा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों को नेवा का प्रदर्शन करने और सभी राज्य विधानमंडलों, राज्य सरकार के विभागों के सदस्यों/अधिकारियों के लिए नेवा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था के लिए एक छोटे डिजिटल सदन की स्थापना करना प्रस्तावित है।

14. नेवा के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं की खरीद की प्रक्रिया

राज्य विधानमंडलों के सचिव कार्यपालक प्राधिकारी होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के नोडल बजट-लाइन विभाग को निधियां जारी करेगा तथा नोडल विभाग राज्य की हिस्सेदारी सहित कार्यपालक प्राधिकारी को निधियां जारी करेगा।

सुचारू कार्यान्वयन के लिए, राज्य सरकार परियोजना में तेजी लाने के लिए राज्य की हिस्सेदारी सहित अग्रिम निधियां जारी कर सकती है और प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

परियोजना को अनुमोदित कर दिए जाने और वित्तीय/तकनीकी मंजूरी मिल जाने के पश्चात, कार्यपालक एजेंसी खुली निविदाएं आमंत्रित करेगी। सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर) और समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का अनुपालन करते हुए सभी प्रकार की खरीद के लिए प्रतिस्पर्धी बोली-प्रक्रिया के माध्यम निविदा देने की सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा।

सभी निविदा सूचनाओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने की आवश्यकता है। वे सभी मदें, जो एन.आई.सी.एस.आई./जेम प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं, इनके माध्यम से खरीदी जा सकती हैं।

यदि कार्य अथवा मात्रा की सीमा में परिवर्तन होता है तो राज्य/केंद्र स्तरीय समितियों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तथापि, राज्य सरकार/राज्य विधानमंडल खरीद के लिए अपने स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं।

15. **सावधि विधि खंड:** नेवा के प्रायोगिक परीक्षण की तारीख के पश्चात नेवा के लिए 36 माह की अवधि तक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। परियोजना को निर्धारित समय-सीमा में पूरा करने के सभी प्रयास किए जाएंगे। 3 वर्ष की अवधि के पश्चात, परियोजना राज्य विधानमंडल के स्वामित्व में आ जाएगी। भारत सरकार केवल सीपीएमयू, एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं, नेवा सॉफ्टवेयर के उन्नयन/रखरखाव और विधायकों एवं उपयोगकर्ताओं की लागत वहन करेगी।

16. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (नेवा) का सुरक्षा ऑडिट एनआईसीएसआई के साथ सूचीबद्ध एक संस्था द्वारा पहले ही किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त, संबंधित राज्य विधानमंडल/संसदीय कार्य मंत्रालय की आंतरिक लेखापरीक्षा विंग और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी.) क्रमश: परियोजना की आंतरिक लेखापरीक्षा और सांविधिक लेखापरीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे।

17. पहले चरण के लिए परियोजना को चालू करने के पश्चात, संसदीय कार्य मंत्रालय यथापेक्षित प्रभाव आकलन के लिए किसी तीसरे पक्ष से ई-विधान परियोजना का मूल्यांकन कराएगा ताकि यह बनाई गई योजना के अनुसार आगे बढ़े और वर्तमान सरकार द्वारा डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को दी जा रही गति को और तेज किया जा सके। तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन के दौरान यदि कुछ कमियां सामने आती हैं तो अभी तक की सर्वोत्तम परियोजना विकसित करने के लिए उनका ध्यान रखा जाएगा।

18. यह योजना भी है कि परियोजना के पूरा होने के पश्चात, तीसरे पक्ष से इसका मूल्यांकन पुन: कराया जाएगा ताकि ई-

विधान परियोजना सदा के लिए सुचारू रूप से चलती रहे और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नीति आयोग को प्रस्तुत किए गए संदृश्य दस्तावेज के अनुसार, ई-लोकतंत्र एक दिन साकार हो जाए।

19. हितधारकों के साथ परामर्श के दौरान मसौदा पीआईबी ज्ञापन पर प्राप्त टिप्पणियां/प्रतिक्रिया:

19.1 वित्त मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय की स्थिति/उत्तर अनुबंध-XXIII के रूप में संलग्न हैं।

19.2 वित्तीय सलाहकार (वित्त) से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय की स्थिति/उत्तर अनुबंध-XXIV के रूप में संलग्न हैं।

19.3 नीति आयोग से प्राप्त टिप्पणियाँ और मंत्रालय की स्थिति/उत्तर अनुबंध-XXV के रूप में संलग्न हैं।

19.4 इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय की स्थिति/उत्तर अनुबंध-XXVI के रूप में संलग्न हैं।

19.5 वर्ष 2017 और 2018 के दौरान पिछले अवसरों पर वित्त मंत्रालय/वितीय सलाहकार (वित्त) और नीति आयोग द्वारा उठाए गए अन्य बिंदुओं/टिप्पणियों के संबंध में स्थिति/स्पष्टीकरण क्रमश: अनुबंध-XXVII और अनुबंध-XXVIII के रूप में संलग्न हैं।

20. **अपेक्षित अनुमोदन:** वित्त मंत्रालय से अनुरोध कि ई-विधान परियोजना, जिसमें 673.94 करोड़ रूपये (केंद्र की हिस्सेदारी 423.60 करोड़ रूपये और राज्य की हिस्सेदारी 250.34 करोड़ रूपये, जोकि सीएसएस पैटर्न पर 60:40 के अनुपात में है), के व्यय का प्रावधान शामिल है, के मूल्यांकन के लिए लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) में समावेदन करें। केंद्र की हिस्सेदारी में क्लाउड होस्टिंग प्रभार, क्षमता निर्माण, कृत्रिम डिजिटल सदन की स्थापना, नेवा सॉफ्टवेयर की सुरक्षा जांच, प्रचार आदि के लिए 108.29 करोड़ रूपये का प्रावधान शामिल है जिसे सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय के अधिकार में रखा गया है।

(डॉ. सत्य प्रकाश)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेलीफोन नं. 23034734
फैक्स नं. 23792067
ई-मेल: jsmpa@nic.in

अनुबंध-1

संसदीय कार्य मंत्रालय

लागत प्रयोजनों हेतु कतिपय घटकों के लिए लगाए गए अनुमान का विवरण

क्र.सं.	घटक /मद (मदों) का विवरण	अनुमान / वास्तविक
1.	कक्ष में स्थापना के लिए टेबलेट उपकरणों की संख्या	वास्तविक • प्रत्येक राज्य विधानमण्डल में एमएलए /एमएलसी के प्रत्येक डेस्क हेतु • कक्ष में अध्यक्ष का डेस्क • कक्ष में सचिव का डेस्क • आधिकारिक डेस्क - 5 • +10% अतिरिक्त
2.	निर्वाचन-क्षेत्र प्रबंधन के लिए प्रत्येक विधायक के उपयोग के लिए टच स्क्रीन डिवाइस (9.7 इंच) की संख्या	वास्तविक • प्रत्येक राज्य विधान मण्डल में प्रत्येक एमएलए /एमएलसी के डेस्क हेतु
3.	निजी कम्प्युटरों की संख्या (पीसी)	अनुमान : प्रथम श्रेणी के अधिकारी (कुल कर्मचरियों का 20 प्रतिशत) - 2 (1 निजी सचिव/वैयक्तिक सहायक हेतु) श्रेणी-ii और-iii = 3:1 यदि कर्मचारियों की संख्या नहीं दी गई है, तो निम्नलिखित कसौटी पर गणना होगी : श्रेणी III और उससे ऊपर : यदि सदस्य की संख्या <100; कर्मचारियों की संख्या = 120 सदस्यों की संख्या >100 और <200, कर्मचारियों की संख्या = 160 सदस्यों की संख्या >200 और <300, कर्मचारियों की संख्या = 200 सदस्यों की संख्या >300 और <400, कर्मचारियों की संख्या = 240 सदस्यों की संख्या >400 कर्मचारियों की संख्या = 250 मीडिया केंद्र यदि सदस्य की संख्या <100 पीसी की संख्या = 15 यदि सदस्यों की संख्या >100 पीसी की संख्या = 25 ई-सुविधा केंद्र – यदि सदस्य की संख्या <100 पीसी की संख्या = 5 यदि सदस्यों की संख्या >100 पीसी की संख्या = 10

क्र.सं.	घटक /मद (मदों) का विवरण	अनुमान / वास्तविक
		ई-लर्निंग सेंटर यदि सदस्य की संख्या <100 पीसी की संख्या = 15 यदि सदस्यों की संख्या >100 पीसी की संख्या = 25 सीपीएमयू - पीसी की संख्या = 10 एसपीएमयू - पीसी की संख्या = 5 नेवा - पीसी की संख्या = 60 अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / विपक्ष के नेता और राज्य के सचिव – प्रत्येक को 2
4.	लैपटॉप	एसपीएमयू = प्रत्येक को 2 सीपीएमयू = 5 नेवा केंद्र = प्रत्येक को 3
5.	प्रिंटर 1. एमएफपी कलर प्रिंटर 2. प्लास्टिक आईडी कार्ड प्रिंटर	अनुमान: शाखाएं -1 एमएफपी कलर प्रिंटर अधिकारी वर्ग 1 - 1 एमएफ कलर प्रिंटर अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/विपक्ष के नेता/सचिव- प्रत्येक को 1 एमएफपी कलर प्रिंटर नेवा केंद्र -1 एमएफपी कलर प्रिंटर मीडिया डेस्क यदि सदस्य की संख्या <100 2 एमएफपी कलर प्रिंटर यदि सदस्यों की संख्या >100 2 एमएफपी कलर प्रिंटर सीपीएमयू - 1 एमएफपी कलर प्रिंटर एसपीएमयू – 1 एमएफपी कलर प्रिन्टर + 1 आईडी कार्ड प्रिंटर
6.	स्कैनर्स	अनुमान: यदि सदस्य की संख्या <100 स्कैनर्स की संख्या = 2 यदि सदस्यों की संख्या >100 स्कैनर्स की संख्या = 4
7.	यूपीएस 1. 500 वीए 2. 2 केवीए 3. 5 केवीए 4. 10 केवीए	अनुमान: प्रत्येक शाखा के लिए - 2 केवीए का 1 यूपीएस (4 मशीनों के लिए) रिपोर्टर की शाखा के लिए - 10 केवीए का यूपीएस (बैकअप के साथ) सभी प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के लिए - 500 वीए का 1 यूपीएस अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / विपक्ष के नेता / सचिव के लिए - प्रत्येक पीसी के लिए 500 वीए का यूपीएस नेवा के लिए - 10 केवीए (बैकअप के साथ) सीपीएमयू के लिए - प्रत्येक पीसी के लिए 500 वीए एसपीएमयू के लिए - प्रत्येक पीसी के लिए 500 वीए ई-सुविधा - 5 केवीए का 1 (बैकअप के साथ) ई-लर्निंग - 10 केवीए (बैकअप के साथ) मीडिया सेंटर -10 केवीए (बैकअप के साथ) सर्वर रूम - 5 केवीए (बैकअप के साथ)

क्र.सं.	घटक /मद (मदों) का विवरण	अनुमान / वास्तविक
8.	एल.ए.एन. (लेन) नोड्स	लेन नोड्स की संख्या = पीसी की संख्या + डिस्पले उपकरणों की संख्या + लैपटॉप की संख्या + वाईफ़ाई एक्सैस प्वाइंट का संख्या
9.	वाईफ़ाई एक्सैस प्वाइंट्स (एपी)	पूरे राज्य विधानमंडल परिसर में एनआईसीनेट(NICNET) से जुड़ा वाईफाई यदि सदस्य की संख्या <100 एपी की संख्या = 20 यदि सदस्यों की संख्या >100 एपी की संख्या = 30
10.	डब्ल्यू.ए.एन. (WAN) लिंक	प्रत्येक राज्य विधानसभा स्थान हेतु 1 जी ओ.एफ.सी. लिंक नेवा के लिए 1 जी ओ.एफ.सी. लिंक
11.	डेस्कटॉप वीसी	एच.एस. - प्रत्येक राज्य विधानसभा स्थान हेतु 1 सचिव - प्रत्येक राज्य विधानसभाओं स्थान पर 1 एनआईसी विधानमण्डल समन्वयक - 1 सीपीएमयू - 1 एसपीएमयू - 1 नेवा -1
12.	वीसी स्टुडियो प्रणाली	प्रत्येक राज्य विधानमंडल स्थान पर वीसी स्टूडियो सेटअप (राज्यपाल +एस.एल.)
13.	प्रोजेक्शन सिस्टम / समिति कक्षों के लिए प्रोजेक्शन सिस्टम	प्रत्येक राज्य विधानमंडल में ई-लर्निंग सेंटर में 1 प्रोजेक्टर समिति कक्षों की संख्या <100 - 2 > 100 <200 - 4 > 200 <300 - 5 > 300 - 6
14.	डिजिटल बोर्ड (ई-लर्निंग सेंटर)	1 डिजिटल बोर्ड
15.	डिस्पले पैनल (डी.पी.)	यदि सदस्यों की संख्या <100 - डीपी की संख्या = 5 यदि सदस्यों की संख्या >100 - डीपी की संख्या = 10
16.	डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग (रिपोर्टर शाखा के लिए)	प्रत्येक राज्य विधानमंडल में 2
17.	वीडियो स्ट्रीमिंग सेटअप (लाइव वेबकास्ट)	प्रत्येक राज्य विधानमंडल में 2 (1 बैकअप के रूप में काम करेगा)
18.	क्लाउड मेघराज (सर्वर + वी.टी.एल. सहित स्थानीय एस.ए.एन. के साथ डेटा सिंकरोनाइज करने के लिए स्थानीय डेटा सेंटर (डीसी)	प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए 4 वी.टी.एल. के साथ 20 टीबी उपयोग योग्य एस.ए.एन.
19.	सर्वर ओ.एस.	वास्तविक सर्वरों के अनुसार
20.	डी.बी.एम.एस.	सर्वरों की संख्या / 2
21.	ओफिस सूट	पीसी + लैपटॉप की संख्या
22.	भाषा / फोंट टूल	पीसी + लैपटॉप की संख्या
23.	डिस्पले उपकरण प्रबंधन सूट	टेबलेट उपकरणों की संख्या

क्रम सं.	घटक /मदों का विवरण	मान्यताएँ/वास्तविक
24.	ई विधान एप्लिकेशन उत्पाद सुरक्षा जांच	ई-विधान उत्पाद सुरक्षा जांच @ रु. 10 लाख
25.	प्रत्येक राज्य विधानमंडल ई विधान सुट की सुरक्षा जांच	45 स्थान एप्लिकेशन @ 1.5 लाख प्रत्येक
26.	एनआईसी क्लाउड (मेघराज) पर वेब होस्टिंग/ डी.आर. साइट	एनआईसी / इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
27.	एस.एम.एस. गेटवे लागत	एनआईसी / इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
28.	संदेश सेवाएं	एनआईसी / इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
29.	ई-हस्ताक्षर / डी.एस.सी. लागत	एमएलए / एमएलसी की संख्या – प्रत्येक को श्रेणी-I के अधिकारियों की संख्या – प्रत्येक को शाखाओं की संख्या - 1 प्रत्येक को सीपीएमयू - 10 एसपीएमयू - 5 प्रत्येक को
30.	डिजिटल अभिलेखागार	प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए लगभग 50.0 लाख
31.	विद्युत कार्य / वातानुकूलन की अनुमानित लागत	राज्य विधानमंडलों के सभी केंद्रों के लिए विद्युत कार्य <100 = 2 करोड़ > 100 <200 = 3 करोड़ > 200 <300 = 5 करोड़ > 300 = 10 करोड़
32.	सिविल कार्य / फर्नीचर की अनुमानित लागतः 1. ई-सुविधा 2. ई-लर्निंग 3. मीडिया केंद्र 4. विधानमंडल सदन 5. सीपीएमयू 6. पीएमयू 7. नेवा 8. वी.सी. स्टुडियो 9. स्थानीय डेटा केंद्र	राज्य विधानमंडलों के सभी केंद्रों के लिए सिविल कार्य <100 = 8 करोड़ > 100 <200 = 12 करोड़ > 200 <300 = 18 करोड़ > 300 = 25 करोड़
33.	ई-विधान उत्पादीकरण की लागत	ई विधान एमएमपी के लिए कन्फिग्यूरेबल, मल्टी टेनेंसी जेनेरिक एप्लिकेशन
34.	अंतर विश्लेषण	राज्य विधानमंडलों में 38 जगह
35.	ग्राहकीकरण/स्थानीयकरण/ चालू करने की लागत	राज्य विधानमंडलों में 45 जगह

क्रम सं.	घटक /मदों का विवरण	मान्यताएँ/वास्तविक
36.	36 मास हेतु ई-विधान के कार्यान्वयन के लिए कर्मचारी	प्रत्येक राज्य विधानमंडल में ई-विधान कार्यान्वयन ई-सुविधा ई-लर्निंग सीपीएमयू एसपीएमयू नेवा यदि सदस्य <100 = 3 करोड़ > 100 <200 = 5 करोड़ > 200 <300 = 8 करोड़ > 300 = 10 करोड़
37.	यात्रा लागत	ई-विधान की कुल लागत का 1%
38.	आकस्मिक और विविध निधि	ई-विधान कार्यान्वयन आकस्मिक और विविध कोष = परियोजना लागत का 1%
39.	एनआईसीएसआई प्रभार	ई-विधान की कुल लागत का 1% (एन.के.एन. परियोजना के अनुसार)

अनुबंध-II

नेवा एमएमपी के लिए अपेक्षित वस्तुओं की मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार):

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	सदस्य संख्या	कर्मचारियों की संख्या श्रेणी-3 और उससे ऊपर	शाखाओं की संख्या	अधिकृत मीडिया केंद्र	टैबलेट उपकरणों की संख्या (सदन में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	176	160	25	1	229
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	58	120	25	1	75
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	60	50	25	1	78
4	असम विधानसभा	दिसपुर	126	235	50	1	164
5	बिहार विधानसभा	पटना	243	350	82	1	316
6	बिहार परिषद	पटना	75	120	25	1	98
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	91	160	25	1	118
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	40	125	25	1	52
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	182	160	25	1	237
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	90	250	25	1	117
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	68	133	25	1	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	68	133	25	1	88
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	90	250	25	1	117
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	90	250	25	1	117
15	झारखंड विधानसभा	रांची	82	70	25	1	107
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	225	482	34	1	293
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	75	272	22	1	98
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	225	482	34	1	293
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	75	272	22	1	98
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	141	585	64	1	183
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	231	400	30	1	300
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	278	270	34	1	361
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	78	120	25	1	101
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	278	200	25	1	361
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	78	120	25	1	101
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	60	195	25	1	78
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	60	196	18	1	78
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	40	124	25	1	52
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	60	120	25	1	78
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	147	344	15	1	191
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	117	246	25	1	152
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	200	300	52	1	260
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	32	103	11	1	42
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	235	250	35	1	306
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	120	70	25	1	156
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	40	120	25	1	52
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	60	300	18	1	78
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	404	267	45	1	525
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	100	289	25	1	130
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	71	131	18	1	92

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	71	120	25	1	92
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	294	200	25	1	382
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	70	120	25	1	91
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	30	136	25	1	39
	कुल	कुल44एस एल	**5434**	**9400**	**1259**	**44**	**6976**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)-कृत्रिम डिजिटल सदन						**46**
	कुल योग						**7022**
	कुल एमएलए-4123+एम एल सी -426=कुल 4549-68=4481	कुल-36 एसएल-(एचपी)	**4481**	**7690**	**1053**	**43**	
		कुल 31 एसएल	**4123**				

अनुबंध-III

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	वैयक्तिगत कंप्यूटरों (पीसी) की संख्या	लैपटॉप की संख्या	प्रचार	कलर प्रिंटरों की संख्या	एम.एफ. कलर प्रिंटरों की संख्या
			(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	222	3	1	0	13
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	185	3	1	0	13
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	120	3	1	0	13
4	असम विधानसभा	दिसपुर	292	3	1	0	25
5	बिहार विधानसभा	पटना	400	3	1	0	41
6	बिहार परिषद	पटना	185	3	1	0	13
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	222	3	1	0	13
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	190	3	1	0	13
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	222	3	1	0	13
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	306	3	1	0	13
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	197	0	1	0	13
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	306	3	1	0	13
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	306	0	0	0	13
15	झारखंड विधानसभा	रांची	138	3	1	0	13
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	523	3	1	0	17
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	327	3	1	0	11
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	523	0	0	0	17
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	327	0	0	0	11
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	619	3	1	0	32
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	446	3	1	0	15
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	325	3	1	0	17
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	185	3	1	0	13
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	260	0	0	0	13
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	185	0	0	0	13
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	255	3	1	0	13
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	256	3	1	0	9
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	189	3	1	0	13
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	185	3	1	0	13
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	394	3	1	0	8
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	303	3	1	0	13
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	353	3	1	0	26
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	169	3	1	0	6
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	306	3	1	0	18
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	138	3	1	0	13
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	185	3	1	0	13
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	353	3	1	0	9
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	322	3	1	0	23
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	343	3	1	0	13
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	195	3	1	0	9
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	185	0	0	0	13

42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	260	3	1	0	13
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	185	3	1	0	13
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुदूचेरी	200	3	1	0	13
	कुल	कुल **44** एसएल	**11787**	**108**	**37**	**0**	**632**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		**34**	**5**	**1**	**0**	**1**
	कुल योग		**11821**	**113**	**38**	**0**	**633**

अनुबंध-IV

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	आईडी कार्ड प्रिंटरों की संख्या	स्कैनर्स की संख्या	यूपीएस-500 वीए की संख्या	यूपीएस- 2 केवीए की संख्या	यूपीएस- 5 केवीए की संख्या
			(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	1	4	77	25	2
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	1	2	61	25	2
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	1	2	33	25	2
4	असम विधानसभा	दिसपुर	1	4	107	50	2
5	बिहार विधानसभा	पटना	1	4	153	82	2
6	बिहार परिषद	पटना	1	2	61	25	2
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	1	2	77	25	2
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	1	2	63	25	2
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	1	4	77	25	2
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	1	2	113	25	2
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	3	66	25	2
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	1	2	113	25	2
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	2	113	25	2
15	झारखंड विधानसभा	रांची	1	2	41	25	2
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	1	4	206	34	2
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	1	2	122	22	2
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	4	206	34	2
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	2	122	22	2
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	1	4	247	64	2
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	1	4	173	30	2
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	1	4	121	34	2
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	1	2	61	25	2
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	4	93	25	2
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	2	61	25	2
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	1	2	91	25	2
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	1	2	91	18	2
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	1	2	63	25	2
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	1	2	61	25	2
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	1	4	151	15	2
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	1	4	111	25	2
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	1	4	133	52	2
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	1	2	54	11	2
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	1	4	113	35	2
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	1	4	41	25	2
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	1	4	61	25	2
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	1	2	133	18	2
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	1	4	120	45	2
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	1	4	129	25	2
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	1	2	65	18	2

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	2	61	25	2
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	1	4	93	25	2
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	1	2	61	25	2
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	1	2	67	25	2
	कुल:	कुल **44** एसएल	**36**	**125**	**4266**	**1234**	**86**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		**0**	**1**	**36**	**0**	**0**
	कुल योग		**36**	**126**	**4302**	**1234**	**86**

अनुबंध-V

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	यूपीएस- 10 केवीए की संख्या	एल.ए.एन. नोड्स की संख्या	वाईफाई एक्सेस प्वाइंट्स की संख्या	डब्ल्यू.ए.एन. लिंक की संख्या	डेस्क्टॉप वी.सी. की संख्या
			(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	6	484	30	1	5
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	6	293	20	1	5
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	6	231	20	1	5
4	असम विधानसभा	दिसपुर	6	489	30	1	5
5	बिहार विधानसभा	पटना	6	749	30	1	5
6	बिहार परिषद	पटना	6	316	20	1	5
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	6	373	20	1	5
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	6	275	20	1	5
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	6	492	30	1	5
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	6	456	20	1	5
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	6	315	20	1	5
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	6	456	20	1	5
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	6	453	20	1	5
15	झारखंड विधानसभा	रांची	6	278	20	1	5
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	6	849	30	1	5
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	6	458	20	1	5
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	6	785	30	1	5
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	6	414	20	1	5
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	6	835	30	1	5
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	6	779	30	1	5
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	6	719	30	1	5
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	6	319	20	1	5
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	6	651	30	1	5
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	6	316	20	1	5
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	6	366	20	1	5
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	6	367	20	1	5
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	6	274	20	1	5
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	6	296	20	1	5
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	6	618	30	1	5
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	6	488	30	1	5
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	6	646	30	1	5
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	6	244	20	1	5
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	6	645	30	1	5
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	6	327	30	1	5
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	6	270	20	1	5
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	6	464	20	1	5
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	6	880	30	1	5
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	6	506	20	1	5
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	6	320	20	1	5

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	6	307	20	1	5
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	6	675	30	1	5
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	6	309	20	1	5
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	6	272	20	1	5
	कुल:	कुल **44** एसएल	**258**	**20059**	**1030**	**43**	**215**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		**0**	**36**	**0**	**0**	**2**
	कुल योग		**258**	**20095**	**1030**	**43**	**217**

अनुबंध-VI

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	वी.सी. स्टुडियो की संख्या	ई-निर्वाचन क्षेत्र प्रबंधन हेतु टचपैड की संख्या	प्रोजैक्शन सिस्टम की संख्या	डिजिटल बोर्डों की संख्या	डिस्पले पैनल्स की संख्या
			(24)	(25)	(26)	(27)	(28)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	2	176	5	1	10
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	0	58	3	1	5
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	2	60	3	1	5
4	असम विधानसभा	दिसपुर	2	126	5	1	10
5	बिहार विधानसभा	पटना	2	243	6	1	10
6	बिहार परिषद	पटना	0	75	3	1	5
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	2	91	3	1	5
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	2	40	3	1	5
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	2	182	5	1	10
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	2	90	3	1	5
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	0	1	0	5
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	2	90	3	1	5
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	0	0	0	5
15	झारखंड विधानसभा	रांची	2	82	3	1	5
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	2	225	6	1	10
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	0	75	3	1	5
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	0	0	0	10
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	0	0	0	5
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	2	141	5	1	10
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	2	231	6	1	10
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	2	278	6	1	10
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	0	78	3	1	5
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	0	0	0	10
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	0	0	0	5
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	2	60	3	1	5
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	2	60	3	1	5
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	2	40	3	1	5
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	2	60	3	1	5
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	2	147	5	1	10
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	2	117	5	1	10
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	2	200	5	1	10
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	2	32	3	1	5
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	2	235	6	1	10
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	2	120	5	1	10
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	0	40	3	1	5
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	2	60	3	1	5
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	2	404	7	1	10
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	0	100	3	1	10
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	2	71	3	1	5

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	0	0	0	5
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	2	294	6	1	10
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	2	70	3	1	5
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	2	30	3	1	5
	कुल:	कुल **44** एस एल	**60**	**4481**	**147**	**36**	**305**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		**1**	**5**	**1**	**1**	**2**
	कुल योग		**61**	**4486**	**148**	**37**	**307**

अनुबंध-VII

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)						
क्र.सं.	**राज्य विधानमंडल का नाम**	**स्थान**	**डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग यूनिट**	**लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग**	**डीसी 3 सर्वर, 20टीबी एसएएन, वीटीएल**	**ई-हस्ताक्षर डीएससी संख्या**
			(29)	**(30)**	**(31)**	**(32)**
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	2	2	1	238
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	2	2	1	112
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	2	2	1	100
4	असम विधानसभा	दिसपुर	2	2	1	228
5	बिहार विधानसभा	पटना	2	2	1	400
6	बिहार परिषद	पटना	2	2	1	129
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	2	2	1	153
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	2	2	1	95
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	2	2	1	244
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	2	2	1	170
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	2	2	1	0
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	2	2	1	169
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	2	2	1	0
15	झारखंड विधानसभा	रांची	2	2	1	126
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	2	2	1	360
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	2	2	1	156
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	2	2	1	0
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	2	2	1	0
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	2	2	1	327
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	2	2	1	346
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	2	2	1	371
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	2	2	1	132
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	2	2	1	0
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	2	2	1	0
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	2	2	1	129
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	2	2	1	122
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	2	2	1	95
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	2	2	1	114
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	2	2	1	236
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	2	2	1	196
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	2	2	1	317
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	2	2	1	69
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	2	2	1	325
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	2	2	1	164
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	2	2	1	94
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	2	2	1	143
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	2	2	1	507
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	2	2	1	188
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	2	2	1	120

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	2	2	1	0
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	2	2	1	364
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	2	2	1	124
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	2	2	1	87
	कुल:	कुल **44** एस एल	**86**	**86**	**43**	**7251**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		**0**	**0**	**0**	**0**
	कुल योग		**86**	**86**	**43**	**7251**

अनुबंध-VIII

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	सदस्य संख्या	टैबलेट उपकरणों की लागत (सदन के भीतर)	व्यक्तिगत कंप्यूटरों की लागत	लैपटॉप्स की लागत	प्रचार
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	176	20610000	1,33,20,000	240000	26,00,000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	58	6750000	1,11,00,000	240000	26,00,000
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	60	7020000	72,00,000	240000	26,00,000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	126	14760000	1,75,20,000	240000	26,00,000
5	बिहार विधानसभा	पटना	243	28440000	2,40,00,000	240000	26,00,000
6	बिहार परिषद	पटना	75	8820000	1,11,00,000	240000	26,00,000
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	91	10620000	1,33,20,000	240000	26,00,000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	40	4680000	1,14,00,000	240000	26,00,000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	182	21330000	1,33,20,000	240000	26,00,000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	90	10530000	1,83,60,000	240000	26,00,000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	68	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	68	7920000	1,18,20,000	0	26,00,000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	90	10530000	1,83,60,000	240000	26,00,000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	90	10530000	1,83,60,000	0	0
15	झारखंड विधानसभा	रांची	82	9630000	82,80,000	240000	26,00,000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	225	26370000	3,13,80,000	240000	26,00,000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	75	8820000	1,96,20,000	240000	26,00,000
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	225	26370000	3,13,80,000	0	0
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	75	8820000	1,96,20,000	0	0
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	141	16470000	3,71,40,000	240000	26,00,000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	231	27000000	2,67,60,000	240000	26,00,000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	278	32490000	1,95,00,000	240000	26,00,000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	78	9090000	1,11,00,000	240000	26,00,000
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	278	32490000	1,56,00,000	0	0
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	78	9090000	1,11,00,000	0	0
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	60	7020000	1,53,00,000	240000	26,00,000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	60	7020000	1,53,60,000	240000	26,00,000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	40	4680000	1,13,40,000	240000	26,00,000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	60	7020000	1,11,00,000	240000	26,00,000
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	147	17190000	2,36,40,000	240000	26,00,000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	117	13680000	1,81,80,000	240000	26,00,000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	200	23400000	2,11,80,000	240000	26,00,000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	32	3780000	1,01,40,000	240000	26,00,000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	235	27540000	1,83,60,000	240000	26,00,000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	120	14040000	82,80,000	240000	26,00,000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	40	4680000	1,11,00,000	240000	26,00,000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	60	7020000	2,11,80,000	240000	26,00,000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	404	47250000	1,93,20,000	240000	26,00,000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	100	11700000	2,05,80,000	240000	26,00,000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	71	8280000	1,17,00,000	240000	26,00,000

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	71	8280000	1,11,00,000	0	0
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	294	34380000	1,56,00,000	240000	26,00,000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	70	8190000	1,11,00,000	240000	26,00,000
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	30	3510000	1,20,00,000	240000	26,00,000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)			4140000	20,40,000	400000	20,15,00,000
	कुल:			63,19,80,000	70,92,60,000	90,40,000	29,77,00,000

अनुबंध-IX

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	कलर प्रिंटरों की लागत	एमएफपी कलर प्रिंटरों की लागत	आईडी कार्ड प्रिंटरों की लागत	स्कैनर्स की लागत	यूपीएस-500 वीए की लागत
			(8)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	0	455000	150000	300000	385000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	0	455000	150000	150000	305000
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	0	455000	150000	150000	165000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	0	875000	150000	300000	535000
5	बिहार विधानसभा	पटना	0	1435000	150000	300000	765000
6	बिहार परिषद	पटना	0	455000	150000	150000	305000
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	0	455000	150000	150000	385000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	0	455000	150000	150000	315000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	0	455000	150000	300000	385000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	0	455000	150000	150000	565000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	455000	0	225000	331000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	0	455000	150000	150000	565000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	455000	0	150000	565000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	0	455000	150000	150000	205000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	0	595000	150000	300000	1029000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	0	385000	150000	150000	609000
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	595000	0	300000	1030000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	385000	0	150000	610000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	0	1120000	150000	300000	1235000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	0	525000	150000	300000	865000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	0	595000	150000	300000	605000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	0	455000	150000	150000	305000
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	455000	0	300000	465000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	455000	0	150000	305000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	0	455000	150000	150000	455000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	0	315000	150000	150000	457000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	0	455000	150000	150000	313000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	0	455000	150000	150000	305000
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	0	280000	150000	300000	753000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	0	455000	150000	300000	557000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	0	910000	150000	300000	665000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	0	210000	150000	150000	271000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	0	630000	150000	300000	565000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	0	455000	150000	300000	205000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	0	455000	150000	300000	305000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	0	315000	150000	150000	665000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	0	805000	150000	300000	599000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	0	455000	150000	300000	643000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	0	315000	150000	150000	327000

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	455000	0	150000	305000
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	0	455000	150000	300000	465000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	0	455000	150000	150000	305000
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	0	455000	150000	150000	337000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		0	35000		75000	180000
	कुल:		0	2,21,55,000	54,00,000	94,50,000	2,15,11,000

अनुबंध-X

नेवा एमएमपी मात्रा का बिल (राज्य विधानमंडल स्थान वार)						
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	यूपीएस-2 केवीए की लागत	यूपीएस-5 केवीए की लागत	यूपीएस-10 केवीए की लागत	कुल लागत (ए)
			(29)	(30)	(31)	(32)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	625000	400000	3000000	4,20,85,000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	625000	400000	3000000	2,57,75,000
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	625000	400000	3000000	2,20,05,000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	1250000	400000	3000000	4,16,30,000
5	बिहार विधानसभा	पटना	2050000	400000	3000000	6,33,80,000
6	बिहार परिषद	पटना	625000	400000	3000000	2,78,45,000
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	625000	400000	3000000	3,19,45,000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	625000	400000	3000000	2,40,15,000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	625000	400000	3000000	4,28,05,000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	625000	400000	3000000	3,70,75,000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	625000	400000	3000000	2,73,76,000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	625000	400000	3000000	3,70,75,000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	625000	400000	3000000	3,40,85,000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	625000	400000	3000000	2,57,35,000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	850000	400000	3000000	6,69,14,000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	550000	400000	3000000	3,65,24,000
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	850000	400000	3000000	6,39,25,000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	550000	400000	3000000	3,35,35,000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	1600000	400000	3000000	6,42,55,000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	750000	400000	3000000	6,25,90,000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	850000	400000	3000000	6,07,30,000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	625000	400000	3000000	2,81,15,000
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	625000	400000	3000000	5,33,35,000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	625000	400000	3000000	2,51,25,000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	625000	400000	3000000	3,03,95,000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	450000	400000	3000000	3,01,42,000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	625000	400000	3000000	2,39,53,000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	625000	400000	3000000	2,60,45,000
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	375000	400000	3000000	4,89,28,000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	625000	400000	3000000	4,01,87,000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	1300000	400000	3000000	5,41,45,000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	275000	400000	3000000	2,12,16,000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	875000	400000	3000000	5,46,60,000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	625000	400000	3000000	3,02,95,000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	625000	400000	3000000	2,38,55,000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	450000	400000	3000000	3,61,70,000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	1125000	400000	3000000	7,57,89,000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	625000	400000	3000000	4,06,93,000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	450000	400000	3000000	2,76,12,000
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	625000	400000	3000000	2,43,15,000

42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	625000	400000	3000000	5,82,15,000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	625000	400000	3000000	2,72,15,000
44	पुडुचेरी विधानसभा	पुदूचेरी	625000	400000	3000000	2,34,67,000
						0
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)					20,83,70,000
	कुल:		3,08,50,000	1,72,00,000	12,90,00,000	1,88,35,46,000

अनुबंध-XI

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	एल.ए.एन. नोड्स की लागत	वाईफाई एक्सेस प्वाइंट्स की लागत	डब्ल्यू.ए.एन. लिंक की लागत	डेस्कटॉप वीसी की लागत	वीसी स्टुडियो की लागत
			(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	968000	2910000	6500000	100000	1200000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	586000	1940000	6500000	100000	0
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	462000	1940000	6500000	100000	1200000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	978000	2910000	6500000	100000	1200000
5	बिहार विधानसभा	पटना	1498000	2910000	6500000	100000	1200000
6	बिहार परिषद	पटना	632000	1940000	6500000	100000	0
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	746000	1940000	6500000	100000	1200000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	550000	1940000	6500000	100000	1200000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	984000	2910000	6500000	100000	1200000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	912000	1940000	6500000	100000	1200000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	630000	1940000	6500000	100000	0
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	912000	1940000	6500000	100000	1200000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	906000	1940000	6500000	100000	0
15	झारखंड विधानसभा	रांची	556000	1940000	6500000	100000	1200000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	1698000	2910000	6500000	100000	1200000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	916000	1940000	6500000	100000	0
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	1570000	2910000	6500000	100000	0
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	828000	1940000	6500000	100000	0
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	1670000	2910000	6500000	100000	1200000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	1558000	2910000	6500000	100000	1200000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	1438000	2910000	6500000	100000	1200000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	638000	1940000	6500000	100000	0
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	1302000	2910000	6500000	100000	0
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	632000	1940000	6500000	100000	0
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	732000	1940000	6500000	100000	1200000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	734000	1940000	6500000	100000	1200000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	548000	1940000	6500000	100000	1200000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	592000	1940000	6500000	100000	1200000
30	ऊड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	1236000	2910000	6500000	100000	1200000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	976000	2910000	6500000	100000	1200000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	1292000	2910000	6500000	100000	1200000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	488000	1940000	6500000	100000	1200000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	1290000	2910000	6500000	100000	1200000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	654000	2910000	6500000	100000	1200000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	540000	1940000	6500000	100000	0
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	928000	1940000	6500000	100000	1200000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	1760000	2910000	6500000	100000	1200000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	1012000	1940000	6500000	100000	0
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	640000	1940000	6500000	100000	1200000

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	614000	1940000	6500000	100000	0
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	1350000	2910000	6500000	100000	1200000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	618000	1940000	6500000	100000	1200000
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	544000	1940000	6500000	100000	1200000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		72000			40000	600000
	कुल:		40190000	99910000	279500000	4340000	36600000

अनुबंध-XII

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	टचपैड्स की लागत	प्रोजेक्शन सिस्टम की लागत	डिजिटल बोर्डों की लागत	डिस्प्ले पैनल की लागत	डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग यूनिटों की लागत
			(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	11387200	1500000	300000	1500000	700000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	3752600	900000	300000	750000	700000
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	3882000	900000	300000	750000	700000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	8152200	1500000	300000	1500000	700000
5	बिहार विधानसभा	पटना	15722100	1800000	300000	1500000	700000
6	बिहार परिषद	पटना	4852500	900000	300000	750000	700000
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	5887700	900000	300000	750000	700000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	2588000	900000	300000	750000	700000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	11775400	1500000	300000	1500000	700000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	5823000	900000	300000	750000	700000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	300000	0	750000	700000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	5823000	900000	300000	750000	700000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	0	0	750000	700000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	5305400	900000	300000	750000	700000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	14557500	1800000	300000	1500000	700000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	4852500	900000	300000	750000	700000
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	0	0	1500000	700000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	0	0	750000	700000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	9122700	1500000	300000	1500000	700000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	14945700	1800000	300000	1500000	700000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	17986600	1800000	300000	1500000	700000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	5046600	900000	300000	750000	700000
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	0	0	1500000	700000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	0	0	750000	700000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	3882000	900000	300000	750000	700000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	3882000	900000	300000	750000	700000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	2588000	900000	300000	750000	700000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	3882000	900000	300000	750000	700000
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	9510900	1500000	300000	1500000	700000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	7569900	1500000	300000	1500000	700000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	12940000	1500000	300000	1500000	700000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	2070400	900000	300000	750000	700000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	15204500	1800000	300000	1500000	700000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	7764000	1500000	300000	1500000	700000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	2588000	900000	300000	750000	700000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	3882000	900000	300000	750000	700000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	26138800	2100000	300000	1500000	700000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	6470000	900000	300000	1500000	700000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	4593700	900000	300000	750000	700000

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	0	0	750000	700000
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	19021800	1800000	300000	1500000	700000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	4529000	900000	300000	750000	700000
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	1941000	900000	300000	750000	700000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		323500	300000	300000	300000	0
	कुल:		290244200	44400000	11100000	46050000	30100000

अनुबंध-XIII

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में						
क्र.सं.	**राज्य विधानमंडल का नाम**	**स्थान**	**लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग**	**डीसी 4 सर्वर्स, 20टीबी एसएएन, वीटीएल**	**नेवा उत्पादीकरण लागत**	**कुल लागत (बी)**
			(28)	**(29)**	**(30)**	**(31)**
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	600000	20000000	0	4,76,65,200
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	600000	20000000	0	3,61,28,600
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	600000	20000000	0	3,73,34,000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	600000	20000000	0	4,44,40,200
5	बिहार विधानसभा	पटना	600000	20000000	0	5,28,30,100
6	बिहार परिषद	पटना	600000	20000000	0	3,72,74,500
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	600000	20000000	0	3,96,23,700
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	600000	20000000	0	3,61,28,000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	600000	20000000	0	4,80,69,400
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	600000	20000000	0	3,97,25,000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	600000	20000000	0	3,15,20,000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	600000	20000000	0	3,97,25,000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	600000	20000000	0	3,14,96,000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	600000	20000000	0	3,88,51,400
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	600000	20000000	0	5,18,65,500
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	600000	20000000	0	3,75,58,500
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	600000	20000000	0	3,38,80,000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	600000	20000000	0	3,14,18,000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	600000	20000000	0	4,61,02,700
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	600000	20000000	0	5,21,13,700
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	600000	20000000	0	5,50,34,600
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	600000	20000000	0	3,74,74,600
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	600000	20000000	0	3,36,12,000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	600000	20000000	0	3,12,22,000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	600000	20000000	0	3,76,04,000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	600000	20000000	0	3,76,06,000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	600000	20000000	0	3,61,26,000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	600000	20000000	0	3,74,64,000
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	600000	20000000	0	4,60,56,900
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	600000	20000000	0	4,38,55,900
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	600000	20000000	0	4,95,42,000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	600000	20000000	0	3,55,48,400
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	600000	20000000	0	5,21,04,500
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	600000	20000000	0	4,37,28,000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	600000	20000000	0	3,49,18,000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	600000	20000000	0	3,78,00,000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	600000	20000000	0	6,38,08,800
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	600000	20000000	0	4,00,22,000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	600000	20000000	0	3,82,23,700

41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	600000	20000000	0	3,12,04,000
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	600000	20000000	0	5,59,81,800
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	600000	20000000	0	3,81,37,000
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	600000	20000000	0	3,54,75,000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)				14900000	1,68,35,500
						0
	कुल:		25800000	860000000	14900000	1,78,31,34,200

अनुबंध-XIV

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	अंतर (GAP) विश्लेषण	ग्राहकीकरण और चालू करना	टैबलेट उपकरण प्रबंधन सूट	सिविल कार्य	विद्युत कार्य
			(32)	(33)	(34)	(35)	(36)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	10,00,000	25,00,000	34,35,000	1,20,00,000	30,00,000
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	10,00,000	25,00,000	11,25,000	90,00,000	20,00,000
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	10,00,000	25,00,000	11,70,000	90,00,000	20,00,000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	10,00,000	25,00,000	24,60,000	1,20,00,000	30,00,000
5	बिहार विधानसभा	पटना	10,00,000	25,00,000	47,40,000	1,90,00,000	50,00,000
6	बिहार परिषद	पटना	10,00,000	25,00,000	14,70,000	90,00,000	20,00,000
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	10,00,000	25,00,000	17,70,000	90,00,000	20,00,000
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	10,00,000	25,00,000	7,80,000	90,00,000	20,00,000
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	10,00,000	25,00,000	35,55,000	1,20,00,000	30,00,000
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	10,00,000	25,00,000	17,55,000	90,00,000	20,00,000
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	10,00,000	25,00,000	13,20,000	90,00,000	20,00,000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	10,00,000	25,00,000	17,55,000	90,00,000	20,00,000
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	25,00,000	17,55,000	90,00,000	20,00,000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	10,00,000	25,00,000	16,05,000	90,00,000	20,00,000
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	10,00,000	25,00,000	43,95,000	1,90,00,000	50,00,000
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	10,00,000	25,00,000	14,70,000	90,00,000	20,00,000
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	25,00,000	43,95,000	1,90,00,000	50,00,000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	25,00,000	14,70,000	90,00,000	20,00,000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	10,00,000	25,00,000	27,45,000	1,20,00,000	30,00,000
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	10,00,000	25,00,000	45,00,000	1,90,00,000	50,00,000
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	10,00,000	25,00,000	54,15,000	1,90,00,000	50,00,000
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	10,00,000	25,00,000	15,15,000	90,00,000	20,00,000
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	25,00,000	54,15,000	1,90,00,000	50,00,000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	25,00,000	15,15,000	90,00,000	20,00,000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	10,00,000	25,00,000	11,70,000	90,00,000	20,00,000
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	10,00,000	25,00,000	11,70,000	90,00,000	20,00,000
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	10,00,000	25,00,000	7,80,000	90,00,000	20,00,000
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	10,00,000	25,00,000	11,70,000	90,00,000	20,00,000
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	10,00,000	25,00,000	28,65,000	1,20,00,000	30,00,000
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	10,00,000	25,00,000	22,80,000	1,20,00,000	30,00,000
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	10,00,000	25,00,000	39,00,000	1,20,00,000	30,00,000
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	10,00,000	25,00,000	6,30,000	90,00,000	20,00,000
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	10,00,000	25,00,000	45,90,000	1,90,00,000	50,00,000
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	10,00,000	25,00,000	23,40,000	1,20,00,000	30,00,000
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	10,00,000	25,00,000	7,80,000	90,00,000	20,00,000
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	10,00,000	25,00,000	11,70,000	90,00,000	20,00,000
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	10,00,000	25,00,000	78,75,000	2,50,00,000	1,00,00,000
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	10,00,000	25,00,000	19,50,000	90,00,000	20,00,000
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	10,00,000	25,00,000	13,80,000	90,00,000	20,00,000
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	25,00,000	13,80,000	90,00,000	20,00,000

42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	10,00,000	25,00,000	57,30,000	1,90,00,000	50,00,000
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	10,00,000	25,00,000	13,65,000	90,00,000	20,00,000
44	पुदूचेरी विधानसभा	पुदूचेरी	10,00,000	25,00,000	5,85,000	90,00,000	20,00,000
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)				6,90,000	500000	100000
	कुल:		3,70,00,000	10,75,00,000	10,53,30,000	50,75,00,000	12,61,00,000

अनुबंध-XV

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम	डी.बी.एम.एस.	ऑफिस सूट	भाषा फॉंट उपकरण	वेब एप्लिकेशन सुरक्षा जांच और मेघराज पर वेब होस्टिंग/डीआर साइट
			(37)	(38)	(39)	(40)	(41)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	600000	250000	3375000	11,25,000	0
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	600000	250000	2820000	9,40,000	0
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	600000	250000	1845000	6,15,000	0
4	असम विधानसभा	दिसपुर	600000	250000	4425000	14,75,000	0
5	बिहार विधानसभा	पटना	600000	250000	6045000	20,15,000	0
6	बिहार परिषद	पटना	600000	250000	2820000	9,40,000	0
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	600000	250000	3375000	11,25,000	0
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	600000	250000	2895000	9,65,000	0
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	600000	250000	3375000	11,25,000	0
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	600000	250000	4635000	15,45,000	0
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	600000	250000	2955000	9,85,000	0
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	600000	250000	4635000	15,45,000	0
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	600000	250000	4590000	15,30,000	0
15	झारखंड विधानसभा	रांची	600000	250000	2115000	7,05,000	0
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	600000	250000	7890000	26,30,000	0
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	600000	250000	4950000	16,50,000	0
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	600000	250000	7845000	26,15,000	0
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	600000	250000	4905000	16,35,000	0
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	600000	250000	9330000	31,10,000	0
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	600000	250000	6735000	22,45,000	0
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	600000	250000	4920000	16,40,000	0
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	600000	250000	2820000	9,40,000	0
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	600000	250000	3900000	13,00,000	0
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	600000	250000	2775000	9,25,000	0
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	600000	250000	3870000	12,90,000	0
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	600000	250000	3885000	12,95,000	0
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	600000	250000	2880000	9,60,000	0
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	600000	250000	2820000	9,40,000	0
30	ऊड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	600000	250000	5955000	19,85,000	0
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	600000	250000	4590000	15,30,000	0
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	600000	250000	5340000	17,80,000	0
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	600000	250000	2580000	8,60,000	0
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	600000	250000	4635000	15,45,000	0
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	600000	250000	2115000	7,05,000	0
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	600000	250000	2820000	9,40,000	0
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	600000	250000	5340000	17,80,000	0
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	600000	250000	4875000	16,25,000	0

39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	600000	250000	5190000	17,30,000	0
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	600000	250000	2970000	9,90,000	0
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	600000	250000	2775000	9,25,000	0
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	600000	250000	3945000	13,15,000	0
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	600000	250000	2820000	9,40,000	0
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	600000	250000	3045000	10,15,000	0
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)				585000	1,95,000	75023684
	कुल:		2,58,00,000	1,07,50,000	17,90,10,000	5,96,70,000	7,50,23,684

अनुबंध-XVI

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में					
क्र.सं.	**राज्य विधानमंडल का नाम**	**स्थान**	**ई-हस्ताक्षर/डीएससी लागत**	**डिजिटल अभिलेखागार**	**कुल लागत (सी)**
			(42)	**(43)**	**(44)**
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	3,45,100	50,00,000	3,26,30,100
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	1,62,400	50,00,000	2,53,97,400
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	1,45,000	50,00,000	2,41,25,000
4	असम विधानसभा	दिसपुर	3,30,600	50,00,000	3,30,40,600
5	बिहार विधानसभा	पटना	5,80,000	50,00,000	4,67,30,000
6	बिहार परिषद	पटना	1,87,050	50,00,000	2,57,67,050
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	2,21,850	50,00,000	2,68,41,850
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	1,37,750	50,00,000	2,51,27,750
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	3,53,800	50,00,000	3,27,58,800
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	2,46,500	50,00,000	2,85,31,500
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	0	2,06,10,000
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	2,45,050	50,00,000	2,85,30,050
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	0	2,22,25,000
15	झारखंड विधानसभा	रांची	1,82,700	50,00,000	2,49,57,700
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	5,22,580	50,00,000	4,87,87,580
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	2,26,780	50,00,000	2,86,46,780
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	0	4,22,05,000
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	0	2,23,60,000
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	4,74,150	50,00,000	4,00,09,150
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	5,01,700	50,00,000	4,73,31,700
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	5,37,950	50,00,000	4,58,62,950
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	1,91,400	50,00,000	2,58,16,400
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	0	3,79,65,000
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	0	1,95,65,000
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	1,87,050	50,00,000	2,68,67,050
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	1,77,190	50,00,000	2,68,77,190
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	1,37,460	50,00,000	2,51,07,460
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	1,65,300	50,00,000	2,54,45,300
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	3,41,910	50,00,000	3,54,96,910
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	2,84,490	50,00,000	3,30,34,490
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	4,59,650	50,00,000	3,58,29,650
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	99,470	50,00,000	2,45,19,470
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	4,71,250	50,00,000	4,45,91,250
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	2,37,800	50,00,000	2,97,47,800
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	1,36,300	50,00,000	2,50,26,300
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	2,07,350	50,00,000	2,88,47,350
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	7,35,730	50,00,000	5,94,60,730
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	2,72,310	50,00,000	2,94,92,310
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	1,74,290	50,00,000	2,58,64,290
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	0	1,94,30,000

42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	5,27,800	50,00,000	4,48,67,800
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	1,79,800	50,00,000	2,56,54,800
44	पुदूचेरी विधानसभा	पुदूचेरी	1,26,440	50,00,000	2,51,21,440
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		0		7,70,93,684
	कुल:		1,05,13,950	18,00,00,000	1,42,41,97,634

अनुबंध-XVII

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में							
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	एसपीएमयू के लिए कर्मचारी	एसपीएमयू, नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा, ई-लर्निंग) के लिए कर्मचारी	कुल लागत (डी)	कुल टी1=(कुल ए+बी+सी+डी)	क्षमता निर्माण (सीबी) @टी1 का 2% और यात्रा लागत (टीसी)
			(45)	(46)	(47)	(48)	(49)
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	0	4,59,00,000	4,59,00,000	16,82,80,300	25,24,205
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,83,01,000	17,74,515
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,44,64,000	17,16,960
4	असम विधानसभा	दिसपुर	0	4,59,00,000	4,59,00,000	16,50,10,800	24,75,162
5	बिहार विधानसभा	पटना	0	4,59,00,000	4,59,00,000	20,88,40,100	31,32,602
6	बिहार परिषद	पटना	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,18,86,550	18,28,298
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,94,10,550	19,41,158
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,62,70,750	17,44,061
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	0	4,59,00,000	4,59,00,000	16,95,33,200	25,42,998
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	0	3,10,00,000	3,10,00,000	13,63,31,500	20,44,973
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	0	0	0	7,95,06,000	11,92,590
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	0	3,10,00,000	3,10,00,000	13,63,30,050	20,44,951
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	0	0	0	8,78,06,000	13,17,090
15	झारखंड विधानसभा	रांची	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,05,44,100	18,08,162
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	0	4,59,00,000	4,59,00,000	21,34,67,080	32,02,006
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	0	3,10,00,000	3,10,00,000	13,37,29,280	20,05,939
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	0	0	0	14,00,10,000	21,00,150
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	0	0	0	8,73,13,000	13,09,695
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	0	4,59,00,000	4,59,00,000	19,62,66,850	29,44,003
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	0	4,59,00,000	4,59,00,000	20,79,35,400	31,19,031
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	0	4,59,00,000	4,59,00,000	20,75,27,550	31,12,913
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,24,06,000	18,36,090
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	0	0	0	12,49,12,000	18,73,680
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	0	0	0	7,59,12,000	11,38,680
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,58,66,050	18,87,991
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,56,25,190	18,84,378
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,61,86,460	17,42,797
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,99,54,300	17,99,315
30	ओड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	0	4,59,00,000	4,59,00,000	17,63,81,810	26,45,727
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	0	4,59,00,000	4,59,00,000	16,29,77,390	24,44,661
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	0	4,59,00,000	4,59,00,000	18,54,16,650	27,81,250
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,22,83,870	16,84,258
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	0	4,59,00,000	4,59,00,000	19,72,55,750	29,58,836
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	0	4,59,00,000	4,59,00,000	14,96,70,800	22,45,062
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,47,99,300	17,21,990
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	0	3,10,00,000	3,10,00,000	13,38,17,350	20,07,260
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	0	4,59,00,000	4,59,00,000	24,49,58,530	36,74,378

39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	0	3,10,00,000	3,10,00,000	14,12,07,310	21,18,110
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,26,99,990	18,40,500
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	0	0	0	7,49,49,000	11,24,235
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	0	4,59,00,000	4,59,00,000	20,49,64,600	30,74,469
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	0	3,10,00,000	3,10,00,000	12,20,06,800	18,30,102
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	0	3,10,00,000	3,10,00,000	11,50,63,440	17,25,952
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)			5,20,00,000	5,20,00,000	35,42,99,184	3,54,29,918
	कुल:		0	1,39,15,00,000	1,39,15,00,000	6,48,23,77,834	12,73,51,101

अनुबंध-XVIII

नेवा एमएमपी मद-वार लागत (राज्य विधानमंडल स्थान वार) भारतीय रूपयों में								
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	आकस्मिक और विविध (टी1 का 1%) – (सीएम)	कुल टी2 = कुल टी1+टीसी+सी एम	एनआईसीएस आई प्रभार टी1 का 1%	कुल योग (टी2+एनआई सीएसआई प्रभार)	केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अनुसार केंद्र की हिस्सेदारी (60%)	केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अनुसार राज्य की हिस्सेदारी (40%)
			(50)	(51)	(52)	(53)		
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	16,82,803	17,24,87,308	16,82,803	17,41,70,111	10,45,02,067	6,96,68,044
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	11,83,010	12,12,58,525	11,83,010	12,24,41,535	7,34,64,921	4,89,76,614
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	11,44,640	11,73,25,600	11,44,640	11,84,70,240	10,66,23,216	1,18,47,024
4	असम विधानसभा	दिसपुर	16,50,108	16,91,36,070	16,50,108	17,07,86,178	15,37,07,560	1,70,78,618
5	बिहार विधानसभा	पटना	20,88,401	21,40,61,103	20,88,401	21,61,49,504	12,96,89,702	8,64,59,802
6	बिहार परिषद	पटना	12,18,866	12,49,33,714	12,18,866	12,61,52,579	7,56,91,547	5,04,61,032
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	12,94,106	13,26,45,814	12,94,106	13,39,39,919	8,03,63,951	5,35,75,968
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	11,62,708	11,91,77,519	11,62,708	12,03,40,226	7,22,04,136	4,81,36,090
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	16,95,332	17,37,71,530	16,95,332	17,54,66,862	10,52,80,117	7,01,86,745
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	13,63,315	13,97,39,788	13,63,315	14,11,03,103	8,46,61,862	5,64,41,241
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	7,95,060	8,14,93,650	7,95,060	8,22,88,710	7,40,59,839	82,28,871
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	13,63,301	13,97,38,302	13,63,301	14,11,01,602	14,11,01,602	0
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	8,78,060	9,00,01,150	8,78,060	9,08,79,210	9,08,79,210	0
15	झारखंड विधानसभा	रांची	12,05,441	12,35,57,703	12,05,441	12,47,63,144	7,48,57,886	4,99,05,258
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	21,34,671	21,88,03,757	21,34,671	22,09,38,428	13,25,63,057	8,83,75,371
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	13,37,293	13,70,72,512	13,37,293	13,84,09,805	8,30,45,883	5,53,63,922
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	14,00,100	14,35,10,250	14,00,100	14,49,10,350	8,69,46,210	5,79,64,140
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	8,73,130	8,94,95,825	8,73,130	9,03,68,955	5,42,21,373	3,61,47,582
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	19,62,669	20,11,73,522	19,62,669	20,31,36,190	12,18,81,714	8,12,54,476
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	20,79,354	21,31,33,785	20,79,354	21,52,13,139	12,91,27,883	8,60,85,256
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	20,75,276	21,27,15,739	20,75,276	21,47,91,014	12,88,74,608	8,59,16,406
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	12,24,060	12,54,66,150	12,24,060	12,66,90,210	7,60,14,126	5,06,76,084
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	12,49,120	12,80,34,800	12,49,120	12,92,83,920	7,75,70,352	5,17,13,568
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	7,59,120	7,78,09,800	7,59,120	7,85,68,920	4,71,41,352	3,14,27,568
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	12,58,661	12,90,12,702	12,58,661	13,02,71,362	11,72,44,226	1,30,27,136
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	12,56,252	12,87,65,820	12,56,252	13,00,22,072	11,70,19,865	1,30,02,207
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	11,61,865	11,90,91,122	11,61,865	12,02,52,986	10,82,27,688	1,20,25,298
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	11,99,543	12,29,53,158	11,99,543	12,41,52,701	11,17,37,431	1,24,15,270
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	17,63,818	18,07,91,355	17,63,818	18,25,55,173	10,95,33,104	7,30,22,069
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	16,29,774	16,70,51,825	16,29,774	16,86,81,599	10,12,08,959	6,74,72,640
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	18,54,167	19,00,52,067	18,54,167	19,19,06,233	11,51,43,740	7,67,62,493
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	11,22,839	11,50,90,967	11,22,839	11,62,13,805	10,45,92,425	1,16,21,380
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	19,72,558	20,21,87,144	19,72,558	20,41,59,701	12,24,95,821	8,16,63,880
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	14,96,708	15,34,12,570	14,96,708	15,49,09,278	9,29,45,567	6,19,63,711
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	11,47,993	11,76,69,283	11,47,993	11,88,17,276	7,12,90,366	4,75,26,910
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	13,38,174	13,71,62,784	13,38,174	13,85,00,957	12,46,50,861	1,38,50,096
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	24,49,585	25,10,82,493	24,49,585	25,35,32,079	15,21,19,247	10,14,12,832

39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	14,12,073	14,47,37,493	14,12,073	14,61,49,566	8,76,89,740	5,84,59,826
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	12,27,000	12,57,67,490	12,27,000	12,69,94,490	7,61,96,694	5,07,97,796
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	7,49,490	7,68,22,725	7,49,490	7,75,72,215	4,65,43,329	3,10,28,886
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	20,49,646	21,00,88,715	20,49,646	21,21,38,361	12,72,83,017	8,48,55,344
43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	12,20,068	12,50,56,970	12,20,068	12,62,77,038	12,62,77,038	0
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	11,50,634	11,79,40,026	11,50,634	11,90,90,661	11,90,90,661	0
							4,33,57,63,953	**2,00,67,97,453**
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)		35,42,992	39,32,72,094	35,42,992	39,68,15,086	39,68,15,086	
	कुल:		6,48,23,778	6,67,45,52,713	6,48,23,778	6,73,93,76,492	**4,73,25,79,039**	**2,00,67,97,453**

अनुबंध-XIX

नेवा एमएमपी राज्य विधानमंडल स्थल-वार कुल लागत / प्रति सदस्य लागत (भारतीय रूपयों में)					
क्र.सं.	राज्य विधानमंडल का नाम	स्थान	सदस्य संख्या	कुल योग	प्रति सदस्य लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(53)	
1	आंध्र प्रदेश विधानसभा	अमरावती	176	17,41,70,111	9,89,603
2	आंध्र प्रदेश परिषद	अमरावती	58	12,24,41,535	21,11,061
3	अरुणाचल प्रदेश विधानसभा	इटानगर	60	11,84,70,240	19,74,504
4	असम विधानसभा	दिसपुर	126	17,07,86,178	13,55,446
5	बिहार विधानसभा	पटना	243	21,61,49,504	8,89,504
6	बिहार परिषद	पटना	75	12,61,52,579	16,82,034
7	छत्तीसगढ़ विधानसभा	रायपुर	91	13,39,39,919	14,71,867
8	गोवा विधानसभा	पोरवोरिम	40	12,03,40,226	30,08,506
9	गुजरात विधानसभा	गांधीनगर	182	17,54,66,862	9,64,104
10	हरियाणा विधानसभा	चंडीगढ़	90	14,11,03,103	15,67,812
11	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	शिमला	68	0	0
12	हिमाचल प्रदेश विधानसभा	तपोवन	68	8,22,88,710	12,10,128
13	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	श्रीनगर	90	14,11,01,602	15,67,796
14	जम्मू और कश्मीर विधानसभा	जम्मू	90	9,08,79,210	10,09,769
15	झारखंड विधानसभा	रांची	82	12,47,63,144	15,21,502
16	कर्नाटक विधानसभा	बेंगलुरु	225	22,09,38,428	9,81,949
17	कर्नाटक परिषद	बेंगलुरु	75	13,84,09,805	18,45,464
18	कर्नाटक विधानसभा	बेलगावी	225	14,49,10,350	6,44,046
19	कर्नाटक परिषद	बेलगावी	75	9,03,68,955	12,04,919
20	केरल विधानसभा	त्रिवेन्द्रम	141	20,31,36,190	14,40,682
21	मध्य प्रदेश विधानसभा	भोपाल	231	21,52,13,139	9,31,659
22	महाराष्ट्र विधानसभा	मुंबई	278	21,47,91,014	7,72,630
23	महाराष्ट्र परिषद	मुंबई	78	12,66,90,210	16,24,233
24	महाराष्ट्र विधानसभा	नागपुर	278	12,92,83,920	4,65,050
25	महाराष्ट्र परिषद	नागपुर	78	7,85,68,920	10,07,294
26	मणिपुर विधानसभा	इम्फ़ाल	60	13,02,71,362	21,71,189
27	मेघालय विधानसभा	शिलांग	60	13,00,22,072	21,67,035
28	मिज़ोरम विधानसभा	आइज़ोल	40	12,02,52,986	30,06,325
29	नागालैंड विधानसभा	कोहिमा	60	12,41,52,701	20,69,212
30	उड़ीसा विधानसभा	भुवनेश्वर	147	18,25,55,173	12,41,872
31	पंजाब विधानसभा	चंडीगढ़	117	16,86,81,599	14,41,723
32	राजस्थान विधानसभा	जयपुर	200	19,19,06,233	9,59,531
33	सिक्किम विधानसभा	गंगटोक	32	11,62,13,805	36,31,681
34	तमिलनाडु विधानसभा	चेन्नई	235	20,41,59,701	8,68,765
35	तेलंगाना विधानसभा	हैदराबाद	120	15,49,09,278	12,90,911
36	तेलंगाना परिषद	हैदराबाद	40	11,88,17,276	29,70,432
37	त्रिपुरा विधानसभा	अगरतला	60	13,85,00,957	23,08,349
38	उत्तर प्रदेश विधानसभा	लखनऊ	404	25,35,32,079	6,27,555
39	उत्तर प्रदेश परिषद	लखनऊ	100	14,61,49,566	14,61,496
40	उत्तराखंड विधानसभा	देहरादून	71	12,69,94,490	17,88,655
41	उत्तराखंड विधानसभा	गैरसैंण	71	7,75,72,215	10,92,566
42	पश्चिम बंगाल विधानसभा	कोलकाता	294	21,21,38,361	7,21,559

43	दिल्ली विधानसभा	दिल्ली	70	12,62,77,038	18,03,958
44	पुद्दूचेरी विधानसभा	पुद्दूचेरी	30	11,90,90,661	39,69,689
	कुल	कुल 44 एलएल	5434	0	
	अतिरिक्त (सीपीएमयू)			39,68,15,086	
	प्रति एमएलए औसत लागत	**1483137**			
	कुल योग			**6,73,93,76,492**	

अनुबंध-XX

नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या < =100 (22 राज्य विधानमंडलों के लिए)						
क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**संख्या**	**प्रतिमाह दर +जीएसटी**	**प्रतिमाह लागत**	**प्रतिवर्ष लागत**	**3 वर्षों की लागत**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	वेब प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	डेटाबेस प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर	3	45000	1,59,300	19,11,600	5734800
4	संचालन प्रबंधक	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	संचालन सहायक	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	नेटवर्क संचालन पेशेवर	2	25000	59,000	7,08,000	2124000
7	तकनीकी प्रशिक्षक	2	50000	1,18,000	14,16,000	4248000
8	तकनीकी सहायता पेशेवर	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
	कुल	20	325000	861400	1,03,36,800	31010400
						लगभग 3.10 करोड़
नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या > 100 (15 राज्य विधानमंडलों के लिए)						
क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**संख्या**	**प्रतिमाह दर +जीएसटी**	**प्रतिमाह लागत**	**प्रतिवर्ष लागत**	**3 वर्षों की लागत**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
1	वेब प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	डेटाबेस प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर	6	45000	3,18,600	38,23,200	11469600
4	संचालन प्रबंधक	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	संचालन सहायक	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	नेटवर्क संचालन पेशेवर	5	25000	1,47,500	17,70,000	5310000
7	तकनीकी प्रशिक्षक	3	50000	1,77,000	21,24,000	6372000
8	तकनीकी सहायता पेशेवर	8	30000	2,83,200	33,98,400	10195200
	कुल	30	325000	1274400	1,52,92,800	45878400
						लगभग 4.59 करोड़
सीपीएमयू के लिए नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण						
क्र.सं.	**कर्मचारियों की श्रेणी**	**संख्या**	**प्रतिमाह दर +जीएसटी**	**प्रतिमाह लागत**	**प्रतिवर्ष लागत**	**3 वर्षों की लागत**
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
	प्रशासनिक कर्मचारी: (तैनाती)					
1	निदेशक / उप सचिव / अवर सचिव	1	0	0	0	0
2	सहायक अनुभाग अधिकारी (पीआर)	6	0	0	0	0
3	अनुसंधान अधिकारी	1				
4	वैयक्तिक सहायक	1	0	0	0	0
	तकनीकी कर्मचारी: (आउटसोर्सिंग)					
4	परियोजना प्रबंधक	1	90000	1,06,200	12,74,400	3823200
5	कार्य विश्लेषक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
6	सर्वर प्रशासक	1	90000	1,06,200	12,74,400	3823200
7	डेटाबेस आर्कीटेक्ट	2	90000	2,12,400	25,48,800	7646400
8	वरिष्ठ डवलेपर	5	50000	2,95,000	35,40,000	10620000
9	डवलेपर	10	25000	2,95,000	35,40,000	10620000
10	सॉफ्टवेयर डिजाइनर	2	70000	1,65,200	19,82,400	5947200
11	तकनीकी दस्तावेज लेखक	2	25000	59,000	7,08,000	2124000
12	गुणवत्ता नियंत्रण इंजीनियर	1	25000	29,500	3,54,000	1062000

13	वेब डिजाइनर	1	70000	82,600	9,91,200	2973600
14	एमटीएस	2	15000	35,400	4,24,800	1274400
		37	600000	1445500	17346000	52038000
						लगभग 5.20 करोड़

अनुबंध-XXI

नेवा एमएमपी शीर्ष-वार अनुमानित लागत				
शीर्ष	श्रेणी	इकाइयों की संख्या	प्रति इकाई दर (रूपयों में)	कुल लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	31 राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए अंतर विश्लेषण	37	10,00,000	3,70,00,000
	नेवा उत्पादीकरण की लागत	1	1,49,00,000	1,49,00,000
	नेवा ग्राहकीकरण और चालू करना	43	25,00,000	10,75,00,000
अवसंरचना				
	सिविल कार्य / फर्नीचर <100 सदस्य	26	90,00,000	23,40,00,000
	सिविल कार्य / फर्नीचर >100 - <200 सदस्य	8	1,20,00,000	9,60,00,000
	सिविल कार्य / फर्नीचर >200 - <300 सदस्य	8	1,90,00,000	15,20,00,000
	सिविल कार्य / फर्नीचर >300 सदस्य	1	2,50,00,000	2,50,00,000
	सिविल कार्य सी.पी.एम.यू.	1	5,00,000	5,00,000
	विद्युत कार्य लागत <100 सदस्य	26	20,00,000	5,20,00,000
	विद्युत कार्य लागत >100 - <200 सदस्य	8	30,00,000	2,40,00,000
	विद्युत कार्य लागत >200 - <300 सदस्य	8	50,00,000	4,00,00,000
	विद्युत कार्य लागत >300 सदस्य	1	1,00,00,000	1,00,00,000
	विद्युत कार्य, सीपीएमयू	1	1,00,000	1,00,000
हार्डवेयर				
	हार्डवेयर खरीद लागत			
	टैबलेट उपकरण	7022	90,000	63,19,80,000
	व्यक्तिगत कंप्यूटर (पीसी)	11821	60,000	70,92,60,000
	लैपटॉप	113	80,000	90,40,000
	प्रचार	37	26,00,000	29,77,00,000
	कलर प्रिंटर	0	0	0
	मल्टी फंक्शन कलर प्रिंटर	633	35,000	2,21,55,000
	आईडी कार्ड प्रिंटर	36	1,50,000	54,00,000
	स्कैनर्स	126	75,000	94,50,000
	यूपीएस 500 वीए	4302	5,000	2,15,11,000
	यूपीएस 2 केवीए	1234	25,000	3,08,50,000
	यूपीएस 5 केवीए	86	2,00,000	1,72,00,000
	यूपीएस 10 केवीएस	258	5,00,000	12,90,00,000
	लैन (LAN) नोड्स	20095	2,000	4,01,90,000
	वाईफ़ाई लागत	1030	97,000	9,99,10,000
	वैन (WAN) लागत	43	65,00,000	27,95,00,000
	डेस्कटॉप वीसी	217	20,000	43,40,000
	वीसी स्टूडियो	61	6,00,000	3,66,00,000

	टचपैड	4486	64,700	29,02,44,200
	प्रोजेक्शन सिस्टम	148	3,00,000	4,44,00,000
	डिजिटल बोर्ड	37	3,00,000	1,11,00,000
	डिस्प्ले पैनल	307	1,50,000	4,60,50,000
	डिजिटल ऑडियो रिकॉर्डिंग	86	3,50,000	3,01,00,000
	लाइव वेबकास्ट स्ट्रीमिंग	86	3,00,000	2,58,00,000
	डाटा केंद्र (सर्वर,एसएएन और वीटीएल)	43	2,00,00,000	86,00,00,000
सॉफ्टवेयर				
	सिस्टम सॉफ्टवेयर लागत			
	सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम	172	1,50,000	2,58,00,000
	डी॰बी॰एम॰एस॰ (इंटरप्राइज)	43	2,50,000	1,07,50,000
	ऑफिस सूट(suite)	11934	15,000	17,90,10,000
	भाषा फ़ॉन्ट्स उपकरण	11934	5,000	5,96,70,000
	टैबलेट डिवाइस मैनेजमेन्ट सूट	7022	15,000	10,53,30,000
	वेब एप्लिकेशन सुरक्षा जांच और एनडीएससी (मेघराज) पर वेब होस्टिंग / डीआर साइट	1	7,50,23,684	7,50,23,684
	ई-हस्ताक्षर/डीएससी लागत	7251	1,450	1,05,13,950
	डिजिटल अभिलेखागार	36	50,00,000	18,00,00,000
जनशक्ति	जनशक्ति लागत			
	सीपीएमयू के लिए जनशक्ति	1	5,20,00,000	5,20,00,000
	एसपीएमयू, नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा/ई-लर्निंग) और नेवा कार्यान्वयन के लिए जनशक्ति	21	3,10,00,000	65,10,00,000
		12	4,59,00,000	55,08,00,000
		3	4,59,00,000	13,77,00,000
कुल लागत	कुल लागत अनुमान			6,48,23,77,834
	आकस्मिक और विविध निधि 1%			6,48,23,778
	क्षमता निर्माण और यात्रा की लागत			12,73,51,101
	कुल			6,67,45,52,713
	एनआईसीएसआई शुल्क (एन.के.एन. दर के अनुसार)	1%		6,48,23,778
	जीएसटी (चालू दरों के अनुसार कुल मिलाकर 30 करोड़ रुपये का प्रावधान)			
	करों सहित कुल योग			6,73,93,76,492
कुल अनुमानित लागत	**छह सौ तिहत्तर करोड़ तिरानवें लाख छिहत्तर हजार चार सौ बानवें रूपये केवल**			

<u>अनुबंध-XXI I</u>

भारत सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय
राष्ट्रपति भवन

विषय: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर शीर्ष समिति की चौथी बैठक का कार्यवृत्त – संशोधन संबंधी।

इस सचिवालय की समसंख्यक आईडी दिनांक 23 जून, 2016 का संदर्भ लें, जिसके साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम पर शीर्ष समिति की चौथी बैठक का कार्यवृत्त संलग्न किया गया था। सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय की ओर से अ.शा. पत्र सं.15/45/2015-ले.क्र. दिनांक 11 जुलाई, 2016 (प्रतिलिपि संलग्न) का भी संदर्भ लें।

2. इस संबंध में, कार्यवृत्त के पैरा 3 (बी)(i) में निम्न प्रकार संशोधन अनुमोदित किया गया है:-

परिचालित कार्यवृत्त के अनुसार पैरा	संशोधन
सचिव, इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने समिति को बताया कि अधिकारी मंत्रालय अर्थात संसदीय कार्य मंत्रालय ने आवश्यक धनराशि के प्रावधान को छोड़कर राज्य विधानमंडलों में ई-विधान के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर सहमति दे दी है। यह अनुशंसा की गई थी कि उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमएमपी की शुरूआत की जाए जो आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हैं।	सचिव, इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने समिति को बताया कि अधिकारी मंत्रालय अर्थात संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्य विधानमंडलों में ई-विधान के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर सहमति दे दी है। आवश्यक वित्त-पोषण संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा और तकनीकी सहायता इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रदान की जाएगी।

3. इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से अनुरोध है कि कार्यवृत्त को तदनुसार संशोधित करने और बैठक में आमंत्रित सभी को परिचालित करने की कृपा करें।

ह./-
(शिवनाथ सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन 011-23792176

<u>इलेक्ट्रौनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डॉ. अरूणा शर्मा, सचिव)</u>
मंत्रिमंडल सचिवालय आईडी सं.171/2/4/2015-Cab.I I I दिनांक 21 जुलाई, 2016

प्रतिलिपि सूचनार्थ- सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय।

ह./-
(शिवनाथ सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार
फोन 011-23792176

अनुबंध-XXIII

वित्त मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियां और संसदीय कार्य मंत्रालय का उत्तर/स्थिति

क्र.सं.	टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	परियोजना की हार्डवेयर लागत 60:40 के फंडिंग पैटर्न पर आधारित नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह केंद्र / राज्य के बीच 40:60 या 25:75 हो सकती है। इसके अलावा, परियोजना को सौंपने के बाद हार्डवेयर मदों के जीवन की समाप्ति के बाद भी संपत्ति राज्य सरकार की होगी। राज्य सरकार हार्डवेयर मदों के प्रतिस्थापन के लिए मांग कर सकती है।	673.94 करोड़ रूपये की नेवा परियोजना की अनुमानित लागत के मुकाबले, परियोजना के तहत राज्यों को केंद्रीय सहायता 315.31 करोड़ रूपये तक सीमित होगी जो लगभग 46:54 के अनुपात में है। इसके अलावा, इस परियोजना के तहत जनशक्ति लागत केंद्र / राज्य के बीच 33:67 के अनुपात में साझा की जाएगी। सीएसएस फंडिंग पैटर्न के संबंध में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि यह संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% और पूर्वोत्तर तथा पहाड़ी राज्यों के लिए यह 90:10 के अनुपात में है, अनुमानित आवश्यकता न्यूनतम है तथा इसे और कम किया जाना परियोजना के लिए जोखिम पैदा कर सकता है। यह भी ध्यान में रखा जाए कि कुल हार्डवेयर लागत में, 86 करोड़ रूपये स्थानीय सर्वरों की खरीद के लिए हैं जो संबंधित राज्य एनआईसी के प्रशासनिक नियंत्रण में होगा। संबंधित राज्य सरकार, विधानमंडल और संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच होने वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार, तीन वर्ष पश्चात, जब भी अपेक्षित हो, हार्डवेयर की अनुरक्षा करने / अपग्रेड करने/ बदलने की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार की होगी। भारत सरकार की जिम्मेदारी नेवा सॉफ्टवेयर की अनुरक्षा करने/अपग्रेड करने और सभी उपयोगकर्ताओं के क्षमता निर्माण तक सीमित होगी। इसलिए संसदीय कार्य मंत्रालय इस बात को दोहराता है कि नेवा के लिए फंडिंग पैटर्न को 60:40 के रूप में रखा जाए जैसा कि 20 फरवरी, 2018 को आयोजित ईएफसी की पहली बैठक में अनुमोदित किया गया है और अधिकांश राज्यों ने सहमति व्यक्त की है।	
ii)	परियोजना के समुचित क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएं और निधि प्रवाह के लिए	परियोजना के उचित कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य सरकार, विधानमंडल और संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाएगा और परियोजना के लिए तैयार किए गए दिशानिर्देशों में निधि प्रवाह के मानदंड उपलब्ध कराए गए हैं।	

	मापदंड तैयार किए जाने की आवश्यकता है।		
iii)	चरण-I में सभी राज्यों के लिए राज्य-वार आउटपुट तैयार किया जाए ताकि उपलब्धियों / कमियों का आकलन किया जा सके।	चरण-वार आउटपुट पहले ही तैयार किया जा चुका है। चरण-I के बाद, जिसमें, न्यूनतम राज्यों को रखा गया है, दूसरे चरण की शुरुआत से पहले कमियों को दूर करने के लिए उपलब्धियों / प्रगति की समीक्षा की जाएगी। नेवा सॉफ्टवेयर तैयार है और अधिकांश राज्यों ने इसमें पहले का डाटा भर कर इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। सिस्टम को लाइव करने के लिए, उन्हें सदस्यों के लिए के सदन में और सदन के आसपास अधिकारियों के लिए हार्डवेयर की आवश्यकता है जो परियोजना के स्वीकृत होने और आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराए जाने के बाद ही संभव हो सकेगा।	
iv)	परियोजना के दूसरे चरण शुरूआत पहले चरण की शुरूआत के एक वर्ष बाद की जा सकती है ताकि पहले चरण से प्राप्त की गई शिक्षा को दूसरे और तीसरे चरण में पूरी तरह से लागू किया जा सके।	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल (mNeVA) ऐप तैयार है और अधिकांश राज्यों ने इसमें पहले का डाटा भर कर इस पर काम करना शुरू भी कर दिया है। सिस्टम को लाइव करने के लिए, उन्हें सदन में और उसक आस-पास हार्डवेयर/आईटी अवसंरचना की आवश्यकता है। 4-5 राज्यों में पहले चरण के पूरा होने के बाद, उत्तरवर्ती चरणों के कार्यान्वयन से पहले कमियों को दूर करने के लिए उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। पहले और दूसरे चरण के बीच एक वर्ष के अंतर की कोई उपयोगिता नहीं होगी क्योंकि परियोजना का पहला भाग अर्थात सॉफ्टवेयर तैयार है और दूसरा भाग यानी हार्डवेयर/बुनियादी ढांचे को प्रत्येक सदन द्वारा स्वतंत्र रूप से खरीदा जाना है। वास्तव में, यह मंत्रालय पूरी परियोजना को एक चरण में ही लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन पर्याप्त संसाधनों की कमी के कारण इसे तीन चरणों में विभाजित किया गया है।	
v)	सॉफ्टवेयर लागत का मूल्यांकन पैरा 3.1 के क्र.सं.6 में रू.46.66 करोड़, क्र.सं.3 में रू.1.49 करोड़ और क्र.सं.4 में रू.10.75 करोड़ में किया गया है, जबकि इसे राज्यों को नि:शुल्क उपलब्ध कराया जाना	एनआईसी/एनआईसीएसआई की सहायता से विकसित हिमाचल प्रदेश विधानसभा की ई-विधान एप्लिकेशन हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे एक सदन के लिए उपयुक्त थी। चूंकि, संसदीय कार्य मंत्रालय को सभी विधानमंडलों को कवर करने का आदेश दिया गया था जिनमें कुछ द्विसदनीय विधानमंडल भी शामिल हैं, इसलिए हिमाचल प्रदेश ई-विधान सॉफ़्टवेयर को सभी 37 सदनों की आवश्यकता पूर्ति हेतु एक सामान्य बहुभाषी उत्पाद के रूप में उन्नत और विकसित किया गया है, जिसके लिए	

	चाहिए था। इस लागत का अलग-अलग मूल्य उपलब्ध कराया जाए।	लागत अनुमान के अंतर्गत रू.1.49 करोड़ (क्र.सं.3) का प्रावधान किया गया है। हालाँकि सामान्य तौर पर सभी सदनों की कार्यप्रणाली कमोबेश समान ही होती है, फिर भी किन्हीं दो सदनों के बीच अंतर होते हैं। इसलिए, प्रत्येक सदन के लिए नेवा सॉफ्टवेयर को थोड़ा-बहुत अनुकूलित और स्थानीयकृत किया जाना है, जिसके लिए अनुकूलन / स्थानीयकरण और चालू करने के लिए रू.10.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है (क्र.सं.4)। मेघराज में नेवा को होस्ट करने और शून्य डाउनटाइम हेतु प्रत्येक सदन के लिए इसकी स्थानीय सर्वर पर मिररिंग करने के लिए, प्रत्येक डेस्कटॉप के लिए एसएस एसक्यूएल, विंडो सर्वर, भाषा उपकरण, एमएस ओफिस जैसे मानक सॉफ्टवेअर आवश्यक हैं जिसके लिए रु.46.66 करोड़ का प्रावधान किया गया है (क्र.सं.6)। ब्यौरेवार अलग-अलग मूल्य अनुबंध-XXI में उपलब्ध है।	

अनुबंध-XXI V

वित्तीय सलाहकार (वित्त) से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय का उत्तर/स्थिति

क्र.सं.	टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	संसदीय कार्य मंत्रालय ने अब संकल्पना पत्र को 'लोक निवेश बोर्ड' ज्ञापन करार दिया है। का.ज्ञा. सं.24(35)/PF-I I /2012 दिनांक 5.8.2016 के अनुसार " परियोजनाओं में एक बार का खर्च शामिल होता है, जिसके परिणामस्वरूप पूंजीगत संपत्ति का सृजन होता है, जिससे वित्तीय या आर्थिक लाभ या दोनों मिल सकते हैं।" यह टिप्पणी पूर्व अवसर पर अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार (वित्त) द्वारा पहले ही की जा चुकी है। हालाँकि, पहले के संकल्पना पत्र पहले के प्रस्ताव से अलग नहीं प्रतीत होते हैं, सिवाय इसके कि परियोजना की लागत रु.698.35 करोड़ (केंद्र की हिस्सेदारी: रु.438.63 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी: रु.259.72 करोड़) से घटाकर रु.673.82 करोड़ रुपए कर दी गई है जिसमें केंद्र की हिस्सेदारी रु.423.46 करोड़ और राज्य की हिस्सेदारी रू.250.34 करोड़ रुपए है।	20 फरवरी, 2018 को आयोजित अपनी पहली बैठक में ईएफसी द्वारा की गई सभी सिफारिशों के अनुपालन के बाद, परियोजना के मूल्यांकन के लिए संशोधित नोट पर ईएफसी द्वारा 14 दिसंबर, 2018 को विचार किया गया था और राज्यों को संसाधनों के विचलन के संबंध में पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के लिए इंतजार करने की सिफारिश की थी। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के लिए सरकार की प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए, गतिरोध को दूर करने के लिए वित्त मंत्रालय से सलाह ली गई थी। उन्होंने लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) द्वारा विचार के प्रस्ताव को संशोधित करने की सलाह दी थी।	
i i)	मसौदा पीआईबी ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि पूरी परियोजना आउटसोर्स जनशक्ति पर चलेगी। हालांकि, कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि माल और सेवाओं की खरीद और जनशक्ति काम पर रखने के लिए सामान्य वित्त नियम (जीएफआर), 2017 के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा।	ई-विधान के लिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और सेवाओं की खरीद के लिए जीएफआर, 2017 के अनुरूप विस्तृत प्रक्रिया इस ज्ञापन के पैरा 14 में और परियोजना के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के पैरा 13.12 के तहत रखा गया है (अनुबंध- XXI X)।	

iii)	20.02.2018 को ईएफसी की बैठक के दौरान, सचिव, व्यय ने संसदीय कार्य मंत्रालय को परियोजना के डिजाइन, वित्त पोषण, कार्यान्वयन और अनुरक्षण पर सहमति बनाने के लिए मुख्य सचिवों, विधायिकाओं / परिषदों के माननीय अध्यक्षों / सभापतियों और सचिवों के साथ उचित स्तर पर समुचित परामर्श करने के लिए निर्देश दिया था। उसकी स्थिति बताई जाए।	संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर नई दिल्ली में 24-25 सितंबर, 2018 को एक अभिविन्यास कार्यशाला में नोडल अधिकारियों के साथ परामर्श किया था। विधानमंडलों/राज्य सरकार के विभागों के सभी नोडल अधिकारियों की प्रतिक्रिया सकारात्मक और उत्साहजनक रही। इसके अलावा राज्यों ने 60:40 के सीएसएस फंडिंग पैटर्न पर परियोजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है।	
iv)	14.12.2018 को ईएफसी की बैठक के दौरान सचिव, व्यय ने यह सुनिश्चित करने हेतु सक्रिय कदम उठाने के लिए संसदीय कार्य मंत्रालय को निर्देशित किया था कि संसद के दोनों सदनों अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा के डिजिटलीकरण कार्य को पहले पूरा किया जाए ताकि राज्य विधानमंडल मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित हों। हालाँकि, संसदीय कार्य मंत्रालय ने कहीं भी ईएफसी अध्यक्ष के निर्देश पर की गई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया है। वास्तव में, राज्य सभा और लोक सभा जो स्थानों का हिस्सा थे (मसौदा ईएफसी ज्ञापन का पृष्ठ 51) को वर्तमान स्थान सूची (मसौदा पीआईबी ज्ञापन का पृष्ठ 55) से हटा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्रालय लोक सभा और राज्य सभा को स्थान सूची से हटाने का कारण बताएं।	संसदीय कार्य मंत्रालय को दो मिशन मोड परियोजनाएं आबंटित की गई हैं - (1) राज्य विधानमंडलों के लिए ई-विधान; और (2) संसद के दो सदनों के लिए ई-संसद। ई-विधान से संबंधित वर्तमान प्रस्ताव राज्य विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए है। संसद के दोनों सचिवालयों ने अपने कामकाज से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों में स्थान की कमी के कारण, वर्तमान सेटअप के तहत टच स्क्रीन उपकरणों को स्थापित करना संभव नहीं है। हालाँकि, उससे प्राप्त अनुभव को नेवा सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। उनमें से कुछ जैसे कि समिति और विधेयक प्रणाली आदि हैं।	
v)	14.12.2018 को बैठक के दौरान अध्यक्ष ने यह भी टिप्पणी की थी कि "मंत्रालय को राज्यों को पहले से विकसित सॉफ्टवेयर निशुल्क उपलब्ध कराने और उन्हें योजना को लागू करने के लिए हार्डवेयर और	14.12.2018 को आयोजित बैठक में ईएफसी के अध्यक्ष द्वारा दिए गए के निर्देशों का अनुपालन किया गया है। राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल (एमनेवा) ऐप तैयार है और इसे नेशनल क्लाउड पर तैनात किया गया है। सभी सदनों को लॉगिन क्रेडेंशियल पहले	

	जनशक्ति के लिए अपने स्वयं के वित्तीय संसाधनों का उपयोग करने की अनुमति देने के विकल्प पर विचार करने की आवश्यकता है। राज्यों की क्षमता और उनके विधानमंडलों को आर्थिक रूप से सहायता और सक्षम बनाने की इच्छा को देखते हुए, राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी के लिए आमंत्रित करना उचित होगा।" चूंकि संसदीय कार्य मंत्रालय के वर्तमान ई-विधान एमएमपी और पहले के प्रस्ताव में कोई अंतर नहीं है, संसदीय कार्य मंत्रालय कृपया सचिव, व्यय के निदेश पर की गई कार्रवाई पर टिप्पणी करें।	ही प्रदान किए जा चुके हैं और उन्होंने पहले से ही पिछले डेटा में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। हालाँकि, सिस्टम को लाइव करने के लिए, उन्हें सदन के भीतर और आसपास हार्डवेयर / आईटी अवसंरचना की आवश्यकता है। राज्यों से अधिक वित्तीय भागीदारी के आधार पर प्रस्ताव को संशोधित किया गया है।	

अनुबंध-XXV

नीति आयोग से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय का उत्तर/स्थिति। उन्होंने परियोजना का समर्थन किया है।

क्र.सं.	टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	ई-विधान एमएमपी परियोजना का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से राज्यों / संघ शासित प्रदेशों के विधानमंडलों के कामकाज को आसान बनाना और इससे कानून बनाने की प्रक्रिया और अधिक कुशल और कागज रहित बनाना है। सभी विधानमंडलों के लिए सामान्य नेवा एप्लिकेशन सभी विधानमंडलों के बीच तुलनात्मक अध्ययन और विधानमंडलों में सूचना/डेटा/ रिपोर्ट साझा करने में भी मदद करेगा और यह डिजिटल सशक्तिकरण की दिशा में एक सही कदम है। नीति आयोग प्रस्ताव का समर्थन करता है।	संसदीय कार्य मंत्रालय नीति आयोग के विचारों का पूरा समर्थन करता है।	
i i)	मंत्रालय राज्यों की तत्परता और राज्यों को सॉफ्टवेयर प्रदान करने की प्रगति के संबंध में नवीनतम स्थिति को स्पष्ट करें। इसके अलावा, संसद के दोनों सदनों के डिजिटलीकरण की प्रगति और उसमें प्राप्त अनुभव को लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) के समक्ष लाया जाए।	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल (एमनेवा) ऐप तैयार है और ज्यादातर राज्य इसमें पहले का डेटा अपलोड करके इस पर काम करना शुरू कर चुके हैं। सिस्टम को लाइव करने के लिए, उन्हें सदन के भीतर और आसपास हार्डवेयर / आईटी अवसंरचना की आवश्यकता है। संसदीय कार्य मंत्रालय को दो मिशन मोड परियोजनाएं आबंटित की गई हैं - (1) राज्य विधानमंडलों के लिए ई-विधान; और (2) संसद के दो सदनों के लिए ई-संसद। ई-विधान से संबंधित वर्तमान प्रस्ताव राज्य विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए है। संसद के दोनों सचिवालयों ने अपने कामकाज से संबंधित विभिन्न प्रक्रियाओं को डिजिटल बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन संसद के दोनों सदनों में स्थान की कमी के कारण, वर्तमान सेटअप के तहत टच स्क्रीन उपकरणों को स्थापित करना संभव नहीं है। हालाँकि, उससे प्राप्त अनुभव को	

		नेवा सॉफ्टवेयर में शामिल किया गया है। उनमें से कुछ जैसे कि समिति और विधेयक प्रणाली आदि हैं।	
iii)	हिमाचल प्रदेश को अपने कामकाज के स्वचालन के लिए ई-शासन को लागू करने वाली पहली विधानसभा कहा जाता है। इसी तरह, अन्य राज्य भी हैं जहाँ स्वचालन के क्षेत्र में कुछ प्रगति हुई होगी। यह आवश्यक है कि पहले ही खरीदे और चालू हार्डवेयर / सॉफ्टवेयर जैसी उनकी स्वचालन परिसंपत्तियों को वर्तमान ई-विधान परियोजना के साथ परस्परानुबंधित किया जाए।	अंतर विश्लेषण रिपोर्ट के साथ सदन-वार डीपीआर तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। सभी मौजूदा उपकरणों को नेवा परियोजना के साथ जोड़ा जाएगा और इसे कार्यात्मक होने पर प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं होगी।	
iv)	नेवा के दो घटक हैं अर्थात (i) ई-विधानसभा और (ii) ई-निर्वाचन क्षेत्र। दोनों घटकों का ब्यौरा और इसमें शामिल लागत के बारे में नहीं बताया गया है। स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (SWAN) और स्टेट डेटा सेंटर (SDCs) राष्ट्रीय ई-शासन योजना (NeGP) के तहत सभी राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय हैं। राष्ट्रीय ई-शासन योजना के तहत पहले से ही तैयार बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा सकता है और यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिए नए डेटा केंद्र स्थापित करने के बजाय इसी को मजबूत / उन्नत किया जा सकता है।	नेवा सदनों के कामकाज और विधायकों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों के प्रबंधन में शामिल प्रक्रिया को स्वचालित करने हेतु विधानसभाओं के लिए एक ई-शासन समाधान है। नेवा के दो घटक हैं (1) ई-विधानसभा और (2) ई-निर्वाचन क्षेत्र। पहले चरण में नेवा के ई-विधानसभा मॉड्यूल को कवर किया जाना है जिसमें विधानमंडलों के कानून बनाने के प्रमुख कार्य की प्रक्रिया का स्वचालन शामिल है। इसके बाद, नेवा का दूसरा चरण यानी ई-निर्वाचन क्षेत्र मॉड्यूल को कार्यान्वित किया जाएगा जिसमें सदस्यों द्वारा अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों का प्रबंधन शामिल है। ई-निर्वाचन क्षेत्र मॉड्यूल के कार्यान्वयन में कोई अतिरिक्त लागत शामिल नहीं है। नेवा सूट और डीआर (डिजास्टर रिकवरी) साइट एनडीसी (नेशनल डेटा सेंटर) / मेघराज में बनाई जाएगी / होस्ट की जाएगी और इसकी फेल प्रूफ सिस्टम के रूप में स्थानीय सर्वर पर मिररिंग की जाएगी। प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए SWAN / NICNET कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाएगा। इसलिए, मौजूदा बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।	
v)	कार्यक्रम को मंत्रालय द्वारा 3 वर्षों के लिए क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके दौरान कार्यान्वयन और रखरखाव मंत्रालय के हाथ में होगा। इसे संबंधित राज्यों / विधानसभाओं के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम	परियोजना को शुरू करने से पहले, परियोजना के उचित रखरखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार, विधानमंडल और संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसमें तीन साल बाद परियोजना को सौंपने पर संपत्ति का रखरखाव /	

	से स्पष्ट रूप से अनिवार्य करने की आवश्यकता है कि तीन साल के बाद बनाई गई संपत्ति का उन्नयन / रखरखाव संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की जिम्मेदारी होगी।	प्रतिस्थापन शामिल है।	
vi)	संसदीय कार्य मंत्रालय ने विधायकों और राज्य सरकारों के अधिकारियों के उन्मुखीकरण के लिए "राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी" के रूप में एक प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की योजना बनाई है। हालांकि, ऐसी अकादमी की स्थापना वर्तमान प्रस्ताव का हिस्सा नहीं है। यह सुझाव दिया जाता है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी अकादमी की आवश्यकता को राज्य सरकारों को शामिल करके जांच की जाए क्योंकि विधायी क्षेत्र आदि में प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की जरूरतों को पूरा करने के लिए राज्य प्रशिक्षण संस्थान (एसटीआई) मौजूद हैं।	मंत्रालय नीति आयोग के विचारों से सहमत है। वर्तमान में मंत्रालय का एकमात्र ध्यान सभी विधानमंडलों में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) को लागू करने पर केंद्रित है। विभिन्न हितधारकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मंत्रालय, वर्तमान समय में विभिन्न सरकारी संस्थानों के साथ उपलब्ध मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है।	
vi i)	चूंकि इस योजना को चरण-वार लागू किया जाना प्रस्तावित है, इसलिए पहले चरण के बाद मूल्यांकन किया जाए और उसके बाद अन्य राज्यों में कार्यान्वयन किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि परियोजना का इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मोड में कार्यान्वयन सुनिश्चित करके समय और लागत की अधिकता से बचा जाए।	राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) वेबसाइट के साथ-साथ मोबाइल (एमनेवा) ऐप तैयार है और अधिकांश राज्यों ने पहले से ही पिछले डेटा में इस पर काम करना शुरू कर दिया है। सिस्टम को लाइव करने के लिए उन्हें सदन में और उसके आसपास हार्डवेयर / आईटी अवसंरचना की आवश्यकता है। 4-5 राज्यों के साथ पहले चरण के पूरा होने के बाद, बाद के चरणों के कार्यान्वयन से पहले कमियों को दूर करने के लिए उपलब्धियों की समीक्षा की जाएगी। ईपीसी मोड एक संविदा है, जहां एक काम के लिए संविदाकार को भुगतान किया जाता है, जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सहमत माइलस्टोन आधारित भुगतान के साथ काम करता है। निर्माण उद्योग में आमतौर पर ईपीसी मोड का पालन किया जाता है। नेवा के कार्यान्वयन के भाग हैं। पहला भाग यानी सॉफ्टवेयर तैयार है और दूसरा हिस्सा यानी प्रत्येक सदन द्वारा तीन साल की वारंटी के साथ हार्डवेयर, जिसमें टच स्क्रीन उपकरण और कंप्यूटर शामिल हैं,	

		की स्थानीय स्तर पर खरीद की जाएगी। इसलिए, कार्यान्वयन का ईपीसी मोड इस मामले में ज्यादा उपयोगी नहीं हो सकता है।	
viii)	चूंकि, यह उल्लेख किया गया है कि नेवा परियोजना की सफलता नई सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के अनुकूल बनने के लिए राज्य सरकार के विभागों की ई-तत्परता और पारिस्थितिकी पर निर्भर करती है, इसलिए सुझाव दिया जाता है कि राज्य सरकार के विभागों की ई-तत्परता का त्वरित मूल्यांकन किया जाए और उन अड़चनों का उल्लेख किया जाए, जो इस योजना के कार्यान्वयन के लिए एक चुनौती के रूप में सामने आ सकती हैं और राज्यों में इस योजना के लागू होने से पहले इन अड़चनों को दूर करने के लिए सुझाव प्रस्तुत किए जाएं।	जहां तक नेवा के कार्यान्वयन का संबंध है, राज्य सरकार के विभाग प्रमुख हितधारकों में से एक हैं। सरकारी विभागों का पारिस्थितिकी तंत्र काफी हद तक बुनियादी आईटी ढांचे की उपलब्धता पर निर्भर करता है। हालांकि अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने विभागों को ऐसे बुनियादी ढांचे के साथ सशक्त किया है, फिर भी कुछ राज्य ऐसे हो सकते हैं जिनके पास इसकी कमी है। अंतर विश्लेषण रिपोर्ट के साथ सदन-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते समय इस बात का ध्यान रखा जाएगा। डीपीआर तैयार करते समय, प्रत्येक राज्य को इस तरह के अंतराल पर ध्यान देना होगा और नेवा को लागू करते समय अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके इसे भरना होगा।	
ix)	जैसा कि प्रस्ताव में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप लगभग 6096 पेड़ सालाना बचाए गए थे। इस बिंदु को सतत विकास लक्ष्य 15 - 'लाइफ ऑन लैंड' के साथ जोड़ना सार्थक होगा।	2015 में सभी संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों द्वारा अपनाए गए सतत विकास हेतु 2030 का कार्यक्रम वर्तमान और भविष्य में पृथ्वी और इसके निवासियों के लिए शांति और समृद्धि हेतु एक साझी रूपरेखा उपलब्ध कराता है। इसके केंद्र में 17 सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) हैं जो सभी देशों द्वारा कुछ तत्काल कदम उठाए जाने का आह्वान करते हैं। एसडीजी 15 'लाइफ ऑन लैंड' "स्थलीय पारिस्थितिक तंत्रों का सतत संरक्षण, पुनर्स्थापना और संवर्धन, जंगलों का सतत प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना करना, भूमि क्षरण की रोकथाम और पुनर्स्थापना तथा जैव विविधता के नुकसान की रोकथाम करना है।" चूंकि, नेवा के कार्यान्वयन से सालाना लगभग 4-5 लाख पेड़ों को बचाने की संभावना है, अतः पर्यावरण के लिए इसका एक स्वस्थ योगदानकर्ता होने की संभावना है। इस बिंदु को एसडीजी-15 के साथ जोड़ने के लिए नीति आयोग का सुझाव प्रशंसा योग्य है और मंत्रालय इसका समर्थन करता है।	
x)	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा पहले तीन साल के संचालन के बाद,	यह मंत्रालय नीति आयोग के सुझाव से सहमत है। वास्तव में, ये 24 गतिविधियाँ कार्यक्रम की	

	पूरी परियोजना राज्य सरकार को सौंप दी जाएगी और मंत्रालय की भूमिका नेवा सॉफ्टवेयर के समन्वय / निगरानी, रखरखाव / उन्नयन और विधायकों / अधिकारियों के प्रशिक्षण तक सीमित रहेगी। इस आलोक में, यह सुझाव दिया जाता है कि मंत्रालय के लिए आवधिक निगरानी और मूल्यांकन कार्ययोजना को शामिल अपेक्षित है। कार्ययोजना में अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) को शामिल किया जा सकता है। ओओएमएफ सांकेतिक है और इसलिए मंत्रालय योजना की व्यापक निगरानी और मूल्यांकन के लिए उसमें उल्लिखित सभी 24 गतिविधियों को शामिल कर सकता है।	निगरानी और मूल्यांकन का आधार होंगी। इन 24 गतिविधियों के संदर्भ में कार्यक्रम की निगरानी और मूल्यांकन आउटपुट आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) का आधार बन सकता है।	
xi)	नियम और शर्तों के अनुसार, चार किश्तों में धनराशि जारी की जानी है। विकास निगरानी और मूल्यांकन कार्यालय (डीएमईओ), नीति आयोग द्वारा यह सुझाव दिया गया है कि मंत्रालय इस योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाने वाले उपयोगिता प्रमाणपत्र और पूरी परियोजना को राज्य सरकार को सौंपने से पहले एक तीसरे पक्ष द्वारा किए गए मूल्यांकन की रिपोर्ट की प्राप्ति के साथ प्रत्येक किस्त को सशर्त बनाना चाहेगा। यह मंत्रालय को राज्यों से योजना के कार्यचालन पर एक आवधिक अपडेट और सौंपे जाने से पहले परियोजना की अंतिम स्थिति के बारे में अवगत कराएगा।	संसदीय कार्य मंत्रालय नीति आयोग के विचार से सहमत है। वास्तव में, परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तैयार किए गए दिशा-निर्देशों में इसे पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है।	

अनुबंध-XXVI

इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से प्राप्त टिप्पणियां और मंत्रालय का उत्तर/स्थिति।

क्र.सं.	टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	परियोजना शुरू होने से पहले एक उचित संस्थागत तंत्र की आवश्यकता है। संस्थागत तंत्र परियोजना के सुचारू क्रियान्वयन की देख-रेख के लिए राज्य नोडल एजेंसियों और केंद्रीय स्तर पर एक नोडल एजेंसी के गठन को शामिल किया जाए।	परियोजना का सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) का गठन किया गया है।	
ii)	यह देखा गया है कि परियोजना लागत का 60% से अधिक नए हार्डवेयर जैसे लैपटॉप, टैबलेट, प्रिंटर आदि खरीदने के लिए आबंटित किया गया है। राज्य विधानसभाओं में पहले से मौजूद वर्तमान हार्डवेयर का विस्तार से विश्लेषण करना आवश्यक है। क्योंकि महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरल, गोवा जैसे कुछ राज्यों की विधानसभाएं पहले ही कुछ मॉड्यूल लागू कर चुकी हैं और अन्य विधानसभाएं भी खुद को कागज-रहित बनाने की तैयारी कर रही हैं, इसलिए राज्यों के साथ परामर्श करके हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की वास्तविक आवश्यकता का निर्धारण किया जाए।	अधिकांश राज्य विधानमंडलों में कंप्यूटर हार्डवेयर लगभग 3-6 साल पुराने हैं। इसलिए जब तक ई-विधान एमएमपी को लागू किया जाएगा, तब तक सभी वर्तमान हार्डवेयर अप्रचलित हो जाएंगे। इसलिए, हमें सभी राज्य विधानमंडलों को नए आईसीटी उपकरण प्रदान करने की आवश्यकता है। हालाँकि, जिन उपकरणों को अप्रचलित घोषित नहीं किया जाएगा, उन्हें उपयोग में लाना जारी रखा जाएगा। किसी राज्य को परियोजना की मंजूरी से पहले प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली राज्य विशिष्ट डीपीआर और अंतर विश्लेषण रिपोर्ट के माध्यम से इसका ध्यान रखा जाएगा।	
iii)	विरासत डाटा के डिजिटलीकरण की उचित देख-रेख की जाए।	डिजिटलीकरण के लिए 18.5 करोड़ रुपये के अनुमानित प्रावधान के रूप में विरासत डाटा के डिजिटलीकरण के प्रावधान का ध्यान रखा गया है।	
iv)	सॉफ़्टवेयर उत्पादीकरण के विकल्प: यह सुझाव दिया जाता है कि नवीनतम उत्पाद अनुकूलन और उत्पादीकरण पर विचार उपलब्ध नवीनतम प्रौद्योगिकी को ध्यान में रखते हुए किया जाए।	ई-विधान के उत्पादीकरण की योजना नवीनतम प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए ही बनाई है।	

v)	मौजूदा एप्लिकेशनों का पुन: उपयोग: उन विधानसभाओं में जहां प्रश्न प्रसंस्करण और विधानसभा सदस्यों के लिए वेतनपत्रक जैसे सॉफ्टवेयर मॉड्यूल पहले से ही लागू हैं, प्रयासों, समय और लागत को कम करने के लिए मौजूदा एप्लिकेशन के पुन: उपयोग या एकीकरण की संभावना पर विचार किया जाए।	योजना के तहत मौजूदा एप्लिकेशनों का ई-विधान के साथ पुन: उपयोग / एकीकरण पहले से ही नियोजित है। मौजूदा डाटा को एपीआई के माध्यम से नेवा में एकीकृत किया जा सकता है।	
vi)	बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ एकीकरण: सॉफ्टवेयर को बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ एकीकृत किया जाए।	यदि आवश्यकता पड़ी तो बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली के साथ एकीकरण पर विचार किया जाएगा।	
vi i)	एमएसडीजी के साथ एकीकरण: एसएमएस भेजने के लिए, एप्लिकेशन को मोबाइल सेवा / इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए एमएसडीजी (मोबाइल सेवा वितरण गेटवे) प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया जाए।	एनआईसी, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के एसएमएस गेटवे के साथ एकीकृत किया गया है।	
vi i i)	प्रस्तावित सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में ई-शासन के निम्नलिखित मानकों का उपयोग किया जाए: • इंटरऑपरेबिलिटी मानक; • स्थान कोड के लिए पीआरआई प्रोफाइलर; • आधार आईडी और • व्यक्तिगत पहचान के लिए डीएससी; • यूनिकोड अनुकूल फ़ॉन्ट्स; • वेब सुरक्षा मानक	ई-शासन के सभी मानकों के उपयोग का ई-विधान एप्लिकेशन में अनुपालन किया जाएगा।	
i x)	सॉफ्टवेयर को विभिन्न राज्यों की स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करने की आवश्यकता है। प्रस्तावित सॉफ्टवेयर के स्थानीयकरण के लिए उचित योजना होनी चाहिए।	ई-विधान एप्लिकेशन का स्थानीयकरण पहले से ही नियोजित है और उसी के अनुसार प्रावधान किए गए हैं।	
x)	क्षमता निर्माण हेतु, चुने गए	विधान सभाओं के सदस्यों, राज्य विधानसभाओं और	

	प्रतिनिधियों और विधानसभा कर्मचारियों के लिए उचित प्रशिक्षण सामग्री और प्रशिक्षण तंत्र भी होना चाहिए।	सरकारी विभागों के अधिकारियों को ई-विधान एप्लिकेशन संबंधी प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रत्येक राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) / एनआईसी राज्य केंद्रों में उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग किया जाएगा। हालांकि, ई-विधान प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए विशेष उपकरणों की स्थापना की लागत के लिए ई-विधान एमएमपी निधि में से खर्च करने की आवश्यकता है। उचित स्तर पर प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा) स्थापित करने का भी प्रस्ताव है। अकादमी स्थापित करने का प्रस्ताव इस पीआईबी ज्ञापन का हिस्सा नहीं है। इसे सक्षम प्राधिकारियों के विचार / अनुमोदन के लिए उपयुक्त स्तर पर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।	
xi)	यह नोट किया जाए कि इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश राज्य के लिए रु.7,40,55,500/- के परिव्यय के साथ 20.03.2015 को "आंध्र प्रदेश विधानमंडल का कम्प्यूटरीकरण" नामक परियोजना और तेलंगाना राज्य के लिए रु.8,74,97,500/- के परिव्यय के साथ 19.02.2015 को "तेलंगाना विधानमंडल का कम्प्यूटरीकरण" नामक परियोजना को मंजूरी दी है। चूंकि ये परियोजनाएं पहले ही लागू और चालू हो चुकी हैं, इसलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तथा निधियों की वास्तविक आवश्यकताओं का आकलन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ परामर्श करके किया जाए।	इस मुद्दे पर दोनों राज्यों के विधानमंडलों के साथ चर्चा की गई है। यह पाया गया है कि (1) "आंध्र प्रदेश विधानमंडल का कम्प्यूटरीकरण" और (2) "तेलंगाना विधानमंडल का कम्प्यूटरीकरण" नामक दोनों परियोजनाएं दोनों विधानमंडलों के सचिवालयों के अधिकारियों / कर्मचारियों को उनके दिन-प्रतिदिन के सरकारी कार्य को संभालने में उनकी मदद करने के उद्देश्य से कंप्यूटर और बाह्य उपकरण उपलब्ध कराने के लिए थे। दूसरी ओर, नेवा विधानमंडलों के सदनों के डिजिटलीकरण के लिए है और एक सदस्य-केंद्रित डिजिटल एप्लिकेशन होने के नाते यह सदनों के दिन-प्रतिदिन के कामकाज के मुद्दों को समाधान करती है। इसके अलावा, नेवा परियोजना के तहत किसी विशेष सदन को अनुदान की मंजूरी देते समय, अंतर विश्लेषण के साथ विस्तृत डीपीआर और उस सदन की मौजूदा उपकरण सूची इस तरह के अनुदान की मात्रा मंजूरी देने का आधार बनेगी ताकि द्वैधता से बचा जा सके।	

अनुबंध-XXVI I

वित्त मंत्रालय/वित्तीय सलाहकार (वित्त) द्वारा वर्ष 2017 और 2018 में पूर्व अवसरों पर उठाए गए अन्य बिंदुओं/टिप्पणियों के संबंध में स्पष्टीकरण/स्थिति।

क्र.सं.	बिंदु/टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	सभी विधानमंडलों के माननीय सदस्यों और इस विषय पर काम करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों की क्षमता के निर्माण के लिए एक प्रशिक्षण अकादमी "राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी" की स्थापना करना।	मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) से संबंधित सरकार की नीति के अनुसार, किसी भी एमएमपी की सफलता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण उसका अभिन्न अंग है। इसलिए संसदीय कार्य मंत्रालय की तदनुसार, सभी विधानमंडलों के माननीय सदस्यों और इस विषय पर काम करने वाले राज्य सरकार के अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ख्याति की एक प्रशिक्षण अकादमी स्थापित करने की योजना है। "राष्ट्रीय ई-विधान अकादमी (नेवा)" के रूप में जानी जाने वाली प्रशिक्षण अकादमी भारत में अपनी तरह की एक पहली अकादमी होगी और ई-विधान एमएमपी की शुरूआत के साथ-साथ स्थापित की जाएगी। अकादमी के चालू हो जाने के बाद, प्रत्येक स्थान पर ई-प्रशिक्षण केंद्र के लिए श्रमशक्ति की आवश्यकता को काफी कम किया जाएगा। चूंकि, अकादमी स्थापित करना नए निकायों की श्रेणी में आता है और इसलिए सीईई के अनुमोदन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह इस पीआईबी ज्ञापन का हिस्सा नहीं है। इसे सक्षम प्राधिकारियों के विचार / अनुमोदन के लिए उचित स्तर पर अलग से प्रस्तुत किया जाएगा।	
ii)	अनुमानित लागत में कार्यान्वयन एजेंसी शुल्क के रूप में रू.6.48 करोड़ शामिल हैं। चूंकि, एनआईसी / एनआईसीएसआई कार्यान्वयन एजेंसी है, इस शुल्क के भुगतान की आवश्यकता पैदा नहीं होनी चाहिए।	एनआईसीएसआई सरकारी विभाग / मंत्रालय सहित किसी भी विभाग को अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिए शुल्क लेता है। ई-विधान के कार्यान्वयन के लिए कार्यान्वयन करने वाली एजेंसी के शुल्क के रूप में रू.6.48 करोड़ का प्रावधान वर्ष 2014 में हिमाचल प्रदेश में प्रायोगिक परियोजना को शुरू करते समय इसके लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा / एनआईसी द्वारा किए गए व्यय के आधार पर किया गया है।	
iii)	"नोडल अधिकारियों" सहित हितधारकों के साथ परामर्श।	संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से और फिर नई दिल्ली में 24-25 सितंबर, 2018 को एक अभिविन्यास कार्यशाला में "नोडल अधिकारियों" के	

<table>
<tr><td></td><td></td><td>साथ परामर्श किया था। सभी नोडल अधिकारियों, विधानमंडलों / राज्य सरकार के विभागों की प्रतिक्रिया सकारात्मक और उत्साहजनक थी। इसके अलावा राज्यों ने 60:40 के सीएसएस फंडिंग पैटर्न पर परियोजना को लागू करने पर सहमति व्यक्त की है।</td><td></td></tr>
<tr><td>iv)</td><td>नागरिक सेवाएं परियोजना का गैर-परक्राम्य घटक है।</td><td>हाँ। सभी नागरिक सेवाएं परियोजना का हिस्सा होंगी और राज्य विधानमंडल, राज्य सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का भी हिस्सा होंगी।</td><td></td></tr>
<tr><td>v)</td><td>परियोजना संबंधी दिशा-निर्देशों और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार करना।</td><td>परियोजना संबंधी दिशा-निर्देशों और त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन का मसौदा तैयार कर लिया गया है और क्रमश: अनुबंध-XXIX और अनुबंध-XXX के रूप में संलग्न है।</td><td></td></tr>
<tr><td>vi)</td><td>डिजिटल परियोजना के लिए प्रिंटरों की आवश्यकता।</td><td>भिन्न-भिन्न आईटी जागरूकता एमएफपी के कारण जरूरत के आधार पर कुछ को छोड़कर, प्रिंटर की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है और इसकी आवश्यकता को भी युक्तिसंगत बनाया गया है।</td><td></td></tr>
<tr><td>vii)</td><td>परियोजना के लिए तकनीकी जनशक्ति आवश्यकता का युक्तीकरण।</td><td>जनशक्ति की आवश्यकता को निम्न प्रकार युक्तिसंगत बनाया गया है:-
<table>
<tr><th>राज्यों की सदस्य संख्या</th><th>मूल जनशक्ति आवश्यकता</th><th>युक्तिसंगत जनशक्ति आवश्यकता</th></tr>
<tr><td><100</td><td>25</td><td>20</td></tr>
<tr><td>>100 और <200</td><td>43</td><td>30</td></tr>
<tr><td>>200 और <300</td><td>66</td><td>30</td></tr>
<tr><td>>300</td><td>82</td><td>30</td></tr>
</table></td><td></td></tr>
<tr><td>viii)</td><td>तय मानदंडों के अनुसार केंद्र और राज्यों के बीच लागत का बँटवारा सुनिश्चित करना।</td><td>हाँ। यह समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करते समय सुनिश्चित किया जाएगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>ix)</td><td>राज्य-वार डीपीआर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के पश्चात तैयार की जाएगी। इसलिए इस स्तर पर राज्य स्तर पर लागत विश्लेषण नहीं किया जाता है और इंगित लागत अनुमान ही है। इससे लागत में वृद्धि हो सकती है।</td><td>केंद्र का हिस्सा पीआईबी ज्ञापन में इंगित लागत अनुमानों तक सीमित होगा। यदि अधिक व्यय होगा तो उसे संबंधित राज्य द्वारा वहन किया जाएगा।</td><td></td></tr>
<tr><td>x)</td><td>राज्य सचिवालयों/सरकारों के ई-ऑफिस के साथ नेवा का एकीकरण। एप्लिकेशन के भाग के रूप में एक</td><td>ई-विधान एप्लिकेशन का उपयोग राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, सचिवालय, राज्यपाल कार्यालय और राज्य सरकार के सभी विभागों द्वारा किया जाएगा।</td><td></td></tr>
</table>

	पूर्ण समाधार उपलब्ध कराया जाए।	सचिवालय और सरकारी विभागों के बीच सभी संचार केवल ई-विधान **एप्लिकेशन** के माध्यम से होंगे। ई-विधान नागरिक इंटरफ़ेस सभी नागरिकों के लिए सुलभ होगा।	
xi)	नागरिकों में प्रचार का उपबंध उदाहरणार्थ जनता के लिए वेब पोर्टल।	नागरिकों में ई-विधान एमएमपी और ई-विधान नागरिक इंटरफ़ेस के प्रचार की लागत को ई-विधान एसएमपी के तहत वहन किया जाएगा। इसके लिए अनुमानित लागत 3 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 30 करोड़ रूपये होगी।	
xi i)	परियोजना को सही ठहराने के लिए परियोजना के जीवनकाल के दौरान प्रायोगिक परियोजना (हिमाचल प्रदेश) के लागत लाभ विश्लेषण के साथ-साथ लागत में अपेक्षित बचत का हिसाब लगाए जाने की आवश्यकता है।	ई-विधान 2014 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा में 8.12 करोड़ रुपये की कुल लागत पर लागू किया गया था। हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुमान के अनुसार, ई-विधान के कार्यान्वयन से पहले अकेले कागज की वार्षिक खपत पर उनके 5.08 करोड़ रूपये खर्च होते थे, जो 6096 वृक्षों के बराबर है। यदि मुद्रण, डाक, जनशक्ति आदि सहित पूरे उपरिव्यय की लागत को भी शामिल किया जाए तो विधानसभा को चलाने का खर्च सालाना 15 करोड़ रुपये था। इस प्रकार इस परियोजना ने एक वर्ष की छोटी अवधि के भीतर ही अपनी लागत से अधिक फायदा किया है। अगर हिमाचल प्रदेश विधानसभा द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए बहिर्वेशन किया जाता है, तो ई-विधान के कार्यान्वयन के कारण 674 करोड़ रूपये की परियोजना लागत पर लगभग 340 करोड़ रूपये की की सालाना बचत होगी। इसलिए, यह परियोजना दो साल की छोटी अवधि में ही अपनी लागत को वसूल कर देगी, जो ई-विधान परियोजना को आर्थिक रूप से व्यवहार्य और पर्यावरण के अनुकूल बनाती है।	
xi i i)	हार्डवेयर उपकरणों के छोटे जीवन काल और प्रौद्योगिकी में तेजी से होने वाले बदलाव के कारण, यह लागत प्रकृति में आवर्ती हो जाती है। इसके अलावा, यह इन उपकरणों की खरीद में द्विरावृत्ति है, क्योंकि हमने पाया है कि कई राज्य (जैसे कि महाराष्ट्र) पहले ही विधान परिषद के सदस्यों, विधानसभा के सदस्यों और	हार्डवेयर की खरीद कम से कम तीन साल की वारंटी के साथ की जाएगी। इसके बाद, संसदीय कार्य मंत्रालय और संबंधित राज्य सरकार और सदन के बीच हस्ताक्षरित किए जाने वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के अनुसार, हार्डवेयर को बनाए रखना / बदलना संबंधित राज्य सरकार / विधानसभा की जिम्मेदारी बन जाएगी। इसके अलावा, जिन राज्यों ने हाल ही में अपनी संबंधित विधानसभाओं में पटल पर कागज-पत्र रखने के लिए उपकरणों की खरीद की है, उन्हें नए उपकरण नहीं दिए जाएंगे। प्रत्येक	

	अधिकारियों के लिए ऐसे उपकरण खरीद चुके हैं। इसका मूल्यांकन पहले से मौजूद हार्डवेयर को ध्यान में रखते हुए किया जाए और केवल वास्तविक अंतर के लिए लागत अनुमान तैयार किए जाएं।	राज्य विधानमंडल में मौजूदा हार्डवेयर का विवरण उनकी खरीद के विवरण के साथ, राज्य में परियोजना के कार्यान्वयन से पहले संबंधित राज्य सरकार द्वारा तैयार की जाने वाली राज्य-वार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का हिस्सा होगा।	
xi v)	डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क की लागत को शामिल किया गया है, जबकि कई राज्यों में विधानसभा परिसर में एस.डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क है जिसका इस प्रयोजनार्थ उपयोग किया जाए। इसका आकलन किया जाना चाहिए और लागत में बचत हासिल की जा सकती है।	अधिकांश राज्य विधानमंडलों में इंटरनेट कनेक्टिविटी या तो एस.डब्ल्यू.ए.एन. (SWAN) या एनआईसीनेट (NICNET) के माध्यम से है। शून्य डाउनटाइम हेतु एक बैकअप लाइन उपलब्ध कराने के लिए, योजना में एक अन्य इंटरनेट सेवा प्रदाता (आईएसपी) के माध्यम से उच्च गति ऑप्टिकल फाइबर आधारित इंटरनेट कनेक्टिविटी का प्रस्ताव किया गया है।	
xv)	एस.एस. ऑफिस सूट की खरीद के लिए प्रस्ताव किया गया है, जबकि क्लाउड आधारित एम.एस.ऑफिस 365 भुगतान प्रति उपयोग के नमूने पर कम लागत में खरीदा जा सकता है।	क्लाउड आधारित एम.एस.ऑफिस 365 की लागत का हिसाब भी लगाया गया है। तीन वर्षों के लिए प्रति उपयोगकर्ता रू.5987.00 की लागत पर 11934 लाइसेंस की कुल लागत रू.21.44 करोड़ होगी, जबकि हमारे पीआईबी नोट में अनुमानित लागत रू.17.90 करोड़ रूपए रखी गई है जो भविष्य में विस्तार आधारित लागत की अपेक्षित कमी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अनुदार अनुमान है।	
xvi)	एकल कार्यक्रम अकादमी स्थापित करने के बजाय बीपीएसटी और एनआईसी की मौजूदा प्रशिक्षण सुविधाएं इस्तेमाल की जाएं। राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों और राष्ट्रीय अकादमियों को इस प्रशिक्षण के लिए निर्देशित किया जा सकता है।	विधान सभाओं / परिषदों के माननीय सदस्यों और अधिकारियों को ई-विधान एप्लिकेशन हेतु प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, प्रत्येक राज्य प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (एटीआई) / एनआईसी स्टेट सेंटर में उपलब्ध मौजूदा प्रशिक्षण अवसंरचना सुविधाओं का उपयोग किया जा सकता है। हालांकि, ई-विधान प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों को चलाने के लिए विशेष उपकरणों को स्थापित करने की लागत को ई-विधान एफएमपी कोष से वहन करने की आवश्यकता है।	
xvi i)	कुछ विधानमंडल पहले ही इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य का चुके हैं। उन्हें लैपटॉप/टैबलेट/ डेस्कटॉप पुनः प्रदान करना व्यय का दोहराव प्रतीत होता है। इससे बचने की जरूरत है।	अधिकांश राज्य विधानमंडलों में कंप्यूटर हार्डवेयर लगभग 3-6 साल पुराना है। इसलिए जब तक ई-विधान एमएमपी लागू होगा तब तक सभी वर्तमान हार्डवेयर अप्रचलित हो जाएंगे। इसलिए, हमें सभी राज्य विधानमंडलों को नए आईसीटी उपकरण प्रदान करने की आवश्यकता है। हालाँकि, जिन उपकरणों	

		को अप्रचलित घोषित नहीं किया जाएगा, उन्हें उपयोग में लाना जारी रखा जाएगा। इसके बारे में किसी सदन विशेष के लिए परियोजना की मंजूरी देने से पहले प्रत्येक राज्य द्वारा तैयार की जाने वाली राज्य विशिष्ट विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अंतर (गैप) विश्लेषण रिपोर्ट में ध्यान रखा जाएगा।	
xvi i i)	विरासत की व्यवस्था करनी होगी।	वर्तमान विरासत प्रणाली / डेटाबेस को एपीआई या किसी अन्य उपयुक्त मोड के माध्यम से नेवा में एकीकृत किया जाएगा।	
xi x)	चूंकि, परियोजना कागज की बचत और पर्यावरणीय स्थिरता पर आधारित है, अकेले प्रिंटर की आपूर्ति पूरी तरह से समाप्त हो सकती है।	परियोजना के लिए प्रिंटर के प्रावधान पर पुनर्विचार किया गया है और अपेक्षा आधारित जरूरत को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव को संशोधित किया गया है। प्रिंटर के लिए प्रावधान को 24 करोड़ रूपये से घटाकर 2 करोड़ रूपये किया गया है। विभागों / उपक्रमों आदि में अधिकारियों के बीच आईटी जागरूकता के विविध स्तर को देखते हुए बहु-कार्यात्मक प्रिंटर की न्यूनतम आवश्यकता का प्रावधान आवश्यक है।	
xx)	ई-विधान एमएमपी के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाया जाए।	ई-विधान एमएमपी के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उपकरण और तकनीकों का उपयोग करने की संभावनाओं का पता लगाया गया है और संगतता मुद्दों, विशेष रूप से विरासत डेटा के संबंध में, के कारण उपयुक्त नहीं पाया गया है।	
xxi)	परियोजना के तहत आईपी फोन वांछनीय नहीं है क्योंकि आईपी फोन संचार के आधुनिक साधन के रूप में अप्रचलित हो गए हैं।	परियोजना के तहत आईपी फोन के लिए कोई प्रावधान नहीं है।	
xxi i)	तीन साल के बाद परियोजना को संभालने पर राज्यों द्वारा हार्डवेयर के रखरखाव और प्रतिस्थापन के लिए जिम्मेदारी और प्रक्रिया तैयार की जाए और इसे समझौता ज्ञापन का हिस्सा बनाया जाए।	इस संबंध में मसौदा समझौता ज्ञापन / दिशा-निर्देशों में आवश्यक प्रावधान किया गया है।	
xxi i i)	ज्ञापन में एक सावधि विधि खंड (सनसेट क्लॉज) शामिल किया जाए।	ज्ञापन में एक सावधि विधि खंड (सनसेट क्लॉज) उपलब्ध कराया गया है।	
xxi v)	परियोजना के उद्देश्यों, डिजाइन, लागत के बंटवारे, कार्यान्वयन और रखरखाव के लिए उपयुक्त स्तर पर	केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) और राज्य स्तर पर राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई (एसपीएमयू) का उपबंध परियोजना	

	राज्य सरकारों, विधानमंडलों सहित सभी हितधारकों के साथ परामर्श।	के सुचारू कार्यान्वयन की देख-रेख करने के लिए किया गया है। इसके अलावा, सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय ने 26 अप्रैल, 2018 को एनआईसी द्वारा अपने मुख्यालय में आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी नोडल अधिकारियों से परामर्श किया था। यह देखा गया कि सभी नोडल अधिकारी विधानमंडलों के कामकाज को कागज रहित बनाने के लिए नेवा समाधान को अपनाने के लिए तैयार और उत्सुक थे। इसके अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा 24-25 सितंबर, 2018 को नई दिल्ली में नोडल अधिकारियों, विधानसभाओं / परिषदों के सचिवों, एनआईसी के अधिकारियों और सचिवालय / राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों के लिए दो दिवसीय अभिविन्यास कार्यशाला आयोजित की गई थी ताकि परियोजना के लिए उनकी तत्परता और इच्छा का आकलन किया जा सके। कार्यशाला में सभी राज्यों के 170 से अधिक अधिकारियों ने भाग लिया और परियोजना के कार्यान्वयन के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। वास्तव में, सभी ने नेवा में पिछले एक साल का डेटा प्रविष्ट कर दिया है और वास्तविक समय के आधार पर अगला सत्र आयोजित करने के लिए तैयार हैं जो कि नेवा केंद्र और डिजिटल विधानसभा सदन की स्थापना के बाद ही संभव होगा। इसके अलावा, 20 सदनों के लिए कार्यशालाओं का एक दौर उनके अपने-अपने पीठासीन अधिकारी की समग्र देखरेख में उनके सभी अधिकारियों के लिए पहले ही आयोजित किया जा चुका है। इस तरह की कार्यशाला में राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों जैसे मुख्य सचिव, सचिव वित्त, संसदीय कार्य सचिव आदि और पीठासीन अधिकारी / सदस्य उपस्थित थे।	
xxv)	विधानसभा की वेब-कास्टिंग और अन्य समिति की चर्चाओं/बैठकों सहित नागरिक सेवाएं, सभी विधायी दस्तावेजों / रिपोर्टों / अनुसूचियों का ऑनलाइन प्रकाशन और अन्य जानकारी परियोजना के गैर-परक्राम्य घटक होने	ये परियोजना का हिस्सा हैं और विधानमंडल, राज्य सरकार और संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने वाले त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा। मसौदा समझौता ज्ञापन अनुबंध-XXX के रूप में संलग्न है।	

	चाहिए।		
xxvi)	स्पष्ट रूप से परिभाषित आउटपुट और परिणाम, शासन तंत्र, फंड शेयरिंग पैटर्न, प्रौद्योगिकी विकल्प, कार्यान्वयन पद्धति, मानव संसाधन, रखरखाव ढांचा, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन मसौदा आदि को लोक निवेश बोर्ड (PI B) के सामने प्रस्तुत किए जाने वाले परियोजना दिशा-निर्देशों में शामिल किया जाए।	इस पीआईबी ज्ञापन में सबको शामिल किया गया है। आवश्यक प्रावधानों को शामिल करते हुए मसौदा दिशा-निर्देश तैयार कर लिए गए हैं और अनुबंध-XXI X के रूप में संलग्न हैं।	
xxvi i)	प्रत्येक प्रतिभागी राज्य के लिए राज्य-वार अंतर विश्लेषण सहित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना।	त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद प्रत्येक भागीदार राज्यों के लिए अंतर विश्लेषण के साथ डीपीआर तैयार करने से संबंधित कार्रवाई की जाएगी। एनआईसी/एनआईसीएसआई के सहयोग से संसदीय कार्य मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के ई-विधान सॉफ्टवेयर को एक सामान्य राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) के रूप में अनुकूलित किया है और इसे सभी 39 सदनों द्वारा उपयोग करने के लिए नेशनल क्लाउड (मेघराज) में होस्ट किया है। वास्तव में, सभी सदनों के पास नेवा में पिछले एक वर्ष के आंकड़ों की कुंजी है और वे वास्तविक समय में लाइव सत्र के लिए तैयार हैं जो कि नेवा सेवा केंद्र और डिजिटल विधानसभा सदन की स्थापना के बाद ही संभव होगा।	
xxvi i i)	इस प्रयोजनार्थ नियोजित मानव संसाधन की प्रकृति और यदि परियोजना को लागू करने में तीन साल लगेंगे। तकनीकी सहायता के लिए डेटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराना पर्याप्त नहीं है क्योंकि योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता महत्वपूर्ण होगी।	सदस्य संख्या के आधार पर प्रत्येक सदन को 36 महीनों के लिए 20 से 30 तकनीकी कर्मचारियों की सहायता प्रदान की जाएगी। नेवा को चलाने के लिए तकनीकी जनशक्ति अत्यधिक कुशल होगी। चूंकि, सदन के कर्मचारियों की क्षमता निर्माण पर जोर दिया गया है, इसलिए आउटसोर्स तकनीकी मैनपावर की आवश्यकता को युक्तिसंगत बनाया गया है, जो आगे चलकर इस बात के अधीन है कि भारत सरकार का वित्त पोषण जनशक्ति नियोजन के प्रस्ताव में एक तिहाई प्रावधानों तक सीमित होगा क्योंकि शेष दो-तिहाई व्यय संबंधित विधानमंडल द्वारा वहन किया जाएगा। यह प्रबंधनीय होगा क्योंकि सीपीएमयू विधानमंडल सचिवालय के मौजूदा कर्मचारियों का क्षमता निर्माण सुनिश्चित करेगा।	
xxi x)	मंत्रालय पहले से विकसित	क्लाउड पर होस्ट किए गए नेवा सॉफ्टवेयर तक	

	सॉफ्टवेयर राज्यों को यह सिफारिश करते हुए नि:शुल्क प्रदान करे कि वे उसी का उपयोग करें।	पहुंच प्रत्येक विधानमंडल को पहले ही प्रदान की जा चुकी है। वे पिछले एक साल सूचना से पहले ही दर्ज कर चुके हैं। हालांकि, कागज रहित कामकाज को लाइव करने के लिए, सदन के भीतर और आसपास के क्षेत्र का स्वचालन आवश्यक है।	
xxx)	मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए कि संसद के दोनों सदनों का डिजिटलीकरण शीघ्र ही पूरा हो जाए।	इस मंत्रालय को दो मिशन मोड परियोजनाएं आबंटित की गई हैं अर्थात ई-संसद और ई-विधान। संसद के दोनों सचिवालय पहले ही अपने स्वचालन के लिए कई कदम उठा चुके हैं। हालाँकि, वर्तमान प्रस्ताव राज्य विधानमंडलों के लिए ई-विधान से संबंधित है। ई-संसद जो संसद के दोनों सदनों से संबंधित है, एक अलग मिशन मोड परियोजना है।	

अनुबंध-XXVIII

नीति आयोग से प्राप्त टिप्पणियां (2017) और मंत्रालय का उत्तर/स्थिति।

क्र.सं.	टिप्पणियां	स्थिति	अभ्युक्तियां
i)	ई-विधान भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत 44 मिशन मोड परियोजनाओं में से एक है। परियोजना का उद्देश्य राज्य / संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं को कागज रहित बनाना है। इसलिए प्रस्ताव का समर्थन करने की आवश्यकता है।	संसदीय कार्य मंत्रालय नीति आयोग के विचारों का पूर्ण समर्थन करता है।	
ii)	राष्ट्रीय ई-शासन योजना के भाग के रूप में, सभी राज्यों में राज्य डेटा केंद्र (एसडीसी) और स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन) स्थापित किए गए हैं। एसडीसी और एसडब्ल्यूएएन के भाग के रूप में पहले से निर्मित बुनियादी ढांचे के उपयोग के लिए प्रयास किए जाने चाहिए और यदि आवश्यक हो, तो प्रत्येक स्थान के लिए नए डेटा केंद्र स्थापित करने के बजाय इसे मजबूत / अपग्रेड किया जाए।	नेवा सूट और डीआर (डिजास्टर रिकवरी) साइट एनडीसी (नेशनल डेटा सेंटर) / मेघराज में बनाई / होस्ट की जाएगी और इसकी एक फेल प्रूफ प्रणाली के रूप में लोकल सर्वर पर मिररिंग की जाएगी। प्रत्येक राज्य विधानमंडल के लिए एसडब्ल्यूएएन/ एनआईसीएनईटी कनेक्टिविटी का उपयोग किया जाएगा। इसलिए, मौजूदा बुनियादी ढांचे का पूरी तरह से उपयोग किया जाएगा।	
iii)	परियोजना की लागत में परियोजना के तहत सृजित किए जाने वाले प्रस्तावित आईटी ढांचे के रखरखाव / एएमसी की लागत शामिल नहीं है।	ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन के लिए सभी आईसीटी उपकरण कम से कम तीन साल की वारंटी के साथ खरीदे जाएंगे। तीन साल के बाद, प्रतिस्थापन लागत सहित एएमसी की लागत को संबंधित राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। हालांकि, नेवा सूट के उन्नयन / रखरखाव के साथ-साथ क्लाउड पर इसकी होस्टिंग और उपयोगकर्ताओं के क्षमता निर्माण की जिम्मेदारी सीपीएमयू, संसदीय कार्य मंत्रालय की होगी और इस पर होने वाले व्यय की पूर्ति मंत्रालय के नियमित बजट से की जाएगी। इस पर वार्षिक व्यय रू.4.00 करोड़ की सीमा में होगा।	

iv)	राज्य सरकार को परिसंपत्तियों और जिम्मेदारियों का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करने के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय ई-विधान को लागू करने से पहले प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें।	संसदीय कार्य मंत्रालय विचारों का पूर्ण समर्थन करता है। किसी राज्य में ई-विधान को लागू करने से पहले उस राज्य की सरकार और विधानमंडल के साथ एक विस्तृत त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।	
v)	मंत्रिमंडल सचिवालय कि का.ज्ञा. सं.1/50/1/2016-Cab दिनांक 22.1.2016 में निहित अनुदेशों के अनुसार, मूल्यांकनकर्ता निकायों द्वारा विचार किए जाने वाले सभी प्रस्तावों में रोजगार सृजन क्षमता का स्पष्ट संकेत होना चाहिए।	ई-विधान मिशन मोड परियोजना डेटा एंट्री ऑपरेटर्स, प्रोग्रामिंग स्टाफ, वेब एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, ऑपरेशन मैनेजर, नेटवर्क सपोर्ट प्रोफेशनल्स, ट्रेनिंग स्टाफ और एमटीएस जैसी विभिन्न श्रेणियों में लगभग 925 तकनीकी जनशक्ति को रोजगार के अवसर प्रदान करेगी।	

अनुबंध-XXI X

राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन

नेवा: डिजिटल विधानमंडलों के लिए

कार्यक्रम दिशा-निर्देश

जनवरी, 2020

विषय-वस्तु

भाग I – परियोजना के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत..

1. प्रस्तावना...

2. मिशन...
....

3. परियोजना के उद्देश्य ....

भाग II – परियोजना की व्याप्ति और कार्यान्वयन की रीति ....

4. परियोजना की व्याप्ति ....

4.1 ई-विधान एमएमपी के अंतर्गत स्वचालन के क्षेत्र..

5. विधानमंडल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन..................................

6. परियोजना कार्यान्वयन...

6.1 उन सदनों के लिए जिनके यहां कुछ एप्लिकेशन हैं:..

6.2 नेवा मोबाइल ऐप: ....

7. निधियां (किश्तें) जारी करने के लिए निबंधन और शर्तें ....

8. राज्य स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा, परियोजना निरूपण और एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति:...
....

8.1 भूमिकाएं और कार्य :..

8.2 संरचना :..

9. केंद्रीय स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुमोदन ....

10. राज्य सरकार को निधियों का जारी किया जाना ....

11. जनशक्ति परिनियोजन ....

12. कार्यपालक प्राधिकारी.....
.....

भाग-III संस्थागत तंत्र – परियोजना प्रबंधन और अनुवीक्षण.....

13. कार्यक्रम प्रबंधन यूनिट (पीएमयू).....

***13.7* ई-शासन और सामान्य प्रयोजन हेतु उच्च स्तरीय/सर्वोच्च समिति .....**

***13.8* क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण.....**

***13.8.1* क्षेत्रीय कार्यशालाएं .....**

***13.8 .2* क्षमता निर्माण / प्रशिक्षण:.....**

***13.9* नेवा केंद्र (ई-शिक्षा / सुविधा केंद्र) की स्थापना .....**

***13.10* दृश्य श्रव्य उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री .....**

***13.11* सीपीएमयू में कृत्रिम विधानसभा.....**

***13.12* ई-विधान हेतु हार्डवेयर, साफ्टवेयर और सेवाओं का प्रापण .....**

***13.13* लेखापरीक्षा .....**

***13.14* सावधि विधि खंड.....**

***13.15* कठिनाई को दूर करना .....**

भाग-IV – ई विधान एमएमपी के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई की भूमिका.....

14. ई-विधान एमएमपी हेतु एनआईसी की भूमिका .....

15. ई-विधान एमएमपी हेतु एनआईसीएसआई की भूमिका .....

16. एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से खरीद एवं सेवाओं हेतु निधियन
.....

भाग I – परियोजना के उद्देश्य और मार्गदर्शी सिद्धांत

1. प्रस्तावना

1.1 डिजिटल इंडिया कार्यक्रम (डीआईपी) के अंतर्गत ई-विधान राज्य श्रेणी के अंतर्गत एक मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) है। संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ई-विधान एमएमपी के लिए नोडल विभाग है। ई-विधान को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं में कार्यान्वित किया जाना है।

1.2 "ई-विधान - राज्य विधानमंडलों के लिए एक मिशन मोड परियोजना" कम्प्यूटरीकरण के संभावित क्षेत्रों को रेखांकित करता है जैसे सदन के पटल पर सभी दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप में रख कर राज्य विधानमंडल के कार्यचालन को कागज रहित बनाना, मानक राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का डिजाइन, विकास और कार्यान्वयन, राज्य सरकार के सभी विभागों के लिए ई-कनेक्टिविटी, नेवा परिनियोजन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र नेटवर्क/राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क (एनआईसीनेट/एनकेएन) से कनेक्टिविटी।

1.3 ई-विधान एमएमपी का उद्देश्य और लक्ष्य सूचना का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह, सदन के पटल पर दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखा जाना और सभी हितधारकों के बीच इलेक्ट्रॉनिक सूचना का आदान-प्रदान है और इस प्रकार देश में कागज रहित विधानमंडल का सृजन करना है। यह सभी राज्य विधानमंडलों का डेटा एनालिटिक्स, सूचना प्रसंस्करण और डेटा का विश्लेषण भी उपलब्ध कराएगा। अपने प्रमुख हितधारकों अर्थात राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को सेवाओं का इलेक्ट्रॉनिक परिदान ई-विधान एमएमपी के प्रमुख उद्देश्यों में से एक है।

1.4 ई-विधान एमएमपी ई-अवसंरचना का लाभ उठाने और उपयोग करने की परिकल्पना करता है जैसे कि नेशनल क्लाउड (मेघराज), नेटवर्क/वाईफाई प्रबंधन के लिए स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (एसडब्ल्यूएएन)/नेशनल नॉलेज नेटवर्क (एनकेएन), इंटीग्रेटेड नेटवर्क ऑपरेशन सेंटर (आईएनओसी) अवसंरचना आदि।

1.5 ई-विधान पहल भारत सरकार की "गो ग्रीन" पहल के अनुरूप है। इसका पर्यावरण पर दीर्घकालिक प्रभाव पड़ेगा क्योंकि हर वर्ष हजारों टन कागज की बचत होगी और इस प्रकार सालाना लाखों पेड़ बचेंगे।

1.6 प्रस्ताव में संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में एक केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना और प्रत्येक राज्य विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू), माननीय अध्यक्ष, माननीय उपाध्यक्ष, सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के कार्यालय में कंप्यूटर सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की स्थापना करना, लोकल एरिया नेटवर्क/वाइड एरिया नेटवर्क अवसंरचना की स्थापना, सदस्यों के लिए ई-मेल/इंटरनेट सशक्तिकरण/ई-सुविधा केंद्र, कागज-पत्रों का इलेक्ट्रॉनिक रूप में सभा पटल पर रखा जाना, राज्य विधानसभाओं/विधान परिषदों की सक्रिय वेबसाइट का निर्माण, रिपोर्टर शाखा, विधायी शाखा, संपादन शाखा, प्रश्न शाखा (संसद अनुभाग), समिति शाखा, पुस्तकालय संदर्भ सेवाओं, सदस्य सुविधाओं और सेवा शाखा सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण शामिल हैं।

1.7 मानकीकृत सामान्य नेवा विकसित किया जाएगा जो द्विभाषी (अंग्रेजी और हिंदी/राज्य भाषा) होगा और नेलशनल क्लाउड - मेघराज पर मल्टी-टेनेंसी एप्लिकेशन के रूप में चलेगा। एप्लिकेशन को विधानमंडलों वाले विभिन्न राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनके जोखिम और लागत पर अनुकूलित किया जा

सकता है।

1.8 इसके अलावा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना, डिजिटल प्रारूप में पिछले रिकॉर्ड को संग्रहीत करने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी को प्रोत्साहित किया जाएगा।

1.9 सदस्यों को सहायता प्रदान करने के लिए, नोडल अधिकारी के अधीन प्रत्येक स्थान पर एक नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल के सदस्यों और विधान सभा/ परिषद सचिवालय और राज्य सरकार के अन्य विभागों के विभिन्न स्तरों के अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु, प्रत्येक स्थान पर ई-लर्निंग केंद्र के रूप में नेवा सेवा केंद्र (एनएसके) स्थापित करना प्रस्तावित है।

2.मिशन

ई-विधान एमएमपी का मिशन सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कागज रहित विधायिका बनाना, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान की सभी प्रक्रियाओं को सरल और कारगर बनाना तथा सूचना जैसे ही पैदा होती है उसे सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी चर्चा में अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिभागिता हेतु अपने आप को तैयार करने हेतु नवीनतम आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने में सहायता करना भी है।

3. परियोजना के उद्देश्य

ई-विधान एमएमपी के उद्देश्य निम्नलिखित सुनिश्चित करना है:

- ✓ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को सूचना/डेटा का इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह और वितरण सुनिश्चित करने और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ परस्पर संवाद करने के उद्देश्य से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडल की सभी शाखाओं का कम्प्यूटरीकरण।

- ✓ निर्धारित सेवाओं और उनकी प्रक्रियाओं की बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग (बीपीआर) के द्वारा बेहतर सेवा स्तरों के साथ सेवाओं का कुशल परिदान।

- ✓ सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा सेवा केंद्र (ई-लर्निंग सेंटर) में राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, संबंधित राज्य विधानमंडल सचिवालयों के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अन्य अधिकारियों के लिए क्षमता निर्माण और अभिविन्यास कार्यक्रम।

- ✓ सदस्यों की सहायता के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों में नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना करना।

- ✓ नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्टिंग के लिए सामान्य, मल्टी-टेनेंसी नेवा वर्जन 2.0 का विकास।

- ✓ सभी हितधारकों की विश्वसनीयता, दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक पोर्टलों और

डैशबोर्ड के माध्यम से सार्वजनिक सेवाओं (सूचना प्रसार) का वितरण।

भाग-॥ – परियोजना की व्याप्ति और कार्यान्वयन की रीति

4. परियोजना की व्याप्ति

- . ई-विधान एमएमपी राष्ट्रीय स्तर पर केंद्रीकृत स्थापत्य की परिकल्पना करता है, जिसमें प्रत्येक चिह्नित सेवा के लिए एक ही एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर होगा। एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्ट किया जाएगा। तकनीकी विशिष्टताओं और ई-शासन मानकों के पालन के माध्यम से राज्यों के विधानमंडलों के एकीकरण को सक्षम किया जाएगा।

- परियोजना के प्रमुख पहलू हैं बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग (बीपीआर) और पारस्परिकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ई-शासन मानकों पर आधारित डेटाबेस का निर्माण। बीपीआर का अभिप्राय सदस्यों और नागरिकों के लिए प्रक्रिया सरलीकरण और महत्वपूर्ण मूल्य संवर्धन सक्षम करना है।

- नेवा का उद्देश्य निम्नलिखित लक्ष्यों को हासिल करने का है :

  - एक सामान्य नेवा का विकास करना।

  - साझा किए जा सकने योग्य डेटाबेस डिजाइन और विकसित करना जिसे राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को बेहतर और कुशल सेवाओं के लिए विभिन्न राज्य विधानमंडलों द्वारा साझा किया जा सके।

  - राज्य स्तरीय नेवा कार्यान्वयन समिति का गठन: हिमाचल प्रदेश विधानसभा और अन्य राज्य विधानमंडलों में कार्यान्वित ई-विधान एप्लिकेशनों में उपलब्ध सुविधाओं का अध्ययन करने के पश्चात मानक नेवा के विकास हेतु हार्डवेयर, साफ्टवेयर, क्लाउड अवसंरचना, उपकरण और प्रौद्योगिकियों की सिफारिश करने के लिए।

  - डिजिटल विधानमंडल: सदन में टच स्क्रीन/टैबलेट उपकरणों की स्थापना।

  - राज्य विधानमंडलों के प्रत्येक सदस्य को एक टैबलेट उपकरण उपलब्ध कराना (यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पहले से उपलब्ध नहीं कराया गया है/व्यवस्था नहीं की गई है)।

  - राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए एक वर्ष तक डाटा इंटरनेट कनेक्शन शुल्क की पूर्ति ई-विधान निधियों से की जाए।

  - प्रक्रिया को ई-सक्षम बनाने के लिए बीपीआर।

  - राज्य विधानमंडलों की सभी शाखाओं में आईसीटी अवसंचना उपलब्ध कराना।

  - राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के उपयोग के लिए हाई स्पीड एल.ए.एन./डब्ल्यू.ए.एन. नेटवर्क, सुरक्षित वाई.फाई. नेटवर्क और अन्य नेटवर्क सेवा हेतु बैकअप सहित मजबूत नेटवर्क अवसंरचना सुविधाओं की स्थापना करना।

  - राज्य सरकार के सभी विभागों से समस्त सूचना इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्राप्त करने की प्रक्रिया का मानकीकरण।

- प्रत्येक राज्य विधानमंडल में नेवा केंद्र (ई-सुविधा/ई-लर्निंग सेंटर) की स्थापना करना।
- संसदीय कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में केंद्रीय परियोजना निगरानी इकाई (सीपीएमयू) की स्थापना करना।
- प्रत्येक विधानमंडल में राज्य परियोजना निगरानी इकाई (एसपीएमयू) की स्थापना करना।
- ई-बुक फॉर्मेट में सदन के पटल पर सभी रिपोर्ट / दस्तावेज और कागज-पत्र इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखने जैसी सेवाओं के इलेक्ट्रॉनिक परिदान हेतु विधानमंडल के सदन (सदनों) में आवश्यक हार्डवेयर / एक्सेस उपकरण तैनात करना।
- राज्य के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए विधानमंडल सचिवालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक सूचना आदान-प्रदान हेतु मानक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफार्म उपलब्ध कराना।
- सभी एप्लिकेशनों को प्रयोक्तानुकूल और उपकरण स्वतंत्र बनाना ताकि विभिन्न हितधारकों द्वारा उनके प्रयोग में वृद्धि हो सके।
- सभी राज्य विधानमंडलों के लिए मोबाइल अनुकूल पोर्टल (द्विभाषी) बनाना।
- सदस्यों और अन्य हितधारकों द्वारा तुरंत उपयोग की जाने वाली जानकारी / डेटा तक पहुंच के उद्देश्य से उपयोग में आसान मोबाइल एप्लिकेशन विकसित करना।

क. ई-विधान एमएमपी के अंतर्गत स्वचालन के क्षेत्र –

नेशनल ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) प्रक्रियाओं को स्वचालित करेगा जो सदन (सदनों) के कागज रहित कामकाज और सूचना के डिजिटल आदान-प्रदान के लिए प्रासंगिक है। निम्नलिखित मॉड्यूल विकसित और कार्यान्वित किए जाएंगे:

1. डिजिटल विधानमंडल/कार्य सुविधा।
2. दैनिक कार्य संबंधी कागज-पत्र (कार्यसूची, समाचार, सारांश इत्यादि)
3. रिपोर्टरों द्वारा शब्दश: कार्यवाही तैयार किया जाना।
4. सभी प्रकार के प्रश्नों और नोटिसों का प्रस्तुतिकरण और प्रक्रमण।
5. सभी कागज-पत्रों और रिपोर्टों को सभा पटल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखना।
6. प्रश्न शाखा, पटल कार्यालय, विधायी, संपादकीय और सारांश शाखा का कंप्यूटरीकरण।
7. विधेयक प्रबंधन प्रणाली।
8. समिति प्रबंधन प्रणाली।
9. आश्वासन प्रबंधन प्रणाली।
10. सदस्यों का पोर्टल।
11. सदस्यों की प्रसुविधाएं ।
12. वेब-कास्टिंग।

नेवा के बाद वाले / दूसरे चरण में स्वचालन के उपरोक्त क्षेत्रों के कार्यों में सुधार होगा और अन्य चीजों में निम्नलिखित को शामिल किया जा सकता हैं:

1. डिजिटल अभिलेखागार
2. लाईब्रेरी स्वचालन
3. खरीद और स्टोर
4. ई-निर्वाचन क्षेत्र
5. किसी सदन की विशिष्ट आवश्यकता अनुसार कोई अन्य सुधार।

नेवा सदनों के डिजिटलीकरण और सूचना के आसान और उपकरण अज्ञेयवादी पहुंच के लिए माननीय सदस्यों की सुविधा पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा। इस प्रकार, नेवा में नीचे उल्लिखित संव्यवहार वाले क्षेत्र शामिल नहीं होंगे:

1. राज्य विधानसभाओं के सुरक्षा संचालन – किसी सुरक्षा संबंधी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सेवाओं की खरीद ई-विधान एमएमपी के कोष से नहीं की जा सकती।
2. ई-विधान एमएमपी के लिए धन का उपयोग राज्य सरकार के विभागों की आईसीटी गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है, इसके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा निधि प्रदान की जानी है।
3. राज्य विधानमंडलों के सदस्यों को उनके आवास पर इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने के लिए ई-विधान एमएमपी निधियों का उपयोग नहीं किया जा सकता है।
4. ई-विधान एमएमपी की निधियों का उपयोग करके कोई भी अकादमी/भौतिक अवसंरचना परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं किया जा सकता है।
5. ई-विधान एमएमपी को नेशनल क्लाउंड – मेघराज पर डी.आर. साइट के साथ होस्ट किया जाएगा। केवल मिरर साइटें राज्य डेटा केंद्रों / स्थानीय डेटा केंद्रों में बनाई जाएंगी।
6. व्यय की कोई अन्य मद जो समय-समय पर प्रदान की जा सकती है।

5. विधानमंडल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन

एक त्रिपक्षीय समझौते पर विधानमंडल, राज्य सरकार और भारत सरकार के बीच हस्ताक्षर किए जाएंगे।

समझौता ज्ञापन का प्रारूप अनुबंध-XXX के रूप में विहित किया गया है।

6. परियोजना का कार्यान्वयन

नेवा की सफलता पूर्ण रूप से राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकार के विभागों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों पर निर्भर करेगी।

सभी राज्य विधानमंडलों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और अंतर (गैप) विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करनी अपेक्षित होगी। (सीपीएमयू द्वारा आदर्श नमूना साझा किया जाएगा)। दोहराव से बचने के लिए आईसीटी उपकरणों के मौजूदा कार्यात्मक सामान का उपयुक्त उपयोग किया जाए।

परियोजना के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित रूप में उपलब्ध कराई जाएंगी:

i) पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए धनराशि 90:10 के अनुपात में होगी।

ii) विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केंद्र द्वारा धनराशि 100% होगी।

iii) अन्य सभी राज्यों के लिए निधियां 60:40 के अनुपात में होगी

कहीं भी कुछ और उल्लिखित होने के बावजूद, केंद्र सरकार का हिस्सा सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा अनुमोदित स्वीकृत लागत तक सीमित और परियोजना के तहत जारी निधियों के समुचित उपयोग के अधीन होगा।

समय और लागत बढ़ने के कारण या अन्यथा होने वाला अतिरिक्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में स्थायी कर्मचारियों को परियोजना से वित्त पोषित नहीं किया जाएगा।

परियोजना के पूरा होने पर, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कार्यपालक प्राधिकारी को हस्तांतरित किया गया माना जाएगा।

इस परियोजना के तहत, मोबाइल ऐप सहित राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन को लोक सभा, राज्य सभा, अन्य विधायी निकायों और हिमाचल प्रदेश के सफल अनुभव की सर्वोत्तम परंपराओं के आधार पर आवश्यक अनुकूलन के साथ उपलब्ध कराया जाएगा।

6.1 उन सदनों के लिए जहां कुछ एप्लिकेशंस मौजूद हैं:

जहां भी सदनों के पास दिन-प्रतिदिन की विधायी गतिविधियों का प्रबंधन करने के लिए कुछ डिजिटल एप्लिकेशंस मौजूद हैं, जो नेवा के साथ संगत नहीं हैं, संबंधित राज्य सरकारें उन्हें अपने जोखिम और लागत पर नेवा के अनुकूल बना सकती हैं ताकि नेवा के फायदों का पूरा उपयोग किया जा सके। इससे उन्हें अपने विरासत डेटा को संरक्षित करने में भी मदद मिलेगी।

दिशा-निर्देशों के जारी किए जाने के पश्चात इस प्रकार किए गए किसी व्यय को राज्य का हिस्सा माना जाएगा। सदनों को नेवा को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उनकी मौजूदा प्रणाली के साथ समेकित रूप में एकीकृत किया जाएगा।

6.2 नेवा मोबाइल ऐप:

नेवा मोबाइल ऐप एंड्रॉएड और iOS प्लेटफार्म पर प्रत्येक सदन के लिए अलग-अलग उपलब्ध कराई जाएगी।

7. धनराशि (किश्तें) जारी करने के नियम और शर्तें:

1. पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समिति द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।
2. दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

3. तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित योजना की भौतिक और वित्तीय प्रगति दर्शाते हुए दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

4. चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

5. उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

6. जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं उन्हें एक किस्त में समस्त धनराशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

8. राज्य स्तर पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की संवीक्षा, परियोजना निरूपण और एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति:

8.1 भूमिका और कार्य:

प्रत्येक सदन सूचना प्रौद्योगिकी परिसंपत्तियों और जनशक्ति की आवश्यकता की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) और गैप विश्लेषण रिपोर्ट तैयार करेगा। इस प्रकार तैयार की गई डीपीआर निर्धारित रीति का पालन न करते हुए सीधे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की जाएगी।

आईटी विभाग / राज्य सरकार द्वारा राज्य के अंशदान, जनशक्ति सहायता, संचालन और रखरखाव और अतिरेक प्रबंधन आदि सहित सभी के संदर्भ में डीपीआर की जांच की जाएगी। राज्य स्तर पर एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति द्वारा परियोजना निरूपण और कार्यान्वयन सहित डीपीआर का संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा वित्त पोषण की सिफारिश सहित अनुमोदन किया जाएगा।

8.2 संरचना:

राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1. सचिव (राज्य विधानमंडल)	-	अध्यक्ष
2. सचिव (आईटी)	-	सदस्य
3. सचिव (वित्त विभाग)	-	सदस्य
4. सचिव (बजट – राज्य विधानमंडल का नोडल विभाग) या उनका नामिति जो संयुक्त सचिव के स्तर से नीचे का नहीं होगा	-	सदस्य
5. राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी	-	सदस्य
6. प्रतिनिधि, एनआईसीएसआई, राज्य स्तर पर	-	सदस्य
7. सचिव, संसदीय कार्य विभाग	-	सदस्य
8. संयुक्त सचिव/निदेशक/उप सचिव (राज्य विधानमंडल)	-	सदस्य सचिव
9. अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रिती

राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी प्रगति की समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- राज्य विधानमंडल की कार्य प्रक्रियाओं (बीपीआर) में अपेक्षित परिवर्तनों का अनुमोदन।
- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन हेतु यदि अपेक्षित हो तो, अधिनियम (अधिनियमों), नियमों और विनियमों में संशोधन।
- परियोजना पूरी होने के बाद उसे संभालने पर आईसीटी उपकरणों का रखरखाव और प्रतिस्थापन।
- इलेक्ट्रॉनिक रूप से उपलब्ध कराई जाने वाली प्रत्येक सेवा के संबंध में राज्य विधानमंडल सचिवालयों और राज्य सरकार के अन्य विभागों सहित प्रत्येक संस्था के अपने-अनले कार्य और दायित्व निर्धारित करना।
- ई-विधान एमएमपी सेवाएं चालू करने के लिए अपेक्षित सरकारी आदेश और अधिसूचनाएं जारी करने का अनुमोदन।
- निधियां जारी किए जाने संबंधी सिफारिश।
- परियोजना की तकनीकी और वित्तीय प्रगति की मासिक समीक्षा।
- यदि अपेक्षित हो तो अंतर विभागीय मामलों का समाधान करना।
- राज्य विधानमंडल में ई-विधान एमएमपी के त्वरित कार्यान्वयन हेतु समग्र मार्गदर्शन और निदेश।
- जागरूकता/मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल) / ऑडियो और वीडियो, टीवी स्पॉट्स – अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।
- सक्षम प्राधिकारी द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

9 केंद्रीय स्तर पर डीपीआर का अनुमोदन:

9.1 राज्य सरकार से विधिवत अनुशंसित डीपीआर की प्राप्ति के पश्चात, तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी।

9.2 डीपीआर की विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की तकनीकी विशेषताओं, उनकी पर्याप्तता, अधिकता इत्यादि सहित सभी प्रकार से तकनीकी संवीक्षा नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) द्वारा की जाएगी और अपनी सिफारिशों सहित संसदीय कार्य मंत्रालय को रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

9.3 प्रस्तावों का वित्तीय मूल्यांकन संसदीय कार्य मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार द्वारा समतुल्य प्रावधानों, नेवा दिशानिर्देशों के संदर्भ में खरीद विधियों के संदर्भ में किया जाएगा।

9.4 तकनीकी संवीक्षा और वित्तीय मूल्यांकन की रिपोर्ट के साथ मंजूरी के लिए प्रत्येक सदन की डीपीआर के अनुमोदन का ज्ञापन नेवा की अधिकार प्राप्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

9.5 नेवा परियोजना अनुमोदन प्राप्त समिति की संरचना इस प्रकार होगी:

1.	सचिव (संसदीय कार्य मंत्रालय)	-	अध्यक्ष
2.	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव या उनके नामिति	-	सदस्य
3.	वित्तीय सलाहकार	-	सदस्य
4.	महानिदेशक/उप महानिदेशक, एनआईसी	-	सदस्य

5.	एमडी, एनआईसीएसआई	-	सदस्य
6.	संबंधित विधानमंडल का सचिव	-	सदस्य
7.	संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का सचिव	-	सदस्य
8.	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय और मिशन लीडर	-	सदस्य सचिव
9.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रितगण

10. राज्य सरकार को निधियां जारी करना

10.1 संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार नेवा के कार्यान्वयन के लिए संबंधित राज्य के सचिव (राज्य विधानमंडल के लिए बजट-लाइन नोडल विभाग) को निधियां जारी करेगा। नोडल विभाग कार्यपालक प्राधिकारी, नेवा को राज्य के हिस्से जितनी धनराशि सहित निधियां अंतरित करेगा।

10.2 राज्य सरकार परियोजना के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु अग्रिम धनराशि जारी कर सकती है जिसकी प्रतिपूर्ति संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार की मंजूरी के अनुसार की जा सकती है।

11. कार्मिकों की तैनाती

राज्य के हिस्से के अंतर्गत प्रत्येक राज्य विधानमंडल में अपेक्षित कार्मिकों की तैनाती और अन्य अवसंरचना:

11.1 प्रत्येक राज्य विधानमंडल अनुलग्नक में दिए गए विवरण के अनुसार नेवा के कार्यान्वयन हेतु कार्य करने के लिए 20 या 30 तक, जैसा भी मामला हो, कार्मिक भाड़े पर ले सकता है। कार्मिकों को मौजूदा नियमों के अनुसार जेम (GeM) या एनआईसीएसआई या किसी अन्य अधिकृत तरीके से काम पर रखा जा सकता है।

11.2 इस प्रकार तैनात किए गए कुछ या सभी कार्मिक राज्य विधानमंडल के मौजूदा स्टाफ (गैर-तकनीकी स्टाफ सहित) में से भी हो सकते हैं। मौजूदा स्टाफ में से इस प्रकार नियोजित कार्मिकों के वेतन की अधिकतम सीमा रू.8 लाख प्रतिवर्ष प्रति कार्मिक है। चयनित तैनात कार्मिकों का वेतन राज्य की हिस्सेदारी में ही समायोजित किया जाएगा (36 मास की अवधि के लिए)।

12. कार्यपालक प्राधिकारी

12.1 सचिव (राज्य विधानमंडल) संबंधित राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यपालक प्राधिकारी होंगे।

12.2 कार्यपालक प्राधिकारी राज्य स्तरीय राज्य परियोजना निगरानी ईकाई सह नेवा कार्यान्वयन समिति का अनुमोदन/अनुशंसा प्राप्त करने के बाद गैप विश्लेषण और डीपीआर तैयार करने और उसे संसदीय कार्य मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.3 निष्पादन प्राधिकारी उपयोग के प्रमाण पत्र और रसीद सहित वित्तीय निर्गमों के दावे प्रस्तुत करने और राज्य की निर्धारित हिस्सेदारी का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.4 निष्पादक प्राधिकारी नेवा सेवा केंद्र स्थापित करने और जनशक्ति की तैनाती इत्यादि के लिए जिम्मेदार होगा।

12.5 निष्पादक प्राधिकारी नियमों के अनुसार निर्धारित खरीद प्रक्रिया का पालन करते हुए हार्डवेयर, विभिन्न गैजेट्स और उपकरणों की खरीद के लिए जिम्मेदार होगा, जिसमें इन्वेंट्री प्रबंधन और रिकॉर्ड कीपिंग भी शामिल है। यदि कोई विशेष

विक्रेता बिना किसी अतिरिक्त लागत के तीन या अधिक वर्षों (मान लो 5 साल) से अधिक की वारंटी प्रदान करता है, तब अन्य सभी चीजें समान होने के नाते, ऐसे विक्रेताओं से खरीद को प्राथमिकता दी जाए।

12.6 निष्पादक प्राधिकारी समय-समय पर संसदीय कार्य मंत्रालय और राज्य सरकार के साथ कार्यान्वयन की गति और प्रगति सहित जानकारी साझा करने के लिए जिम्मेदार होगा।

12.7 निष्पादक प्राधिकारी राज्य सरकार/संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा निर्धारित रूप में नेवा की भौतिक और वित्तीय प्रगति की मासिक/त्रैमासिक/वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

12.8 निष्पादक प्राधिकारी परियोजना के सुचारू और समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए आवश्यक अन्य सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार होगा।

भाग-III – संस्थागत तंत्र – परियोजना प्रबंधन और निगरानी

13. कार्यक्रम प्रबंधन इकाइयां (पीएमयू)

13.1 परियोजना का समयबद्ध कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय स्तर पर और प्रत्येक राज्य विधानमंडल के स्तर पर परियोजना प्रबंधन इकाइयों की स्थापना की जाएगी।

13.2 केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) राष्ट्रीय रोलआउट के लिए दिशानिर्देश, प्रक्रिया और टेम्पलेट तैयार करने के लिए जिम्मेदार होगी। यह ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी, जिसका निष्पादन प्रत्येक राज्य विधानमंडल के साथ एनआईसी/एनआईसीएसआई द्वारा किया जाएगा।

13.3 राज्य स्तरीय एसपीएमयू सह नेवा कार्यान्वयन समिति, जिसकी संरचना पैरा 8.2 में दर्शाई गई है, अपने अपने राज्य विधानमंडल में कार्यान्वयन की निगरानी करेगी। यह ई-विधान एमएमपी के कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार के विभागों के साथ समन्वय भी करेगी।

13.4 राज्य स्तरीय कार्यान्वयन समिति कार्यान्वयन के पश्चात भी सुचारू प्रचालन और अनुरक्षण हेतु भी जिम्मेदार होगी।

13.5 नेवा की केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (सीपीएमयू) की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	संयुक्त सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय	-	मिशन लीडर
2.	वित्तीय सलाहकार या उनका प्रतिनिधि	-	सदस्य
3.	महानिदेशक, एनआईसी या उनका प्रतिनिधि	-	सदस्य
4.	संयुक्त सचिव (ई-गॉव), इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार	-	सदस्य
5.	प्रबंध निदेशक, एनआईसीएसआई या उनका प्रतिनिधि	-	सदस्य
6.	परियोजना लीडर, नेवा, एनआईसी	-	सदस्य
7.	परियोजना निदेशक, नेवा, एनआईसी	-	सदस्य
8.	अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य व्यक्ति	-	विशेष आमंत्रिती

13.6 नेवा की सीपीएमयू समय-समय पर परियोजना की वित्तीय और तकनीकी समीक्षा करेगी और निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी:

- परियोजना के काम की प्रगति का आकलन करने और नई दिशाओं/दृष्टिकोण पर परियोजना निष्पादन टीम को सलाह देने और इसकी सुचारू प्रगति सुनिश्चित करने तथा उपलब्ध क्षमताओं के पूरे उपयोग हेतु देश में किसी भी अन्य राज्य विधानमंडल में चल रहे कार्य के साथ लिंक-अप सुनिश्चित करने के लिए।

- मंजूरियों में परिवर्तनों के संबंध में राज्य विधानमंडल के विशिष्ट अनुरोध की जांच करने और अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विचारण हेतु उस पर सिफारिश करने के लिए।

- एक सफल प्रतिरूप के लिए परियोजना के पूरा होने, सुविधाओं की स्थापना, इसके उपयोग और जानकारी हस्तांतरण आदि के बारे में अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए।
- शामिल एजेंसियों द्वारा प्रदेय वस्तुओं या सेवाओं की समीक्षा और परियोजना के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए वस्तुओं या सेवाओं में संशोधन करने के लिए।
- ई-विधान एमएमपी और इसके फायदों के विस्तृत प्रचार हेतु, सीपीएमयू इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लिए योजना बनाएगी।
- जागरूकता / मीडिया योजना (टैग लाइन, रेडियो जिंगल) / ऑडियो और वीडियो, टीवी स्पॉट्स – अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषा।
- सक्षम प्राधिकारी अर्थात सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा सौंपा गया अन्य कोई कार्य।

13.7 ई-शासन और सामान्य प्रयोजन हेतु उच्च स्तरीय सर्वोच्च समिति:

नेवा परियोजना और राज्य में अन्य ई-शासन संबंधी मामलों की निगरानी करने के लिए माननीय अध्यक्ष/सभापति की अध्यक्षता में राज्य विधानमंडलों के माननीय सदस्यों को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय सर्वोच्च समिति गठित की जाए।

सदन की नेवा संबंधी समिति की संरचना निम्न प्रकार होगी:

1.	माननीय अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सभापति/उप सभापति	-	अध्यक्ष
2.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 1	-	सदस्य
3.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 2	-	सदस्य
4.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 3	-	सदस्य
5.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 4	-	सदस्य
6.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 5	-	सदस्य
7.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 6	-	सदस्य
8.	सदस्य राज्य विधानमंडल – 7	-	सदस्य
9.	प्रभारी सचिव (ई-शासन/आईटी)	-	सदस्य
10.	सचिव, राज्य विधानमंडल	-	सदस्य सचिव

समिति की भूमिका और जिम्मेदारियां निम्न प्रकार हैं:

- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन की समीक्षा करना।
- राज्य विधानमंडल में नेवा के कार्यान्वयन हेतु, यदि अपेक्षित हो तो, प्रक्रिया नियमों में परिवर्तनों की सिफारिश करना।
- नेवा का उपयोग करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को स्थानांतरित करने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों को पेश आने वाली समस्याओं पर चर्चा करना और सुझाव देना।
- राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य विधानमंडलों और राज्य सरकार के विभागों के कार्मिकों के लिए नेवा पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण हेतु फ्रेमवर्क तैयार करना।
- जागरूकता पैदा करना और मीडिया प्लान।

13.8 क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय स्तर की कार्यशालाएं/संगोष्ठियां और प्रशिक्षण

13.8.1 क्षेत्रीय कार्यशालाएं:

संबंधित राज्य विधानमंडल के सचिव के साथ क्षेत्रीय कार्यशालाओं की व्यवस्था उस क्षेत्र के राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के लिए की जाएगी। निम्नलिखित कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा:

1. उत्तरी क्षेत्र (जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड) – कार्यशाला का संचालन दिल्ली/चंडीगढ़ या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

2. पूर्वी क्षेत्र (पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडीशा, झारखंड) – कार्यशाला का संचालन कोलकाता/भुवनेश्वर या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

3. पश्चिमी क्षेत्र (महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा) – कार्यशाला का संचालन मुम्बई या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

4. दक्षिणी क्षेत्र (आन्ध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुदुचेरी) – कार्यशाला का संचालन हैदराबाद/बेंगलूरू या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

5. उत्तर पूर्वी क्षेत्र (असम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा) – कार्यशाला का संचालन गुवाहाटी/शिलांग या किसी अन्य उचित स्थान पर किया जाएगा।

<u>अथवा</u>

6. विकल्पत: कार्यशालाओं की व्यवस्था एक या दो विधानमंडलों के लिए उनके अपने स्थानों पर भी की जा सकती है।

13.8.2 क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण:

क्षमता निर्माण की पहल से राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों, विधानमंडल सचिवालय और नेवा परियोजना के कार्यान्वयन में प्रतिभागिता करने वाले राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों की दक्षता में सुधार करने में मदद मिलेगी।

संबंधित एस.पी.एम.यू. के परामर्श से सी.पी.एम.यू. द्वारा प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण के लक्ष्य को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कार्य किए जाएंगे:

- ❖ प्रत्येक स्तर पर अपेक्षित व्यक्तियों की संख्या के संदर्भ में क्षमता का आकलन करना, प्रत्येक भूमिका के लिए आवश्यक कौशल सेट;
- ❖ क्षमता निर्माण अवसंरचना और कौशल में अंतर का आकलन करना;
- ❖ क्षमता निर्माण के लिए सुनियोजित, स्थायी और एकीकृत रणनीति विकसित करना;
- ❖ प्रयोगकताओं के प्रत्येक स्तर के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकताओं का आकलन करना;

- ❖ प्रशिक्षण के प्रत्येक चरण के लिए पाठ्यक्रम (रूपरेखा), अवधि, प्रवेश और निकास मानदंडों के संदर्भ में प्रशिक्षण योजना को परिभाषित करना, प्रशिक्षण के प्रत्येक घटक के लिए प्रशिक्षण मॉडल (प्रशिक्षक आधारित, कंप्यूटर आधारित प्रशिक्षण (सीबीटी), उपयोगकर्ता नियम पुस्तक आदि);
- ❖ निगरानी के लिए प्रत्येक भूमिका और रूपरेखा के लिए प्रदर्शन के उपायों को परिभाषित करना;
- ❖ परिवर्तन प्रबंधन रणनीति को डिजाइन करना;
- ❖ संचार और जागरूकता रणनीति को डिजाइन करना।

13.9 नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा/ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना:

राज्य विधानमंडल के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को अभिविन्यास प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य विधानमंडल में एक नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा/ई-सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। नेवा के विभिन्न मॉड्यूल्स पर नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे।

13.10 दृश्य श्रव्य उपकरण और प्रशिक्षण सामग्री

अत्याधुनिक नेवा सेवा केंद्र (ई-शिक्षा / ई-सुविधा केंद्र) में सभी आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण सहायक उपकरण और साथ ही दूरस्थ शिक्षा के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा होगी। ई-विधान एमएमपी पर प्रशिक्षण के लिए ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया जाएगा। प्रशिक्षण सामग्री सीपीएमयू द्वारा अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित की जाएगी।

13.11 सीपीएमयू में कृत्रिम विधानसभा की स्थापना

सभी राज्य विधानमंडलों के सदस्यों, राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों के लिए नेवा पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की व्यवस्था करने और भारत आने वाले अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के लिए नेवा का प्रदर्शन करने के लिए मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके एक कृत्रिम राज्य ई-विधानमंडल स्थापित करने का प्रस्ताव है। सीपीएमयू राज्य विधानमंडल के स्थानों पर भी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की व्यवस्था और आयोजन करेगी।

13.12 ई-विधान हेतु हार्डवेयर, साफ्टवेयर और सेवाओं के प्रापण की प्रक्रिया

राज्य विधानमंडलों के सचिव कार्यपालक प्राधिकारी होंगे। संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य सरकार के नोडल विभाग को निधियां जारी करेगा और नोडल विभाग निधियों को कार्यपालक प्राधिकारी को राज्य की हिस्सेदारी सहित जारी करेगा।

सुचारू कार्यान्वयन हेतु, राज्य सरकार परियोजना में तेजी लाने के लिए अपनी हिस्सेदारी सहित अग्रिम रूप में निधियां जारी कर सकती है और प्रतिपूर्ति का दावा कर सकती है।

परियोजना के अनुमोदित हो जाने और वित्तीय/तकनीकी मंजूरी मिल जाने के पश्चात कार्यपालक एजेंसी खुली निविदा आमंत्रित करेगा। सभी प्रकार की खरीद हेतु प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से निविदा देने की सुस्थापित प्रक्रिया का पालन किया जाएगा जो सामान्य वित्तीय नियमों (जीएफआर), 2017 और समय-समय पर जारी किए गए विभागीय निर्देशों के तहत शामिल प्रक्रियाओं के अनुरूप होगी।

सभी निविदा सूचनाओं का प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से विस्तृत प्रचार किया जाएगा।

वे सभी मदें जो जेम प्लेटफार्म पर उपलब्ध हैं उसके माध्यम से ही खरीदी जाएं।

यदि कार्य या मात्रा में कोई परिवर्तन होता है तो राज्य/केंद्र स्तरीय समितियों का पूर्वानुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

तथापि, यदि राज्य सरकार/राज्य विधानमंडल चाहें तो खरीद के लिए अपने खुद के स्थापित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन कर सकते हैं।

13.13 लेखापरीक्षा

नेवा परियोजना की राज्य/केंद्र सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा लेखापरीक्षा की जाएगी।

13.14 सावधि विधि खंड (सनसेट क्लाज)

नेवा में इसके पूर्व परीक्षण की तारीख के पश्चात 36 मास की अवधि के लिए सहायता की जाएगी। परियोजना को परिभाषित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तीन वर्ष की अवधि के पश्चात, नेवा राज्य विधानमंडल के स्वामित्व में आ जाएगी। भारत सरकार केवल सीपीएमयू और एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं की लागत वहन करेगी।

13.15 समस्या को दूर करना

दिशा-निर्देशों और समय-समय पर जारी अनुदेशों सहित नेवा के कार्यान्वयन से उत्पन्न किसी भी विवाद का निपटारा करना संसदीय कार्य मंत्रालय की जिम्मेदारी होगी और इस संबंध में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय का निर्णय अंतिम और सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

भाग IV– ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसी/एनआईसीएसआई की भूमिका

14. ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसी की भूमिका

एनआईसी ई-विधान एमएमपी के लिए तकनीकी साझेदार होगा। ई-विधान एमएमपी के लिए तकनीकी सहायता एनआईसी द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी क्योंकि उसके पास इस क्षेत्र में अपेक्षित विशेषज्ञता मौजूद है और वह हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन कर चुका है।

1. राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन (नेवा) का विकास

एनआईसी हिमाचल प्रदेश ई-विधान परियोजना के आधार पर नेवा के विकास के लिए जिम्मेदार होगा। इस प्रयोजन के लिए एनआईसी एक नेवा परियोजना दल का गठन करेगा।

2. राज्य स्तर पर नेवा का कार्यान्वयन और सहायता सेवाएं

प्रत्येक राज्य के स्तर पर राज्य सूचना अधिकारी (एसआईओ) की अध्यक्षता में एक नेवा कार्यान्वयन और सहायता सेवा समिति का गठन किया जाए जो समस्त तकनीकी सहायता सेवा और राज्य विधानमंडल एवं राज्य सरकार के अन्य विभागों को अपेक्षित सेवाएं प्रदान करेगी। एनआईसी के राज्य केंद्र के एक अधिकारी को नेवा के कार्यान्वयन की सभी गतिविधियों का समन्वय करने के लिए समन्वयकर्ता के रूप में पदनामित किया जाएगा।

3. नेवा क्लाउड होस्टिंग और डीआर साइट

सभी राज्यों के लिए नेवा को नेशनल क्लाउड (मेघराज) पर होस्ट किया जाएगा और एनआईसी होस्टिंग सेवाओं के लिए जिम्मेदार होगा। इसके अलावा लाइव डीआर साइट का रखरखाव किसी अन्य एनआईसी डेटा सेंटर पर किया जाएगा। ई-विधान एमएमपी के तहत संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मैनपावर और क्लाउड होस्टिंग सेवाओं के लिए वित्तपोषण प्रदान किया जाएगा।

4. राज्य स्तर पर नेवा होस्टिंग

राज्य / राज्य डेटा केंद्र / स्थानीय डेटा केंद्र पर एनआईसी डेटा केंद्र में नेवा होस्टिंग के लिए सहायता, संबंधित राज्य एनआईसी केंद्र द्वारा प्रदान की जाएगी। इस तरह की स्थानीय होस्टिंग इसे पूर्ण प्रणाली बनाने के लिए राष्ट्रीय क्लाउड होस्टिंग का दर्पण होगी।

5. हाई स्पीड एनआईसीनेट कनेक्टिविटी

एनआईसी राज्य विधानमंडलों के सभी स्थानों पर वेबकास्टिंग के बुनियादी ढांचे की स्थापना करेगा और सभी राज्य विधानमंडलों के स्थानों से अबाधित वेबकास्टिंग सुनिश्चित करेगा। सदन की कार्यवाहियों की वेबकास्टिंग के लिए विषय-वस्तु परिदान नेटवर्क (कंटेंट डिलवरी नेटवर्क) का उपयोग किया जा सकता है। वेबकास्टिंग के बुनियादी ढांचे के लिए अपेक्षित समस्त निधियां ई-विधान एमएमपी निधि के तहत प्रदान की जाएंगी।

6. वेब कास्टिंग सेवाएं (वैकल्पिक)

सदन के नियमों के अधीन रहते हुए और पीठासीन अधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार सदन की कार्यवाही की वेब कास्टिंग का प्रावधान करने के लिए, एनआईसी राज्य विधानमंडल में वेब कास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थापना करेगा और राज्य विधानमंडल के स्थानों से बिना रुकावट वेबकास्ट सुनिश्चित करेगा। विषय-वस्तु वितरण नेटवर्क (सीडीएन) का उपयोग सदन की कार्यवाही की वेबकास्टिंग के लिए किया जा सकता है। वेबकास्टिंग बुनियादी ढांचे और सेवाओं के लिए सभी आवश्यक धनराशि ई-विधान एमएमपी निधि के तहत प्रदान की जाएगी।

7. नेवा का बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)

संसदीय कार्य मंत्रालय के पास एनआईसी के माध्यम से निरंतरता में नेवा का अनन्य गैर-परम्परागत बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) होगा।

15. ई-विधान एमएमपी के लिए एनआईसीएसआई की भूमिका

1. एनआईसीएसआई, नेवा के विकास के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी, क्योंकि उन्होंने हिमाचल प्रदेश विधानसभा में ई-विधान परियोजना को सफलतापूर्वक लागू किया है।

2. एनआईसीएसआई निविदा प्रक्रिया के माध्यम से इच्छुक राज्य विधानमंडलों में नेवा के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक जनशक्ति सहित विभिन्न वस्तुओं की खरीद करेगा और इसके लिए विक्रेताओं को पैनल में शामिल करेगा।

3. एनआईसीएसआई नेवा के सफल कार्यान्वयन के लिए एनआईसीएसआई समन्वयक के रूप में नई दिल्ली में एक विशेष अधिकारी (डीजीएम या उससे ऊपर) नामित करेगा।

4. एनआईसी के सभी राज्य समन्वयक विधिवत सत्यापन के पश्चात बिलों को, यदि कोई हो, अपने-अपने कार्यपालक प्राधिकारी के पास प्रस्तुत करेंगे।

16. एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से खरीद और सेवाओं के लिए निधिकरण

यदि एनआईसी/एनआईसीएसआई के माध्यम से हार्डवेयर, साफ्टवेयर, सेवाओं इत्यादि की खरीद की प्रक्रिया अपनाई जाती है तो ऐसी समस्त खरीद के लिए, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा ई-विधान एमएमपी से सीधे धनराशि प्रदान की जाएगी।

नेवा एक नजर में:

1. साफ्टवेयर

क. एक कोर एप्लिकेशन के रूप में नेवा को एनआईसीएसआई से स्टाफ लेकर सीपीएमयू द्वारा विकसित किया जाएगा।

ख. कोर एप्लिकेशन के विकास, ई-लर्निंग सामग्री, जरूरी अतिरिक्त साफ्टवेयर (ए.एस.)/ऑपरेटिंग प्रणाली (ओ.एस.)/प्रचालन और अनुरक्षण (ओ.एण्ड एम.) के लिए सीपीएमयू।

ग. नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

2. हार्डवेयर

क. सीपीएमयू के लिए ए.एस./ओ.एस. और कंप्यूटरों सहित क्लाउड होस्टिंग हेतु हार्डवेयर की खरीद सीपीएमयू द्वारा की जाएगी।

ख. राज्य विधानमंडलों के लिए ए.एस./ओ.एस./ओ.एण्ड एम. सहित हार्डवेयर की खरीद राज्य के कार्यपालक प्राधिकारी द्वारा की जाएगी।

ग. सदस्यों और अन्य हितधारकों के लिए जरूरी ए.एस./ओ.एस. सहित टच इनेबल्ड उपकरण।

घ. नेवा सेवा केंद्र (ई-सुविधा/शिक्षा केंद्र) की स्थापना।

ङ. राज्य सरकार/राज्य सरकार के नोडल विभाग द्वारा एसपीएमयू की स्थापना।

च. राज्य विधानमंडल में वेबकास्टिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर।

छ. राज्य विधानमंडल/एसपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

ज. राजभवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा (यदि अपेक्षित हो)

झ. सीपीएमयू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुविधा।

3. क्षमता निर्माण

क. सीपीएमयू द्वारा ई-सुविधा केंद्र सहित नेवा के लिए विधानमंडलों द्वारा रखे गए स्टाफ का क्षमता निर्माण।

ख. सीपीएमयू द्वारा विधानमंडलों के सदस्यों हेतु सराहना कार्यक्रम।

ग. सीपीएमयू द्वारा नोडल अधिकारियों का क्षमता निर्माण।

घ. सीपीएमयू/एसपीएमयू द्वारा एक्सपोजर दौरा और केएमएस/डिजिटल लाईब्रेरी।

4. निधिकरण

क. परियोजना के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, संसदीय कार्य मंत्रालय राज्य की यथा निर्धारित हिस्सेदारी सहित केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना के नमूने पर।

ख. दिशा-निर्देश प्रक्रियाएं इत्यादि।

5. सूचना शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.)

क. सूचना, शिक्षा और संचार (आई.ई.सी.) सामग्री (विषय-वस्तु और प्रसार) के विकास के लिए सहयोगी एनएफडीसी / राज्य सभा टीवी और लोक सभा टीवी।

ख. कार्यशालाएं/संगोष्ठियां/एक्सपोजर दौरे।

ग. मीडिया।

6. जनशक्ति

सीपीएमयू के लिए – एनआईसीएसआई/जेम के माध्यम से और एसपीएमयू के लिए राज्य सरकार अपनी स्थापित प्रक्रिया को अपना सकते हैं।

पैरा 11.1 का अनुबंध

नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या <=100(22 राज्य विधानमंडलों के लिए)

क्र.सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या	प्रतिमाह दर +जीएसटी	प्रतिमाह लागत	प्रतिवर्ष लागत	3 वर्षों की लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वेब प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	डेटाबेस व्यवस्थापक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर	3	45000	1,59,300	19,11,600	5734800
4	संचालन प्रबंधक	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	संचालन सहायक	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	नेटवर्क संचालन पेशेवर	2	25000	59,000	7,08,000	2124000
7	तकनीकी प्रशिक्षक	2	50000	1,18,000	14,16,000	4248000
8	तकनीकी सहायता पेशेवर	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
	कुल	20	325000	861400	1,03,36,800	31010400
						लगभग 3.10 करोड़

नेवा एमएमपी जनशक्ति का विवरण जहां सदस्य संख्या >100(15 राज्य विधानमंडलों के लिए)

क्र.सं.	कर्मचारियों की श्रेणी	संख्या	प्रतिमाह दर +जीएसटी	प्रतिमाह लागत	प्रतिवर्ष लागत	3 वर्षों की लागत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	वेब प्रशासक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
2	डेटाबेस व्यवस्थापक	1	50000	59,000	7,08,000	2124000
3	वरिष्ठ तकनीकी सहायता पेशेवर	6	45000	3,18,600	38,23,200	11469600
4	संचालन प्रबंधक	1	45000	53,100	6,37,200	1911600
5	संचालन सहायक	5	30000	1,77,000	21,24,000	6372000
6	नेटवर्क संचालन पेशेवर	5	25000	1,47,500	17,70,000	5310000
7	तकनीकी प्रशिक्षक	3	50000	1,77,000	21,24,000	6372000
8	तकनीकी सहायता पेशेवर	8	30000	2,83,200	33,98,400	10195200
	कुल	30	325000	1274400	1,52,92,800	45878400
						लगभग 4.59 करोड़

अनुबंध-XXX

कागज रहित राज्य विधानमंडलों और विधायकों एवं अन्य हितधारकों को सूचना और सेवा का इलेक्ट्रॉनिक परिदान उपार्जित करने के लिए राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन – नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

और

{राज्य का नाम} सरकार

और

{राज्य विधानमंडल का नाम}

के बीच

त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन

इस त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (इसमें इसके पश्चात **"त्रिपक्षीय एमओयू" कहा गया है) पर नीचे उल्लिखित पक्षकारों द्वारा .....(तारीख) को हस्ताक्षर किए गए हैं।**

प्रथम पक्षकार के रूप में संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, जिसका कार्यालय संसद भवन, नई दिल्ली-110001 में है, इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

और

दूसरे पक्षकार के रूप में **{राज्य का नाम}** सरकार, इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

और

तीसरे पक्षकार के रूप में **{**राज्य विधानमंडल का नाम**}** (इसमें इसके पश्चात राज्य विधानमंडल कहा गया है), इस अभिव्यक्ति के तहत जब तक संदर्भ या इसके अर्थ के प्रतिकूल न हो, उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती भी शामिल होंगे;

भारत सरकार, {राज्य का नाम} सरकार, और {राज्य विधानमंडल का नाम} को इसमें इसके पश्चात सामूहिक रूप से "पक्षकारों" और व्यक्तिगत रूप से "पक्षकार" कहा गया है।

परिभाषाएं:

"प्रभावी तारीख" से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तारीख अभिप्रेत है।

प्रस्तावना:

ई-विधान एमएमपी (**राष्ट्रीय ई-विधान एप्लिकेशन - नेवा**) का उद्देश्य सभी राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों को कागज रहित / डिजिटल विधानमंडल बनाना है, राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सूचना के आदान-प्रदान हेतु सभी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है और विषय-वस्तु को, जब भी उसकी उत्पत्ति होती है, सार्वजनिक पोर्टल पर प्रकाशित करना है। इसका उद्देश्य राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों के विधानमंडलों के सदस्यों को विधायी चर्चा में अधिक कारगर रूप से भाग लेने के लिए अपने आपको तैयार करने के लिए नवीनतम आईसीटी उपकरणों का उपयोग करने में सहायता करना भी है।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, **(राज्य का नाम) सरकार** और **(राज्य विधानमंडल का नाम)** ने सभी राज्य विधानमंडलों का डिजिटलीकरण करने और उनके कार्यचालन को कागज रहित बनाने के उद्देश्य से त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

इसके पक्षकारों द्वारा और उनके बीच निम्नलिखित करार किया जाता है:

1. नेवा परियोजना का कार्यान्वयन संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी आशोधनों, यदि कोई हो, सहित परियोजना के दिशानिर्देशों के अनुसार कड़ाई से किया जाएगा और समझौता ज्ञापन के पक्षकार वर्तमान दिशा-निर्देशों के अंतर्गत उन्हें सौपी गई जिम्मेदारियों और दायित्वों को पूरा करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

2. परियोजना के लिए निधियां संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निम्न रीति से उपलब्ध कराई जाएंगी:

   i) उत्तर पूर्वी पहाड़ी राज्यों को निधियां 90:10 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएंगी।
   ii) विधानमंडलों वाले संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां 100% केंद्र द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी।
   iii) अन्य राज्यों को निधियां 60:40 के अनुपात में उपलब्ध कराई जाएंगी।

   कहीं भी कोई और उल्लेख होने के बावजूद, केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सभी सदनों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किए गए रूप में स्वीकृत लागत तक सीमित होगी और परियोजना के तहत जारी धन के समुचित उपयोग के अधीन होगी।

3. निधियां (किश्तें) जारी करने के निबंधन और शर्तें निम्नानुसार होंगी:

   (i) पहली किस्त (स्वीकृत परियोजना लागत के 20% तक) राज्य की हिस्सेदारी के टोकन बजट प्रावधान/दायित्व के अधीन रहते हुए केंद्रीय स्तर पर तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन समितियों द्वारा डीपीआर के अनुमोदन के बाद ही जारी की जाएगी।

(ii) दूसरी किस्त (40% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित पहली किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

(iii) तीसरी किस्त (20% तक) राज्य सरकार के अनुकूल अंशदान के व्यय सहित दूसरी किस्त की राशि के उपयोग के प्रमाण-पत्र की प्राप्ति के बाद जारी की जाएगी।

(iv) चौथी और अंतिम किस्त परियोजना पूर्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय लेखा परीक्षा के बाद जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

(v) उन राज्यों के मामले में, जो परियोजना के कार्यान्वयन के अग्रिम चरण में हैं, ऊपर उल्लिखित एक या अधिक किस्त साथ-साथ जारी की जाएगी।

<u>अथवा</u>

(vi) जो राज्य परियोजना शुरू करने के लिए केंद्रीय अनुदान के अभाव में अपना व्यय स्वयं वहन करते हैं उन्हें एक किस्त में समस्त धनाशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी जो केंद्र की हिस्सेदारी में आने वाली धनराशि से अधिक नहीं होगी।

4. राज्य विधानमंडलों के सभी सदस्यों, राज्य विधानमंडल सचिवालय के अधिकारियों और राज्य सरकार के विभागों के अधिकारियों को नेवा के विभिन्न मॉड्यूलों के बारे में अभिविन्यास/प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रत्येक राज्य विधानमंडल में अत्याधुनिक नेवा केंद्र (ई-शिक्षा/सुविधा केंद्र) की स्थापना की जाएगी। केंद्र में सभी आधुनिक कंप्यूटर आधारित शिक्षण सहायक उपकरण और साथ ही दूरस्थ प्रशिक्षण के लिए वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा उपलब्ध होगी। ई-विधान एमएमपी पर प्रशिक्षण के लिए ऑडियो वीडियो प्रशिक्षण मॉड्यूल संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा विकसित किए जाएंगे। प्रशिक्षण सामग्री अंग्रेजी, हिंदी के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषाओं में भी विकसित की जाएगी।

5. मौजूदा नियमों और प्रक्रिया का पालन करते हुए बताई गई विशेषताओं और अनुमान के अनुसार तीन वर्ष की वारंटी के साथ हार्डवेयर/अन्य परिसंपत्तियों की खरीद की जाएगी। तथापि, उच्च विशेषताओं वाले हार्डवेयर सहित परिसंपत्तियों की खरीद की जा सकती है और अतिरिक्त व्यय, यदि कोई हो, को राज्य की हिस्सेदारी/अंशदान में समायोजित किया जा सकता है।

6. प्रत्येक राज्य विधानमंडल में जनशक्ति की तैनाती और प्रत्येक जनशक्ति के लिए डेस्कटॉप कंप्यूटरों, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट क्नेक्टिविटी की लागत परियोजना के दिशा-निर्देशों के पैरा 11 के अनुसार होगी।

7. पक्षकारों का दायित्व और जिम्मेदारियां निम्न रीति अनुसार होंगी:

(i) नेवा में इसके सफल पूर्व परीक्षण की तारीख से 36 मास की अवधि के लिए सहायता की जाएगी। परियोजना को परिभाषित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। तथापि, जनशक्ति समर्थन के लिए भारत सरकार की हिस्सेदारी इस निमित्त किए गए प्रावधान के एक तिहाई तक सीमित होगी और शेष दो तिहाई राज्यों द्वारा वहन की जाएगी।

(ii) परियोजना पूरी होने पर तीन वर्ष की अवधि के पश्चात, सभी परिसंपत्तियों और देयताओं को कार्यपालक प्राधिकारी को अंतरित किया हुआ माना जाएगा। उसके पश्चात नेवा आईसीटी उपकरणों के रखरखाव और उन्नयन सहित सभी प्रयोजनों के लिए विधानमंडल के स्वामित्व में आ जाएगी।

(iii) परियोजना के पूरा होने और उसे राज्य विधानमंडल को सौंप देने के पश्चात भारत सरकार केवल सीपीएमयू, एनआईसी की क्लाउड होस्टिंग सेवाओं और उपयोगकर्ताओं के प्रशिक्षण की लागत वहन करेगी।

(iv) समय और लागत अधिक होने के कारण या अन्यथा होने वाला अतिरिक्त व्यय, यदि कोई होगा, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। किसी भी स्थिति में परियोजना के लिए तैनात व्यक्ति के अलावा स्थायी कर्मचारियों को वित्तपोषित नहीं किया जाएगा।

(v) नेवा (ई-विधान एमएमपी) के कार्यान्वयन हेतु यदि अधिनियमों, नियमों और विनियमों में कोई संशोधन अपेक्षित होगा तो राज्य सरकार/विधानमंडल द्वारा किया जाएगा।

(vi) दूसरा/तीसरा पक्षकार मासिक/त्रैमासिक आधार पर या जैसा संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा वांछित हो, की गई प्रगति के बारे में प्रथम पक्षकार को संसूचित रखेगा।

(vii) प्रथम पक्षकार तीसरे पक्षकार द्वारा नियोजित संविदात्मक जनशक्ति के किसी भी पद पर किसी भी प्रकार के रोजगार से या किसी कर्मचारी के रोजगार के दौरान उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के किसी भी दावे या देनदारी के लिए न तो जिम्मेदार होगा और न ही उत्तरदायी होगा।

(viii) दूसरा/तीसरा पक्षकार इस बात से सहमत है कि प्रथम पक्षकार किसी कानूनी या अन्य प्रकार के ऐसे विवादों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो दूसरे/तीसरे पक्षकार की ओर से की गई किसी कार्रवाई से उत्पन्न हो। ऐसे कार्यकलापों में कोई नुकसान होता है तो उसे दूसरे/तीसरे पक्षकार द्वारा वहन किया जाएगा।

(ix) दूसरा और तीसरा पक्षकार यह सुनिश्चित करेंगे कि परियोजना के लिए अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों का रखरखाव और बीमा विद्यमान नियमों, यदि कोई हों, के अनुसार उचित रूप किया जाए और अतिरेक का प्रावधान निष्पादक प्राधिकारी की ओर से किया जाना चाहिए।

(x) दूसरे पक्षकार/तीसरे पक्षकार द्वारा या उनकी ओर से किसी भी कार्य या चूक से उत्पन्न होने वाले पेटेंट या बौद्धिक पेटेंट या बौद्धिक संपदा अधिकारों के किसी उल्लंघन से उत्पन्न किसी भी क्षति, व्यय और / या दावे के लिए दूसरा पक्षकार/तीसरा पक्षकार, प्रथम पक्षकार को क्षतिपूर्ति करेगा।

(xi) यह सहमति व्यक्त की जाती है कि प्रथम पक्षकार किसी भी समय बिना कारण बताए परियोजना को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। यह भी सहमति है कि यदि ऐसे कारणों से, जो प्रथम पक्षकार के नियंत्रण में नहीं हैं, परियोजना पूरी होने से पहले समाप्त हो जाती है, तो प्रथम पक्षकार कोई भी दायित्व नहीं उठाएगा।

8. **विवाद समाधान तंत्र**

किसी भी विवाद के मामले में सचिव, संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

इसके साक्ष्यस्वरूप, इस समझौता ज्ञापन के पक्षकारों के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधियों ने (.....तारीख....) को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए	**राज्य सरकार (राज्य का नाम) के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए**	**राज्य विधानमंडल (राज्य विधानमंडल का नाम) के लिए और की ओर से हस्ताक्षर किए गए**
नाम और पदनाम **(मोहर सहित)** **तारीख:**	**नाम और पदनाम** **(मोहर सहित)** **तारीख:**	**नाम और पदनाम** **(मोहर सहित)** **तारीख:**

साक्षी

1._____
नाम
पदनाम
पता

2._____
नाम
पदनाम
पता

1._____
नाम
पदनाम
पता

2._____
नाम
पदनाम
पता